खण्ड-437, अंक-3
गुरूवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1923
(22 मार्च, 2001 ई0)

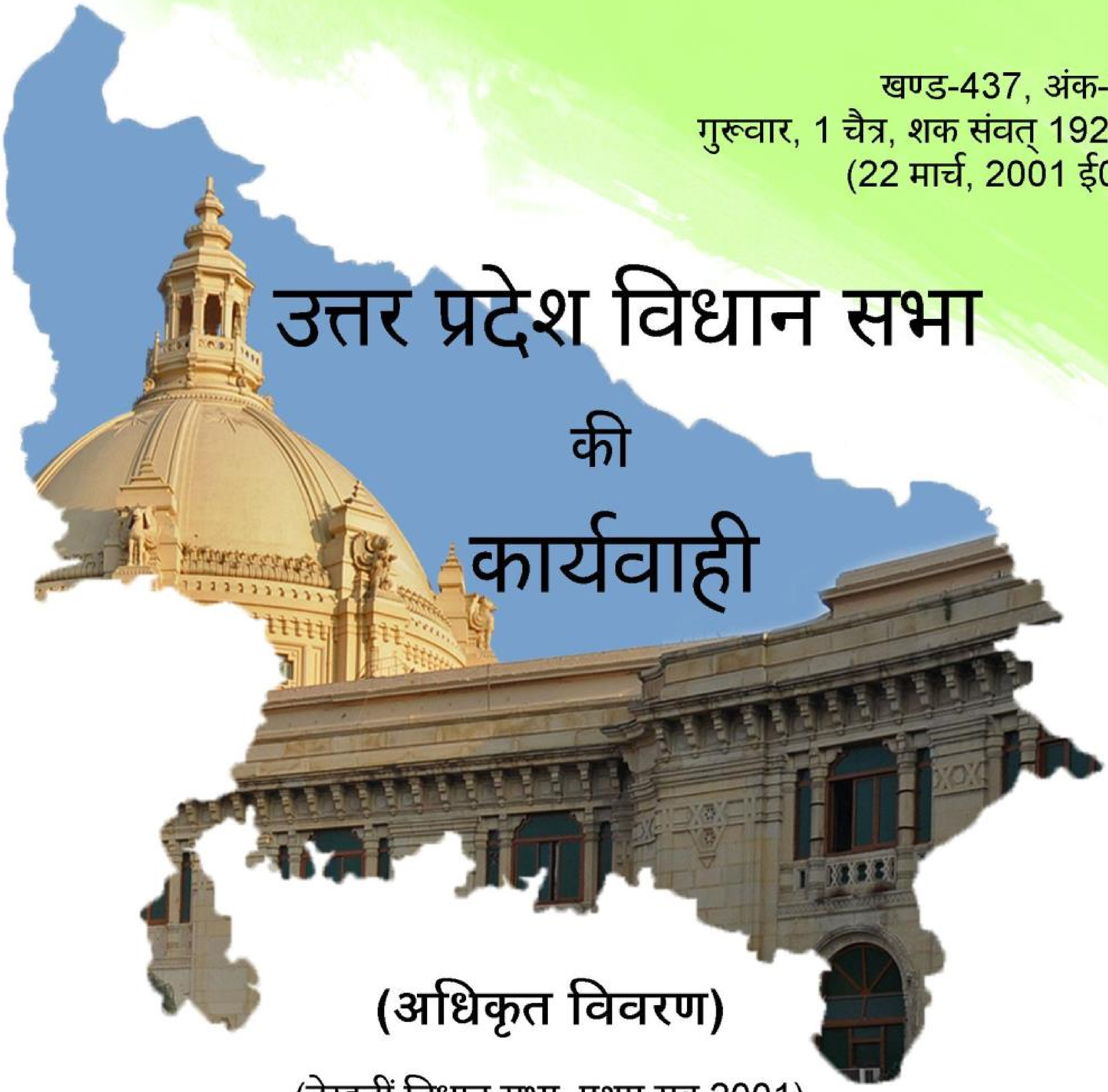

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
तहलका डाट काम एवं कानपुर गोलीकाण्ड प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1-78
तहलका डाट काम एवं कानपुर गोलीकाण्ड प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	79
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (स्थगित)	79-80
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (स्थगित)	80
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	80-81
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	81
उत्तर प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2000 (सदन के पटल पर रखी गयी)	82
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	82
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 1999-2000 के स्थित पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा (सदन के पटल पर रखा गया)	82
यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 1998-99 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
वर्ष 2000 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	82-83
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइवर केविल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित (पटल पर रखा गया)	83
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित (पटल पर रखा गया)	83
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित (पटल पर रखा गया)	83
भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	83
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	83-85
उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	85-86
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	86
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–02, आवास विभाग (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या–03, उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	86-87
अनुदान संख्या–04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या–05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या–07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या–08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	88
अनुदान संख्या–09, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	88
अनुदान संख्या–10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या–11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	88-89
अनुदान संख्या–13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या–14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या–15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या–17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	90
अनुदान संख्या–18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	90
अनुदान संख्या–21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या–22, खेल विभाग (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या–23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	91
अनुदान संख्या–25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	91-92
अनुदान संख्या–26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या–27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या–31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या–32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	92-93
अनुदान संख्या–33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या–34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या–35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	93

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	93-94
अनुदान संख्या–38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या–40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या–42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या–43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	94-95
अनुदान संख्या–44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या–47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या–49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	95
अनुदान संख्या–50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	95-96
अनुदान संख्या–52, राजस्व विभाग राजस्व परिषद् तथा अन्य बचत (स्वीकृत)...	96
अनुदान संख्या–54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	96
अनुदान संख्या–58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ...	96
अनुदान संख्या–59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)...	96-97
अनुदान संख्या–60, वन विभाग (स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या–63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या–65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)...	97
अनुदान संख्या–71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	97-98
अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	98
अनुदान संख्या–73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या–75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या–76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	98-99
अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या–78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या–80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	99-100
अनुदान संख्या–85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या–86, सूचना विभाग (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ...	101
अनुदान संख्या–92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या–93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या–94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	101-102
अनुदान संख्या–95, उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	102
उ० प्र० विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित एवं पारित)	102-107
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित)	107-108
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	108-111
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	111-112
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना	112
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	113
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक (प्रस्तुत)	113-137
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत)	137
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान (स्वीकृत)	137-138
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (प्रस्तुतिकरण एवं पारित) ...	138-144
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित (पारित)	144-146
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित (पारित)	146-149
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित (पारित)	149-152
इस सदन का यह निश्चित मत है कि "प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु स्थायी समिति गठित की जाय" विषयक श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	152
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाकर कड़ाई से लागू की जाये" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	152

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पोलीथिन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा खा लिये जाने से उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए इसके उत्पादन और प्रयोग पर पाबन्दी लगायी जाय" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	152
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	152-153
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	154
श्री हरदेव सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा मा० कृषि मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	154-155
डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी सदस्य विधान सभा द्वारा श्री चन्द्र नाथ सिंह सदस्य, लोक सभा के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	155
डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक तथा लेखक द्वारा मा० अध्यक्ष विधान सभा के प्रति असम्मानजनक लेख प्रकाशित किये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय...	155-156
श्री दद्दू प्रसाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर सदस्य विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	156-157
श्री सुवास चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री प्रमोद कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	157-158
कुँवर रेवती रमण सिंह एवं श्री अम्बरीष कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा मा० वित्त मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	158-159
श्री लाल जी वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी एवं श्री मुन्ना चौहान सदस्यगण विधान सभा द्वारा रेलवे बोर्ड के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	159
श्री हरी शंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती टिलोत्तमा वर्मा पुलिस अधीक्षक, हाथरस के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	160–161
श्री ज्ञान चन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० आबकारी मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	161–162

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री नेतराम सिंह एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता प्रदेश जनता दल तथा दैनिक जागरण के स्थानीय सम्पादक एवं संवाददाता के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	162
श्री शिव चरण प्रजापति, सदस्य विधान सभा द्वारा उन के साथ हमीरपुर पुलिस द्वारा की गई अभद्रता एवं अशोभनीय व्यवहार के सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 2000 को दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	162-163

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरूवार, दिनांक 22 मार्च, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजय प्रताप सिंह उर्फ	गोण्डा	फागू, श्री	मऊ
लल्ला भइया, श्री		वालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	रतनजीत प्रताप नारायण	
अमर मणि, श्री	महराजगंज	सिंह, कुंवर	पडरौना
अम्मार रिज़वी, डा०	सीतापुर	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	विनोद कुमार सिंह उर्फ	
चौधरी बाबू लाल, श्री	आगरा	पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
फतेह बहादुर श्री,	महराजगंज	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

तहलका डाट काम एवं कानपुर गोली काण्ड प्रकरण को सर्व प्रथम लिये जाने की माँग

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन की वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप स्थान ग्रहण करें । यदि आप सदन की कार्यवाही चलने ही नहीं देंगे तो आप लोगों की बात कैसे सुनी जायेगी ।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राम विशुन आजाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री मुख्तार अंसारी आदि विपक्षी सदस्य गण नारे लगाते रहे तथा तहलका डाट काम तथा कानपुर गोलीकाण्ड प्रकरण को सुने जाने की मांग करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने का प्रकरण

** 1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाए जाने की कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । अनुसूचित जाति के आई०टी०आई० में पढ़ने वाले छात्रों व पिछड़े वर्ग की दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

** उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

चूंकि प्रस्तावित वृद्धि के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, यह इंगित करना सम्भव नहीं है कि प्रस्तावित वृद्धि कितनी होगी । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पछुवां हवाओं से रबी की फसलों की सुरक्षा हेतु नहरों में अनवरत पानी देने की योजना

2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल को पछुवां हवाओं से प्रभावित होने से बचाने के लिये नहरों में अनवरत पानी देने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या उसका कार्यान्वयन इस वर्ष किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

नहरों के संचालन के लिए जो रोस्टर निर्धारित है उसमें इस बात का सर्वदा ध्यान रखा गया है कि सर्वाधिक आवश्यकता के समय नहरों में यथासम्भव पानी उपलब्ध रहे । परन्तु पछुवा हवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाई गयी है, लेकिन उक्त सामान्य स्थिति के अनुसार नहरों के संचालन में पछुआ हवाओं से रबी की फसलों की सुरक्षा भी शामिल है । नहरों का संचालन श्रोत से जल की उपलब्धता पर भी निर्भर है, अतः अनवरत संचालन सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में ठण्ड से हो रही मौतों को रोकने की कार्य योजना

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000–2001 में प्रदेश में ठण्ड से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार ऐसी मौतों को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री अक्षयवर लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में बौछार सिंचाई परियोजना का लक्ष्य

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि उपज बढ़ाने एवं पानी की बचत के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा विगत वर्ष 1998 में प्राप्त "बौछार सिंचाई परियोजना" किन-किन जनपदों में लागू की गयी है ? क्या उक्त योजना का वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

वर्ष 1998 में बौछारी सिंचाई परियोजना प्रदेश के 83 जनपदों में लागू की गयी ।

जी हां ।

निर्धारित लक्ष्य 5486 के सापेक्ष 6269 की पूर्ति हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की नीति

*1—श्री राम औतार शाक्य तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कृषि मूल्य आयोग, भारत सरकार को मूल्य की संस्तुति भेजने हेतु विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मूल्य परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया है । यह परिषद् कृषि उपजों के लागत मूल्यों पर विचार कर कृषि उपजों के लाभकारी मूल्यों की संस्तुति करती है जिसके आधार पर भारत सरकार विचारोपरान्त फसलों के समर्थन मूल्य घोषित करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि भारत सरकार सभी प्रदेशों का मत लेने के पश्चात् न्यूनतम समर्थन मूल्यों की केन्द्रीय स्तर पर घोषणा करती है, अतः प्रदेश पर कोई नीति बनाये जाने की कार्यवाही नहीं हो सकती ।

प्रदेश में कीटनाशक दवाओं के विकल्प की खोज हेतु कार्ययोजना की जानकारी

*2—श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि खाद्यान्न फसलों, फलों व सब्जियों पर कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से समस्त मानव जाति व पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर कोई अन्य विकल्प की खोज हेतु कोई कार्य-योजना शासन द्वारा तय की जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

इस योजना का नाम एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन है । यह योजना वर्ष 1993-94 से उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से चल रही है और कीटनाशकों के स्थान पर "बायो पेस्टीसाइड्स" और "बायो–एजेन्ट्स" का प्रयोग आरम्भ करा दिया गया है । प्रदेश में कृषि विभाग की 6 तथा कृषि विश्वविद्यालय की 3 कुल 9 प्रयोगशालाओं में "बायो–एजेन्ट्स" का उत्पादन कराया जा रहा है

तथा इनकी खपत के लक्ष्य भी फील्ड स्टाफ को भेज दिये गये हैं । इन जैविक रसायनों के प्रयोग के कारण कीटनाशक रसायनों की खपत भी प्रति वर्ष घटने लगी है ।

जनपद महाराजगंज/गोरखपुर में आई बाढ़ से राहत दिलाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*3—श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000-2001 में राप्ती नदी के तट बन्धों के टूटने से जनपद–महाराजगंज/गोरखपुर में आई अचानक बाढ़ से तबाह हुये किसानों को राहत देने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-10-2000 माननीय संसदीय कार्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र के आधार पर किसानों को राहत देने हेतु रुपये 1000/-नकद व 500/- के खाद्यान्न वितरण कराने का शासन द्वारा निर्णय भी लिया गया था ? क्या शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप महराजगंज व गोरखपुर जनपद के प्रभावित किसानों को रुपये 1000/- व 500 के खाद्यान्न के रूप में आर्थिक सहायता वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त धनराशि का वितरण सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी कौन है ? सरकार ने दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पत्र दिनांक 24-10-2000 का नहीं बल्कि 12-12-2000 का प्राप्त हुआ है ।

पीड़ित पात्र परिवारों को तात्कालिक सहायता के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राहत दरों के अनुसार अहेतुक सहायता के रूप में रु० 1500/- तक प्रति परिवार के रूप में वितरित किये जाने के स्थायी आदेश हैं ।

निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुरूप जनपद महराजगंज में अहेतुक सहायता के रूप में रु० 48,25,390/- की धनराशि एवं जनपद गोरखपुर में रु० 1,19,58,974/- की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में फल बागान स्थापना हेतु कृषकों को सब्सिडी वितरण की जानकारी

*4—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि नवीं पंच वर्षीय योजना (1994-95 से 1998-99) के मध्य में फल बागान की स्थापना हेतु 5.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी कृषकों में वितरित की गई है ? यदि हां, तो क्या इसका सत्यापन विभाग द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्वांचल के कतिपय नगरों में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए फसल/मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु राहत वितरण की जानकारी

*5—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि माह सितम्बर, 2000 के प्रथम सप्ताह में पूर्वांचल में बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीर नगर आदि जिले अति वृष्टि और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुये थे ? यदि हां, तो क्या बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल और मकानों की क्षतिपूर्ति के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, जनपद बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत निधि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि दिया जाना अनुमन्य नहीं है। क्षतिग्रस्त फसलों के स्वामियों को राहत हेतु बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गयी है। क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को गृह अनुदान के रूप में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान हेतु रु० 7500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान हेतु रु० 600/- पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान हेतु रु० 5000/- एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान हेतु रु० 600/- तथा झोपड़ी, टट्टर, फूस के मकान के लिए रु० 1000/- की दर से राहत सहायता वितरण का प्राविधान है।

जनपद भदोही में कालीन उद्योग हेतु स्पेशल इकोनामिक जोन की स्थापना

*6—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि संत रविदास नगर, भदोही में कालीन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने की कोई विशेष कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी)–

जी हां।

संत रविदासनगर, भदोही में कालीन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु वर्ष 2000-2001 की केन्द्रीय आयात-निर्यात नीति के तहत चीन के अनुभव को देखते हुए भदोही में स्पेशल इकोनामिक जोन (इस० ई० जेड०) की स्थापना विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। भदोही इस० ई० जेड० का कुल क्षेत्र लगभग 1000 हेक्टेयर होगा। यहां विश्वस्तरीय सुविधायें विकसित की जायेगी। निजी क्षेत्र के माध्यम से नवीनतम टेक्नोलाजी एवं डिजाइन तथा उत्पादन क्षमता में निवेश कराया जायेगा और निवेशकों के अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव एवं व्यापारिक सम्बन्धों के माध्यम से इस क्षेत्र से निर्मित कालीनों का विश्वव्यापी विक्रय भी सुनिश्चित किया जायेगा।

कालीन उद्योग को डिजाइन एवं तकनीकी सहयोग हेतु भारत सरकार के सहयोग से कारपेट टेक्नोलाजी संस्थान, भदोही में प्रारम्भ कर दिया गया है और "क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेन्स स्कीम" (सी० आई० बी०) के तहत भदोही में विद्युत एवं सड़क की अवस्थापना सुविधाओं की परियोजनायें भी लागू की गयी हैं।

*7—श्री श्रीराम पाल–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में नीलगाय से फसलों को हुई हानि के मुआवजे की योजना की जानकारी

*8—श्री राम विशुन आजाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में नील गाय एवं आवारा पशुओं से कृषि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष होने वाली हानि को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने पीड़ित कृषकों के लिये मुआवजे की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

संसाधनों की कमी के कारण ।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की भूमि पर हो रहे अनाधिकृत कब्जों को रोकने की नीति

*9—श्री बिन्दू लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बचत की जमीनों, चक रोड, गोचर आदि पर बड़े पैमाने पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिये कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अनाधिकृत कब्जे होने की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से समय-समय पर होती रहती हैं ।

यू० पी० जेड० ए०, एल० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत पहले से ही पर्याप्त प्राविधान हैं । उनका सख्ती से पालन किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ऊसर भूमि सुधार की नीति

*10—श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने प्रतिशत भूमि ऊसर भूमि के रूप में पड़ी है क्या सरकार ऊसर भूमि सुधार के लिये कोई नीति बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? एवं उसका कार्यान्वयन कब तक सुनिश्चित कराया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश में इस समय लगभग 7.27 लाख हे० ऊसर भूमि क्षेत्र उपलब्ध है जो प्रदेश के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत है ।

ऊसर भूमि सुधार के लिए उत्तर प्रदेश कृषि नीति के अंन्तर्गत ही नीति सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है ।

ऊसर समस्या से युक्त भूमि के सुधार हेतु प्रदेश सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे–वाह्य सहायता, केन्द्र सहायता तथा नाबार्ड आदि से वित्तीय संसाधन जुटाये जायेंगे ।

2000-2001 में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 45000 हे० ऊसर भूमि के सुधार का लक्ष्य है, तथा नीति के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में आलू उत्पादन के लागत मूल्य निर्धारण की नीति

*11—डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों को उपज का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या आलू उत्पादक कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में आलू के थोक बाजार भाव रु० 210–275 प्रति कु० के मध्य चल रहा है जो लागत मूल्य से अधिक है ।

प्रदेश में शराब लाइसेंस व मद्य निषेध दोनों नीतियों के औचित्य की जानकारी

*12–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में शराब व बियर लाइसेंस को देने की नीति उदार बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शासन की मद्यनिषेध नीति भी राज्य में प्रभावी है ? यदि हां, तो उक्त दो प्रकार की नीतियों का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस उदार लाइसेंस नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं, आबकारी नीति को उदार नहीं किया गया है । नई नीति के अन्तर्गत शराब या बियर की दुकानों को नीलामी पद्धति के बजाय निर्धारित लाइसेंसिंग पद्धति के आधार पर आवंटित करने की व्यवस्था की गई है ।

नीलामी पद्धति के फलस्वरूप एकाधिकार के पनपने तथा उससे उत्पन्न दोषों को समाप्त करने तथा राजस्व में वृद्धि लाने के लिए नीति को बदला गया है ।

जी हां ।

मद्य निषेध नीति द्वारा जनता को शराब एवं नारकोटिक्स तथा साइकोट्रापिक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है ।

जी नहीं, उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी परिवर्तन का औचित्य नहीं है ।

उपर्युक्त आवंटन पद्धति के परिवर्तन से दोनों नीतियों में कोई मूल विरोधाभाष नहीं आया है ।

*13—श्री संजय गर्ग–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा उपलब्ध बीज वितरण के पूर्ण विवरण की जानकारी

*14–श्री नेतराम सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम में वर्तमान खरीफ व रबी बुवाई वर्ष में कितना प्रमाणित बीज निगम के पास था ? उक्त स्टाक में से खरीफ-रबी में कितना-कितना बीज वितरण हुआ ? कितना बीज निगम के पास अवशेष है ? अवशेष बीज के वितरण के न होने से निगम को कितनी क्षति हुई ? इस क्षति के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

खरीफ :	1,60,768.00	कुन्तल
रबी :	9,99,762.00	कुन्तल
खरीफ :	1,44,264.00	कुन्तल
रबी :	7,83,022.00	कुन्तल
खरीफ :	17,438.00	कुन्तल
रबी :	2,16,740.00	कुन्तल

फिलहाल क्षति का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की तहसीलों में बन्दियों हेतु खाने की व्यवस्था

*15–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऋण वसूली में तहसीलों पर बन्दी बनाये जाने वाले व्यक्तियों के खाने की क्या व्यवस्था है ? क्या ऐसे बन्दियों के खाने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ऋण बकायेदारों को राजस्व बन्दीगृह में बन्द किये जाने पर "उत्तर प्रदेश कलेक्शन मैनुअल के पैरा–248" में निर्वाह खर्च का प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत् है :–

1–यदि बन्दी सिविल जेल में निरुद्ध है तो उसके निर्वाह का खर्च सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा–57 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिरचित नियमावली में स्थापित प्रतिमानों के अनुसार होगा ।

2—यदि बन्दी तहसील स्तर पर हवालात में निरुद्ध किया गया है तो उसे अपने रहने व भोजन बनाने की अनुमति दी जायेगी । यदि वह अनिच्छुक है, या ऐसा करने में असमर्थ है तो, उसे या तो भोजन दिया जायेगा या निर्वाह खर्च के रूप में भोजन धन अग्रिम के रूप में तहसीलदार द्वारा दिया जायेगा । ऐसे किसी मामले में खर्चे उपप्रस्तर (1) के अनुज्ञात प्रतिमान के अनुसार होंगे और इसी प्रकार वसूल किये जायेंगे । व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[4थे सोमवार में ता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, ग्राम सैदापुर की चकरोड पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने की मांग

1–श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सैदापुर, तहसील अकबरपुर, जिला-फैजाबाद में कुछ चकरोड, सर्विस–रोड, नालियों व नवीन परती की जमीन को काश्तकारों द्वारा जोतकर अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूमि की पैमाइश कराकर उसे खाली कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

भूमि का सीमांकन कर अनाधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला भदोही, संत रविदास नगर के बरसाती पुत्र कुबेर को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने विषयक कार्यवाही

2. डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसाती पुत्र कुबेर निवासी ग्राम उमरी जिला भदोही संत रविदास नगर को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-12-00 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

नहीं । प्रश्न उल्लेखानुसार संदर्भित पत्र उपलब्ध होना नहीं प्रतीत होता है, तथापि मा० प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा उनकी प्रति उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में समुचित अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय गांवों को यू० पी० आई० डी० सी० द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिये जाने की मांग

3. श्री हरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दशहरा, रूकनपुर, जहांनपुर, ऊंचा गांव जनपद बुलन्दशहर के किसानों की जमीन यू० पी० आई० डी० सी० ने मात्र आठ रुपये गज पर जी० टी० रोड के सहारे अधिग्रहीत कर लिया है ? क्या सरकार उपरोक्त किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–दशहरा, ऊंचागांव, रूकनपुर व जहांनपुर में किसानों की अर्जित भूमि निम्नवत् निर्धारित प्रतिमान के अनुसार घोषणा की जा चुकी है ।

ग्राम का नाम	एवार्ड की तिथि	
1–दशहरा खेरली	22-10-93	
2–रूकनपुर	31-03-95	
3– जहांनपुर	15-10-93	
4–ऊंचागांव	16-10-93	
ग्राम का नाम	किस्म जमीन	दर प्रति हेक्टेयर
(1) दशहरा	बाड़ा	1,29,249.85
	जं०अ०आ०	93,308.14
	जं०अ०आ०	60,469.50
	जं०दो०आ०	65,272.52
	जं०दो०आ०	43,928.76
	डा०आ०	56,657.88
	डा०आ०	35,294.11
	भूड़	32,6[illegible]2.77

(2) रूकनपुर	जं०अ०आ०	65,652.40
	जं०अ०आ०	38,513.66
	जं०दो०आ०	41,775.14
	जं०दो०खा०	29,353.33
	डा०आ०	48,700.76
	डा०आ०	26,333.44
	भूड़	21,884.14
(3) जहांनपुर	बाड़ा	56,274.02
	जं०अ०आ०	39,526.25
	जं०अ०खा०	25,006.38
	जं०अ०खा०	28,796.41
	जं०दो०आ०	18,668.37
	डा०आ०	30,973.12
	डा०आ०	19,935.96
(4) ऊंचागांव	जं०अ०आ०	87,932.29
	जं०अ०खा०	60,643.87
	जं०दो०आ०	65,227.90
	ज०दो०खा०	43,898.74
	डाकरा आ०	56,599.16
	डाकरा खा०	35,270.00

उपरोक्तानुसार भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत बाजार मूल्य पर एवार्ड की घोषणा करते हुए प्रतिकर भू-स्वामियों को बांटा जा चुका है । एवार्ड की घोषणा के उपरान्त इन ग्रामों में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत कुल 492 संदर्भ जनपद न्यायालय बुलन्दशहर को निर्णय हेतु प्रेषित किये गये थे, जिनमें से ग्राम–दशहरा खेरली में 49 संदर्भों में मा० द्वितीय अपर जिला जज, बुलन्दशहर के न्यायालय द्वारा दिनांक 22-8-2000 को रु० 34,000/- प्रति बीघा कच्चा की दर से निर्णय पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अर्जन निकाय यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील संख्या 803/2000 के अन्तर्गत स्थगन आदेश दिनांक 19-10-2000 पारित किया जा चुका है ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर के ए० डी० ओ० आई० एस० बी० द्वारा ग्राम पंचायत मलौना के प्रधान का बैंक खाता बन्द करने के आदेश

4–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ए० डी० ओ०, आई० एस० बी० ब्लाक सुमेरपुर, जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 23-12-1999 को ग्राम पंचायत, मलौना के प्रधान का खाता अपने अधिकारों

का दुरुपयोग करते हुये बैंक में बन्द करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या ए०-डी० ओ०, आई० एस० डी० ब्लाक सुमेरपुर, उन्नाव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[दिनांक 4-5-2000 को अता० प्र० सं०–47 द्वारा उत्तरित]

जिला व तहसील देवरिया के ग्राम देवरिया बुद्ध खां आदि ग्रामों में हुए अवैध कब्जों को हटाने विषयक जिलाधिकारी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम देवरिया बुद्ध खां, तप्पा, पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के अन्दर जाने वाले पुस्तैनी रास्तों व बरसाती तथा नावदानों के पानी के निकास मार्गों, ग्राम के अगल-बगल की पोखरियों व ग्राम से सटे उत्तर में निकली खड़ण्जा रोड के बगल में पूर्व में निकली गूल जो बरसाती पानी के निकास का भी रास्ता था, पर अनाधिकृत ढंग से कब्जा कर लेने के कारण ग्रामवासियों को ग्राम के अन्दर सवारियों को ले जाने, नावदानों व बरसाती पानी के निकास मार्गों के अवरोधित हो जाने के कारण पूरे ग्राम में जगह-जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गयी है ? क्या इस कारण वहां विभिन्न संक्रामक रोग फैलते रहते हैं ? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया के कार्यालय से परगनाधिकारी, देवरिया को भेजे गये पत्र संख्या–9612, दिनांक 25-8-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अवैध कब्जे हटा दिये गये है । पानी के निकास की भी कोई समस्या नहीं है और संक्रामक रोग भी नहीं फैला है । जिलाधिकारी के पत्र संख्या–9612 दिनांक 25-8-99 पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्र पंचायत को विकास हेतु कथित प्रदत्त धनराशि

7–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में जिला स्तर पर एस०आर०वाई० से 15 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रदत्त की गयी थी ? यदि हां, तो वह धनराशि किन-किन विकास कार्यों पर व्यय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद , ग्राम बरेली में मानचित्र के अनुसार चक मार्ग निर्माण की जानकारी

8—श्री सीताराम निषाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरेली, परगना जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के उत्तर की ओर तीन लट्ठे चौड़ा चक मार्ग को बिना किसी प्रार्थना-पत्र व आदेश के अनियमित व अवैध सीमांकन करके बनवा दिया है ? क्या ग्राम मानचित्र में एक लट्ठा चौड़ा चक मार्ग प्रदत्त है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री कुसुम श्रीवास्तव द्वारा सचिव व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी एवं जनपद के विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायती-पत्र दिनांक 14-6-1993, 1-11-1993, 29-5-1993, 23-6-1993 और 8-7-1993 को क्रमशः भेजे गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त चक मार्ग की चौड़ाई एक लट्ठा जैसा कि मानचित्र में प्रदत्त है, के अनुसार बनवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्नगत ग्राम बरेली नहीं, बल्कि बरेजी है, जिसके उत्तर तरफ चकरोड सं० 43 स्थित है । वर्ष 1993 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा दो लट्ठे की चौड़ाई में सीमावर्ती काश्तकारों की सहमति से मिट्टी डालकर एक लट्ठे में खड़न्जे का निर्माण किया गया है ।

इस निर्माण से तद्समय और आज भी किसी सीमावर्ती काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

मानचित्र में चकरोड की चौड़ाई 1.50 (डेढ़) लट्ठा है ।

जी हां ।

आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्थलीय जांच की गयी तथा मौके पर कोई विवाद न पाये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र निस्तारित कर विनष्टीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है ।

चकमार्ग की चौड़ाई 1.50 लट्ठा है जिस पर निर्माण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी हण्डिया द्वारा पट्टा का निरस्तीकरण

9—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेल मंत्री का पत्र दिनांक 3-12-1999 जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद ने उप जिलाधिकारी, हण्डिया को पट्टा शर्तों के अधीन निरस्त करके खाली कराने का आदेश दिनांक 19-1-2000 के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उप जिलाधिकारी ने उपरोक्त पट्टेदारों से पट्टा निरस्त करके गाटा संख्या—034 को सुरक्षित करवा दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां । प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है । मुख्य राजस्व अधिकारी इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-01-2000 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी हंडिया ने प्रश्नगत आवंटन दिनांक 27-04-2000 को निरस्त कर दिया है एवं भूमि पूर्ववत् गांव सभा में में सुरक्षित कर दी गया है ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हण्डिया, ग्राम हरीपुर पट्टी के ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे का निस्तारण

10—श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–474 पर पम्पिंग सेट बनाकर तथा भूखण्ड संख्या–762 पर छप्पर रखकर धर्मराज व राजराज आदि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 3/4 भूमि क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उपरोक्त लोगों से ग्राम समाज की सम्पत्ति सुरक्षित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि संख्या 474 जो अभिलेखों में खलिहान के खाते में दर्ज है का सीमांकन कराया गया, इसमें पम्पिंग सेट लगा नहीं पाया गया । धर्मराज आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके पर खाली करवा दिया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड पर अस्थायी रूप से रखे गये छप्पर को जांच के दौरान हटवा दिया गया ।

भूमि सं० 762/1 अभिलेखों में भीटा एवं तालाब के रूप में अंकित है, जो मौके पर खाली है । इसमें आम के पुराने पेड़ लगभग 40 50 वर्ष के खड़े हैं ।

वर्तमान समय में उक्त भूखण्डों में अवैध अतिक्रमण नहीं है । अतः धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई, तहसील सण्डीला के कतिपय ग्रामों में कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गयी राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि

11—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बंधुवा मऊ बहलालपुर तथा ग्राम सराय मारूफपुर, ब्लाक बेहन्दर, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गयी जमीन को राजस्व अभिलेखों में शासनादेशों के अनुसार सुरक्षित दर्ज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों की कब्रिस्तान की जमीन को अभिलेखों में कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, ग्राम गौगमऊ के सुन्दरा, बेवाराम आसरे को मृतक घोषित कर भूमि हड़पने विषयक शिकायती-पत्र

12—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित सुन्दरा, बेवा राम आसरे, ग्राम–गौगमऊ परगना–जामो, तहसील–गौरीगंज सुल्तानपुर का फैक्स दिनांक 19-2-2000 जो प्रार्थिनी को मृतक घोषित कर भूमि अपने नाम कराकर कब्जा कर फर्जी मुकदमें चलाने व तहसील कर्मी तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से अभिलेखों में हेराफेरी करने की

शिकायत से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर, तहसील खलीलाबाद, ग्राम करमाखान में चक रोड पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

13—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सन्त कबीर नगर, तहसील–खलीलाबाद के ग्राम करमा खान, वि० खण्ड सेमरियांवा में खलिहान एवं चक रोड पर रज्जाक ने अवैध ढंग से बाउन्ड्री लगाकर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को खाली करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अवैध कब्जे को हटाये जाने के संदर्भ में ज० वि० अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, तहसील घोसी, ग्राम सिकरौर में गाटा सं० 155 की भूमि आवंटन का प्रकरण

14—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–सिकरौर तहसील–घोसी, जनपद मऊ के गाटा सं०–155 रकबा 080 कड़ी भूमि परगनाधिकारी, घोसी द्वारा दिनांक 2-7-1985 को अनुसूचित जाति के श्री देव नारायण के नाम से आवास हेतु आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त आवंटी के कब्जे की भूमि को ही तहसील के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति के श्री केदार, श्री सुन्नर व श्री प्रह्लाद को माह जून, 1999 में कब्जा करा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कब्जा हटवाने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 20-11-1999 को जांच कर दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, ग्राम–सिकरौर, तहसील–घोसी, जनपद–मऊ के गाटा सं०–155 से रकबा 80 कड़ी का नहीं बल्कि 20 कड़ी भूमि का आवासीय पट्टा, दिनांक 2-7-85 को श्री देव नरायण पुत्र बरन के नाम से हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मामले में जांचोपरान्त पाया गया कि लेखपाल द्वारा उक्त आवंटी के कब्जे की भूमि पर अन्य आवंटियों को कब्जा नहीं दिलाया गया ।

इसलिए लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, तहसील घोसी, ग्राम सिकरौर में गाटा सं०-155 की भूमि का आवंटन व कब्जे की जानकारी

15—श्री काशीनाथ-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सिकरौर तहसील घोसी, जनपद मऊ में गाटा संख्या-155 के अन्तर्गत देवनरायन आदि के नाम 080 कड़ी माह जुलाई सन् 1985 में भूमि आवासीय आबादी आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त आवासीय आवंटित भूमि पर तहसीलदार घोसी, जनपद मऊ ने उक्त ग्राम के ही केदार आदि को माह जून 1991 में अनाधिकृत एवं अवैध रूप से कब्जा दिला दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु श्री राम चन्द्र, निवासी-सिलौली मऊ के दिनांक 20-11-99 व 28-1-2000 के पत्र जिलाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

जून, 1999 में उक्त आवंटियों को आवंटित भूमि पर केदार आदि को कब्जा नहीं दिलाया गया है बल्कि गाटा संख्या-155 नवीन परती की खाली भूमि पर कब्जा दिलाया गया है, क्योंकि केदार आदि भी इसी गाटा संख्या-155 में आवंटी हैं ।

जी हां ।

चूंकि देवनरायन आदि की आवंटित भूमि पर केदार आदि को कब्जा नहीं दिलाया गया है, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के कतिपय ग्रामों के व्यक्तियों को फर्जी प्रविष्टियों के अनुसार आवंटित पट्टे का निरस्तीकरण

16-श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह तथा इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह, निवासी ग्राम गंगऊ ठाकुर एवं श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री मुरली ब्राह्मण, निवासी ग्राम जरहा, गोकरन पुत्र श्री भीखा मुराऊ निवासी ग्राम गंगऊ, ब्लाक बेंहदर तहसील सण्डीला, जिला हरदोई को 122 बी-4 में पट्टा किया गया है ? क्या यह सभी आवंटी सवर्ण जाति के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमित तरीके से किये गये उक्त पट्टे को निरस्त करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं । गाटा संख्या-106 रकबा 2-0-0 पर विजय बहादुर सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह निवासी गंगऊ व गाटा संख्या-117 रकबा 2-11-0 पर भगवान देवी पत्नी मुरली निवासी ग्राम जरहा व

गाटा संख्या–68 रकबा 3-13-0 पर गोकरन पुत्र भीखा का नाम फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर उक्त व्यक्तियों के नाम अंकित किया जाना पाया गया ।

श्री विजय बहादुर सिंह व इन्द्रपाल सिंह एवं श्रीमती भगवान देवी सामान्य जाति तथा श्री गोकरन पिछड़ी जाति के हैं ।

उप संचालक चकबन्दी, हरदोई के आदेश दिनांक 28-2-2000 के अन्तर्गत फर्जी प्रविष्टियां निरस्त की जा चुकी हैं । उप जिलाधिकारी के आदेश का संदर्भ देते हुए नामान्तर बही पर फर्जी आदेश अंकित करने हेतु तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो श्री मूल नरायन प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं, जो दिनांक 30-11-93 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं श्री मूल नरायन तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम जरहा के निवासियों को भूमि के पट्टे को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर कब्जा देने की मांग

17–श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जरहा, ब्लाक बेंहदर, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के निवासियों को किये गये भूमि को पट्टे की अमल दरामद कराकर कब्जा दिलाने विषयक अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०), हरदोई का पत्रांक 854/भूमि आवंटन/99-2000 दिनांक 19 जनवरी, 2000 चकबन्दी अधिकारी, बेहन्दर सण्डीला, जिला हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित आवंटियों की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा कर उनको कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त आवंटियों की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर कब तक कब्जा दिला देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अपर जिला विकास अधिकारी (स०का०) हरदोई के पत्र सं०–854/भूमि आवंटन/99-2000 दिनांक 19 जनवरी, 2000 द्वारा ग्राम जरहा परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के दस व्यक्तियों को वर्ष 1985 में दिये गये पट्टों को पट्टाधारकों के नाम चकबन्दी अधिकारी, बेंहदर के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं०–737 अन्तर्गत धारा 12 जा०च० अ० में दिनाक 29-4-2000 को पारित आदेशानुसार सभी दस पट्टेदारों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है तथा अमल दरामद कराकर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनपद सीतापुर, तहसील सिधौली, ग्राम गढ़ खैरया के श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल को धारा 122 बी (4) के अन्तर्गत देय लाभ का समाप्तीकरण

18–श्री जगदीश नरायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़ी खैरया तहसील सिधौली जनपद सीतापुर के खसरा संख्या 618 रकबा 0.98 एकड़ (0.397 हेक्टेयर) भूमि श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल अनुसूचित जाति (पासी) को वहां के ग्राम प्रधान तथा लेखपाल की सिफारिश पर तथा उनके 10 साल के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये परगनाधिकारी सिधौली द्वारा दिनांक 30-6-97 को धारा 122बी (4) के अन्तर्गत पट्टा किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त पट्टे को परगनाधिकारी सिधौली द्वारा दिनांक 26-11-99 को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकरण में दोषी परगनाधिकारी सिधौली (सीतापुर) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त पट्टा निरस्त करने

की कार्यवाही को अवैध मानते हुये उक्त श्री विवेक कुमार को पुनः पट्टा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । प्रकरण में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 122 बी (4) एफ के अन्तर्गत लाभ दिया गया था ।

धारा 122 बी (4)-एफ के अन्तर्गत दिया गया लाभ अनियमित पाये जाने पर न्यायालय कलेक्टर के आदेश दिनांक 18-9-99 के क्रम में परगनाधिकारी, सिधौली द्वारा उक्त विनियमितीकरण को समाप्त किया गया है ।

कार्यवाही अनियमित होने के कारण ।

वर्णित स्थिति में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील टाण्डा के कथित ग्राम मांझा की भूमि के संबंध में पत्र

19–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मांझा की भूमि खाता क्रमांक 20, 180, 184, तथा 111 के नक्शे में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इन पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के प्रभावित किसानों का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 13-3-2000 को प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मांझा नाम का कोई ग्राम तहसील टाण्डा के अन्तर्गत नहीं है ।

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम से सुपरवाइजर कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त श्री राम पाल सिंह के समस्त देय धनराशि के भुगतान की मांग

20–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व० श्री विश्राम सिंह जुलाई, 1996 में तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई से सुपरवाइजर कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उनके समस्त देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक को पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण उपार्जित अवकाश एवं वर्ष 1996 का पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर समस्त देयों का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है । श्री राम पाल सिंह के सामान्य भविष्य निधि में कुल जमा धनराशि का 90 प्रतिशत अर्थात् रु० 77,867/- का भुगतान भी कर दिया गया है । शेष 10 प्रतिशत के भुगतान का प्राधिकार पत्र निर्गत

करने हेतु महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ० प्र०, इलाहाबाद से अनुरोध किया गया है । प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही शेष 10 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई देय बकाया नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य भविष्य निधि का शेष 10% का भुगतान प्राधिकार पत्र महालेखाकार से प्राप्त होते ही कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया, ग्राम गनेशीपुर कछार का बन्दोबस्त अभिलेख तहसील हंडिया को उपलब्ध कराने की मांग

21–श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गनेशीपुर कछार, तहसील–हंडिया, जनपद–इलाहाबाद का बन्दोबस्त कार्य कई वर्षों पूर्व प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त बन्दोबस्त अभिलेख तहसील हंडिया इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्न से आच्छादित ग्राम गनेशीपुर कछार में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं बन्द किये जाने की शासकीय अधिसूचना जारी की जा चुकी है । तत्सम्बन्धी अभिलेखों के तहसील मुख्यालय हंडिया को वापस किये जाने के आदेश जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, इलाहाबाद को दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अतिरिक्त सूचनाधिकारी द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

22–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में नियुक्त अतिरिक्त सूचनाधिकारी श्री राम खिलावन द्वारा वन/राजस्व की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी बांदा के पत्र संख्या 1467/व्यक्तिक सहायक दिनांक 26 मार्च, 1999 द्वारा शासन को भेजी गयी है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय में वाद संख्या–13/9 अन्तर्गत धारा 4(1) पी० पी० एक्ट विचाराधीन है । अतः मा० न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में भू-सर्वेक्षण इकाइयों की संख्या व नियुक्ति अधिकारियों के विवरण की जानकारी

23–श्री आचार्य रामदेव वैश्य –

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी भू-सर्वेक्षण इकाइयां कार्यशील है तथा उनका मुख्यालय कहां-कहां है ? इन इकाइयों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 48 व 49 के अन्तर्गत कितनी इकाइयों में सहायक अभिलेख अधिकारियों की शासन द्वारा तैनाती की गयी है तथा कितनी इकाइयों में सहायक अभिलेख अधिकारियों की तैनाती शासन द्वारा नहीं की गयी है तथा ऐसी

इकाइयां कौन-कौन सी हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी समस्त इकाइयों में जिनमें सहायक अभिलेख अधिकारियों की तैनाती भू-राजस्व अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत नहीं की गयी है, में तैनाती करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 6 (छः) भू-सर्वेक्षण इकाइयां कार्यशील हैं, जिनका मुख्यालय निम्न प्रकार है :–

(1) फैजाबाद ।

(2) बहराइच ।

(3) मिर्जापुर ।

(4) उन्नाव ।

(5) गोरखपुर ।

(6) सोनभद्र ।

सभी इकाइयों में शासन द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा–49 के अन्तर्गत सहायक अभिलेख अधिकारियों की तैनाती/नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम सभा सेमरा मुतालके चिखडी की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण/कब्जा का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

24–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर परगना पश्चिम राठ के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सेमरा मुतालके चिखडी की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण तथा गलत तरीके से सार्वजनिक भूमि सम्पत्ति को निजी खाते में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह फरवरी, 2000 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा/निर्माण हटा दिया गया है तथा गलत इन्द्राज को खारिज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, परन्तु अवैध प्रविष्टि के निरस्तीकरण की कार्यवाही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर विचाराधीन है तथा पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) फैजाबाद के न्यायालय पर विचाराधीन है ।

जनपद जौनपुर, तहसील बदलापुर, ग्राम भेलपुर न्याय पंचायत जोखापुर की ग्राम समाज की भूमि श्री इकबाल अहमद के नाम आवंटित का प्रकरण

25–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम भेलपुर न्याय पंचायत–जोखापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के गाटा संख्या 109 में 1 एकड़ 14 डिसमिल जो ग्राम समाज की भूमि है, को जीतू नाविक पुत्र श्री मिरथाई नाविक एवं अन्य को वर्ष 1999 में आवंटित की गयी है ? क्या उक्त ग्राम

समाज की भूमि को श्री इकबाल अहमद ने अपने नाम रजिस्ट्री करायी है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उक्त गाटा सं० 109 में जीतू नाविक का मकान बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इकबाल अहमद के पक्ष में की गयी रजिस्ट्री को अवैध करार करते हुए आवंटित धारक के प्रति न्याय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । वर्ष 1999 में नहीं बल्कि दिनांक 3-12-1998 को जितू पुत्र मिरचाई नाविक के साथ 9 अन्य लोगों को गाटा संख्या–109 में 1 एकड़ 10 डि० (0-446 हे०) का आवंटन किया गया है ।

जी नहीं । गाटा संख्या–109 ख 1-14 एकड़ (0–462 हे०) जो पहले नवीन परती के खाते में अंकित थी, को चकबन्दी अधिकारी के द्वारा जारी परवाना अमलदरामद रूल्स 109 ए वाद संख्या–1682 धारा 9ए (2) तारीख फैसला 26-11-94 के क्रम में आवश्यक जांचोपरान्त भू-अभिलेखों में इकबाल अहमद का नाम अंकित किया गया । उक्त भूमि जरिए रजिस्ट्री इकबाल अहमद के नाम नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

चूंकि श्री इकबाल अहमद के पक्ष में भूमि रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त नहीं हुई है अतः रजिस्ट्री को अवैध करार देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि श्री इकबाल अहमद के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं हुई है । अतः रजिस्ट्री को अवैध करार करने हेतु किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर के ग्राम आमी में ग्राम सभा की भूमि का पट्टा निरस्त करने सम्बन्धी जानकारी

26—श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आमी (रानीपुर गीरन्ट) तहसील–अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को ग्राम सभा की भूमि के पट्टे को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा दिनांक 24-8-96 को निरस्त करके उक्त सम्पत्ति ग्राम सभा में दर्ज किया है ? यदि हां, तो क्या अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3-9-96 में इस भूमि को पुनः आवंटन न करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, तहसील टूण्डला की मौजा रुधऊ में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित भूमि को समतल करने की मांग

27—श्री सुशील शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं०–7 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूंडला की मौजा रुधऊ के जिन 83 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 3-3 एकड़ बीहड़ में भूमि आवंटित की गयी थी

क्या सर्वेक्षण के उपरान्त बीहड़ की उक्त भूमि को समतल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बीहड़ भूमि को समतल कराने में कितना समय और लगेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

जी हां ।

नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष-5 द्वारा विथ पोषित योजना के अन्तर्गत योजना बना कर वर्ष 1998-99 में प्रस्तुत कर दी गयी है । योजना की स्वीकृति होने पर निष्पादन सम्भव हो सकेगा ।

नाबार्ड द्वारा योजना स्वीकृत होने के उपरान्त निष्पादन कार्य प्रथम वित्तीय वर्ष के अन्दर निष्पादित करा दिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम रेवना में अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग

28—श्री राम चन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-रेवना, परगना-राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में बंजर भूमि सं० 46 पर इसी ग्राम के श्री सुरेन्द्र देव सिंह पुत्र रघुवर दयाल सिंह जबरन कब्जा कर घर बना रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं, गाटा सं०-46 स्थित ग्राम रेवना, परगना पश्चिमी राठ, तहसील-मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है । केवल गाटा संख्या-42 पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पंचायत रेवना में पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

29—श्री राम चन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर की ग्राम पंचायत रेवना की भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 13-9-1997 को 54 व्यक्तियों को कृषि आवंटन हेतु प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव में पात्र व्यक्तियों को भी अपात्र दिखाकर क्षेत्रीय लेखपाल ने राजस्व अधिकारियों को गुमराह कर पट्टा पाने से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 10-7-1998 को 54 में से मात्र 44 लोगों को ही पट्टा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव में 54 व्यक्तियों को प्रस्तावित किया गया था ।

कुल 54 व्यक्तियों में से जांचोपरान्त 41 व्यक्ति पात्र पाये गये जिनको पट्टा आवंटित किया गया । शेष 13 व्यक्तियों को अपात्र मानकर उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गयी ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील लालगंज के ग्राम मिसिरपुर में हो रहे अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

30—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील के मिसिरपुर ग्राम की साढ़े सत्ताइस बीघा भूमि जो पहाड़ अंकित है, पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम में वर्तमान उद्धरण खतौनी खाता सं० 81 फसली 1406 लगायत 1411 में आराजी सं० 169 (ख) रकबा 27-01-00 पहाड़ श्रेणी (64) जो अन्य कारण से अकृषक हो, के अन्तर्गत अंकित है । वर्ष 1999 के माह दिसम्बर में अतिक्रमण किया जा रहा था जिसे रोकवा दिया गया था तथा उनके द्वारा किये गये कब्जे हटा दिये गये हैं ।

पुराने अतिक्रमणियों द्वारा आ० नं० 169 (ख)/27-1-0 में 0-5-0 राजाराम पुत्र नन्हकू, जाति भुजा द्वारा एक कोठरी खपरैल बनाकर काबिज हैं । 0-1-0 पीर मुहम्मद पुत्र इलाही जाति नट द्वारा कच्ची कोठरी मड़हा बनाकर काबिज है । उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लालगंज, मिर्जापुर के न्यायालय में बेदखली का वाद कायम है । वाद के निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर के ग्राम भीटी की चक रोड पर कराये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

31—श्री छोटेलाल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोकी नाथ पुत्र श्री राम दास निवासी ग्राम भीटी, परगना–मिझोंडा, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर ने गांव सभा भीटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या–822/0-0-18, चकमार्ग पर अतिक्रमण करके अवैधानिक निर्माण कराया है ? क्या दिनांक 5-1-1996 को अपर तहसीलदार, अकबरपुर ने उक्त के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिये जाने तथा चकमार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

क्षतिपूर्ति की वसूली करके अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जों के प्रकरण/कार्यवाही की जानकारी

32—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की अकबरपुर तहसील में वर्ष 1999 में ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कुल 24 मामले प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध जे० एल० आर० एक्ट, 1950 की धारा–122 बी के तहत वाद पंजीकृत किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर, तहसील घाटमपुर, ग्राम धरधुआ के श्री शिव शंकर सिंह को मुकदमें में फंसाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही का विवरण

33—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–धरधुआ, थाना–सवेती, तहसील–घाटमपुर, जनपद–कानपुर के निवासी श्री शिव शंकर सिंह को गलत तरीके से मुकदमें में फंसाने एवं उन पर अनावश्यक रूप से किये गये रु० 8,100 के जुर्माने की जांच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27 मार्च, 2000 पर उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2000 को पत्रांक–1018/वी०आई०पी०/रा०मं०/2000 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को प्रकरण की जांच कराने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त, कानपुर से कराई गई । प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम–धरधुआ, तहसील व परगना घाटमपुर के लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 16-4-99 के आधार पर वाद संख्या–109 अन्तर्गत धारा–122 बी ज० वि० अधि० न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, घाटमपुर के न्यायालय में योजित हुआ । ग्राम धरधुआ के खाता संख्या–166, गाटा संख्या–184, रकबा–3.022 हे० में से 162 वर्ग फुट पर शिवशंकर निवासी ग्राम धरधुआ ने अनाधिकार कब्जा कर लिया था शिवशंकर के विरुद्ध 49 "क" का नोटिस जारी किया गया । शिवशंकर न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इन्हें साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा इन्हें सुनने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31-12-99 को क्षतिपूर्ति हेतु रु० 8100/- की वसूली एवं बेदखली हेतु नोटिस 49"ग" जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

यह वाद अन्तर्गत धारा–122 बी श्रेणी 6(2) आबादी ग्रामसभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण के कारण योजित किया गया था । उक्त आदेश असि० कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार घाटमपुर द्वारा 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत न्यायिक प्रक्रिया केअन्तर्गत पारित किया गया था ।

जनपद मिर्जापुर में दशम वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी, नरायनपुर आदि रोडों हेतु स्वीकृत धनराशि

34—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस०एम०पी०ए०/33-3-99, दिनांक 9 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी नरायनपुर रोड से घरवासपुर विश्वकर्मा बस्ती तक की वास्तविक लम्बाई एवं मार्ग की स्वीकृत लम्बाई क्या-क्या है ? प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है ? क्या प्रश्नगत मार्ग का निर्माण इमिलिया चट्टी–नरायनपुर रोड के "प्वाइंट" से शुरू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या स्वीकृत कार्य अन्य मार्ग पर कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की जांच के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

स्वीकृत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 1.5 कि०मी० है । इमिलिया चट्टी नरायनपुर रोड के पी० डब्लू० डी० मार्ग से अम्बेडकर भवन तक 1120 मी० एवं विश्वकर्मा बस्ती प्राइमरी पाठशाला तक 380 मी० की लम्बाई में वास्तविक लम्बाई है ।

प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु रुपये 9.00 लाख शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

स्वीकृत मार्ग इमिलिया चट्टी धरवासपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड से लगभग 200 मी० अन्दर पी० डब्लू० डी० मार्ग से कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक नरायनपुर के ग्राम धरवासपुर से चारों दिशाओं हेतु स्वीकृत पक्की सड़कों के निर्माण की मांग

35—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर ब्लाक में स्थित ग्राम–धरवासपुर पूरब–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण चारों दिशाओं से पक्की सड़क से आच्छादित है ? यदि हां, तो ग्राम–धरवासपुर में ही दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस०एम०पी०ए०/33-3-99, दिनांक 9 जुलाई, 1999 के तहत पांचवीं लेपित मार्ग इमिलिया चट्टी–नरायनपुर रोड से धरवासपुर मार्ग की स्वीकृति निर्गत करने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत जारी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त कर लेपित मार्ग से अछूते किसी अन्य गांव को उक्त धनराशि से मार्ग निर्माण करने हेतु तत्काल प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर दशम् वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जनहित में की गयी है ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार, ग्राम बरूइयां में अवैध ईंट-भट्ठा के संचालन में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–बरूइयां, परगना–हवेली, तहसील–चुनार, जिला–मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत धारा–4(2) को प्रकाशन होने के बाद गाटा सं०–140, 149 में खातेदार द्वारा अवैध रूप से ईंट–भट्ठा का संचालन किया जा रहा है ? क्या उक्त ईंट–भट्ठा गांव की आबादी से मात्र चार सौ मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के पर्यावरण पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ रहा है और फलदार फसलें नष्ट प्राय हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

प्रश्नगत प्रकरण की तत्काल समयबद्ध उच्च जांच कराकर अवैध ईंट भट्ठा के संचालन के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम- [illegible]रूइयां, परगना हवेली, तहसील–चुनार, जिला–मिर्जापुर के गाटा सं०–140 व 149 में जिला पंचायत के नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस प्राप्त किये वर्ष 1999-2000 में ईंट-भट्ठे का अवैध रूप से संचालन किया गया था ।

सम्प्रति ईंट-भट्ठा संचालित नहीं है । अतः वर्तमान में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के पर्यावरण पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ने और फलदार फसलें नष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 में अवैध ढंग से ईंट-भट्ठे के संचालन के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित किया जा रहा है, दोषी पाये जाने की स्थिति में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मिर्जापुर दशम वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी नरायनपुर रोड से कतिपय सम्पर्क मार्गों पर निर्माण की मांग

37—ई० [illegible] प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस० एम ०पी०ए०/33-3-99, दिनांक 9 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी–नरायनपुर–रोड से विश्वकर्मा बस्ती धरवासपुर सम्पर्क मार्ग के विस्तृत प्राक्कलन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो कब और किससे ? विस्तृत प्राक्कलन में क्या-क्या प्राविधान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्यारम्भ के लिये उत्तरदायी कौन हैं ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मार्ग स०प० इण्टर कालेज कोलना से धरवासपुर मार्ग के नाम से आर०ई०एस० विभाग द्वारा इण्टर कोट स्तर तक पूर्व निर्मित मार्ग पर ही निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

दिनांक 16-8-99 को जिला पचायत की विस्तृत प्राक्कलन एवं कार्य कराने की प्राविधिक स्वीकृति जिला पंचायत, मिर्जापुर से प्राप्त कर ली गयी है । विस्तृत प्राक्कलन में निम्नलिखित प्राविधान हैं :—

(1) 400 मीटर भाग में मिट्टी सी० इन्टर कोट गिट्टी टाप कोट गिट्टी एवं पेंटिंग का प्राविधान है ।

(2) 380 मीटर भाग में प्राइमरी पाठशाला धरवासपुर विश्वकर्मा बस्ती कार्टेज की मिट्टी सी० इन्टर कोट गिट्टी टाप कोट गिट्टी पेंटिंग के कार्य का प्राविधान है ।

(3) 330 मीटर भाग में इण्टरकोट एवं टाप कोट गिट्टी के साथ पेंटिंग कार्य का प्राविधान है ।

(4) 390 मीटर भाग में टाप कोट गिट्टी एवं पेंटिंग के कार्य का प्राविधान है ।

(5) 155 मीटर लम्बी रिटेनिंग वाल निर्माण का प्राविधान है ।

(6) 4 नग आर० सी० सी० पुलिया, 1 मीटर स्पेन के निर्माण का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत मार्ग पर प्राविधिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति दोलीखेड़ा का भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा सम्बन्धी जिलाधिकारी को सम्बोधित शिकायती-पत्र

38—श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति दोली खेड़ा तहसील बीघापुर, जनपद–उन्नाव का जिलाधिकारी उन्नाव को सम्बोधित पत्र दिनांक 24-9-99 जो गाटा सं०–448, 449, 450, 451, 452, 453 की भूमि रकबा 33 बीघा पर भू-माफियाओं द्वारा अनधिकृत कब्जा हटाये जाने के सबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सम्बन्धित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज के ग्राम महिमापुर में स्कूल निर्माण के पश्चात् रिक्त हुई भूमि के आवंटन की मांग

39—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महिमापुर, तहसील–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर के स्कूल स्थल के रूप में दर्ज भूखण्ड नं०–418 जो भूखण्ड नं० 331 नवीन परती बंजर भूमि में स्कूल बन जाने से रिक्त हुई है, को नवीन परती में बदल कर भूमिहीनों को आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । गाटा संख्या–331 स्थित ग्राम महिमापुर संक्रमणीय खातेदार लालजी आदि की भूमि है, स्कूल भवन गाटा संख्या–147 में बना है जो अभिलेखों में ऊसर अंकित है, गाटा संख्या–418 स्कूल फार्म हेतु सुरक्षित भूमि है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाटा संख्या–418 चकबन्दी प्रक्रिया से स्कूल फार्म के नाम सुरक्षित है जो ज० वि० अ० की धारा 122 के अन्तर्गत सुरक्षित है जिसका आवंटन नियमानुसार नहीं किया जा सकता है ।

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड लालगंज की क्षेत्र पंचायत की भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी

40—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज की क्षेत्र पंचायत की भूमि अराजी संख्या–795 पर कैलाश आत्मज ननकू भुजवां द्वारा अतिक्रमण कर उस पर मकान का

निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सच है कि प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति कायम रखने के सिविल जज के आदेश का उल्लंघन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत आराजी सं० 795 भू-अभिलेखों में श्रेणी 6(2) आबादी है जो सार्वजनिक आबादी की भूमि है । इसी आबादी पर कैलाश पुत्र मनकू भुजवा का मकान बना है और इसी आराजी के एक भाग पर विकास खण्ड का भवन भी निर्मित है जो चहारदीवारी से घिरा है । इस चहारदीवारी में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

चूंकि सार्वजनिक आबादी की भूमि है इसलिए जनसामान्य की आबादी के बावत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता !

प्रश्नगत प्रकरण में मा० न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है, अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, रिकाबगंज, नियांवा रोड, फैजाबाद का पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

41–श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तृतीय गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–180 एवं 5वें गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–15 और प्रथम सत्र, 2000 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप महानिरीक्षक के अ०शा० पत्रांक शिकायत–228/95 दिनांक 18-1-96 के अनुसार कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि तत्कालीन एस०डी०एम० हरैया ने माह अक्टूबर, 1995 में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती को अपनी गलत मंत्रणा/राय देकर श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को भूखण्ड संख्या–548 क्षेत्रफल 2 बीघा, 4 बिस्वा 2 धु० को जोतने बोने से वंचित किया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को क्षति दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–2210/87 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 8-1-1987 के वर्ष 1996 में प्रभावी रहने के कारण कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं था ।

जी नहीं ।

अभिलेखों के आधार पर कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि परगनाधिकारी, हरैया द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, बस्ती को गलत मंत्रणा/राय दी गयी है और न ही गाटा संख्या–548 से श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को कोई क्षतिपूर्ति दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में पंचायत पल्हना का गठन

42—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नव-सृजित ब्लाक पल्हना का नोटीफिकेशन हो चुका है ? यदि हां, तो क्या पल्हना ब्लाक की क्षेत्र समिति का गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

नवसृजित विकास खण्ड पल्हना के क्षेत्र पंचायत प्रमुख का निर्वाचन सम्पन्न कराकर दिनांक 17-3-2001 को क्षेत्र पंचायत के प्रमुख ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख को शपथ ग्रहण कराते हुए नियमानुसार क्षेत्र पंचायत पल्हना का गठन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया, ग्राम सभा करनपुर के बभनान कस्बा में ग्राम सभा की भूमि पर कोल्ड स्टोर का निर्माण

43–डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्रीमती विजमा यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा करनपुर, विकास खण्ड छपिया, जनपद गोण्डा के बभनान कस्बा क्षेत्र के अन्तर्गत जो कोल्ड स्टोर का निर्माण जिस भूमि पर कराया जा रहा है वह भूमि ग्राम सभा की बचत जमीन है तथा सरकारी अभिलेखों में उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा भी हुआ दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा सं० 185/1-57 ए० स्थित ग्राम करनपुर पर खातेदारिया श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी राम लखन के अंश 9.73 डि० पर उनके पुत्र ओम प्रकाश पुत्र श्री राम लखन नि० ग्राम करनपुर द्वारा कोल्ड स्टोर का निर्माण कराया जा रहा है । जिस भूमि पर कोल्ड स्टोर का निर्माण हो रहा है, वह खातेदारिया श्रीमती चन्द्रावती देवी व उनके पुत्र ओम प्रकाश की संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि थी, जो अब आबादी घोषित हो चुकी है । गांव सभा भूमि न होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद लखनऊ, तहसील सदर के ग्राम अमेठिया सलेमपुर के श्री रमेश पुत्र श्री पंचम के भूमि का प्रकरण

44–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमेठिया सलेमपुर, तहसील सदर, जनपद लखनऊ में पट्टे पर दिये गये गाटा संख्या-573-1 क पर रमेश पुत्र श्री पंचम (अनुसूचित जाति) का नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर रमेश पुत्र श्री पंचम को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम अमेठिया सलेमपुर तहसील सदर, जनपद लखनऊ की पट्टे पर दिये गये 573-1 क पर रमेश पुत्र पंचम (अनुसूचित जाति) का नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज नहीं है । उक्त भूमि

संख्या पर रमेश पुत्र पंचम का नाम दर्ज न होने के कारण कोई कब्जा नहीं दिया गया । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के असही आजमपुर में चकबन्दी कार्य के प्रगति की जानकारी

45–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम असही आजमपुर में चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ किये जाने हेतु वर्ष 1988 में गजट प्रकाशन हुआ था ? क्या यह सही है कि चकबन्दी कार्य धीमी गति से चलने के कारण उक्त ग्राम में चकबन्दी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, बल्कि धारा 4क(2) के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 11-2-89 को हुआ है ।

जी नहीं, विलम्ब का यह भी कारण है कि गांव में पार्टीबाजी के आधार पर अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी होना नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी जानकारी

47–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी हेतु स्व० श्री बलदेव प्रसाद, निवासी मोहल्ला राजगढ़ शहर लखीमपुर की भूमि कई वर्ष पूर्व अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या भूमि स्वामी को इसके मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या उक्त भूमि के मुआवजे का उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, थाना बन्थरा के ग्राम मखदूमपुर कैथी की विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

48–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–क–2 226682 दिनांक 28-1-2000 जो जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा के ग्राम मखदूमपुर कैथी, श्री बच्चू लाल, श्रीराम व होरीलाल द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा कर भूमि को जोतने बोने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न में अंकित तथ्यों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण कराया गया, ग्राम मखदूमपुर कैथी, परगना बिजनौर, तह० व जि०–लखनऊ की भूमि सं०–307 जिसका नया नं०–1014 क रकबा–8–18-10 वन विभाग के नाम वर्तमान समय में भू-अभिलेखों में अंकित है, यह भूमि–307 से रकबा 4-10-0 रमेश कुमार पुत्र गुरूदयाल, 307 स रकबा–4-10-0 हरीश कुमार पुत्र शिवराज नि० ग्राम के नाम फर्जी प्रविष्ट की गई थी जिसे चकबन्दी अधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है । परन्तु पुनः इसी न्यायालय (चकबन्दी अधिकारी) में वाद विचाराधीन है ।

इस भूखण्ड 307 नया नं०–1014 क का रकबा 8-18-10 पर गत वर्ष श्री बच्चू लाल श्री राम पुत्रगण होरी लाल व होरी लल पुत्र कल्लू द्वारा इस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया जिसका प्रबल विरोध फर्जी अंकित खातेदार रमेश कुमार व हरीश कुमार के करने पर कब्जा नहीं कर पाये ।

वर्तमान समय में उक्त विवादित भूमि पर रमेश कुमार व हरीश कुमार का कब्जा है । जिस पर फसल गेहूं बोई है । विवादित स्थल पर शांति बनाये रखने हेतु सम्बन्धित पुलिस को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

जनपद रामपुर, क्षेत्र शाहाबाद में अवैध शराब की दुकानों के कथित संचालन की जांच

49–श्री काशी राम–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र, शाहाबाद में अवैध रूप से देशी शराब व अंग्रेजी शराब की दुकानें संचालित हैं ? क्या बन्दी के दिनों में उक्त दुकानें दिन व रात खुली रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने एवं अवैध रूप से संचालित दुकानों को बन्द कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज के ग्राम सराय बद्री में चकबन्दी अनियमितताओं की जांच कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज, परगना औरास के ग्राम सराय बद्री में चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में वहां के भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री राम लाल तथा अन्य ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

वर्णित तथ्यों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज को नयी तहसील घोषित करने का विचाराधीन प्रकरण

51–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज को नयी तहसील गठित करने की सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो गयी हैं ? यदि हां, तो कप्तानगंज को कब तक तहसील घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व परिषद् की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद के शीत गृहों में आलू भण्डारण व उसके सन्तुलित बाजार भाव की जानकारी

52–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि आगरा और फिरोजाबाद जनपद के शीतगृहों में गत वर्ष का लाखों बोरा आलू किसानों का पड़ा हुआ है ? क्या यह सही है कि शीतगृह स्वामियों द्वारा किसानों से उक्त आलू को शीतगृहों से खाली कराने के कारण किसानों द्वारा आलू खुले बाजार में अत्यन्त कम दामों पर बेचना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को इस घाटे से बचाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं।

जी नहीं। इस समय बाजार में आलू का संतुलित बाजार भाव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मांग के अनुरूप रासायनिक खादों की आपूर्ति कराने तथा नकली खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

53–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की मांग के अनुरूप रासायनिक खादों यूरिया, डी०ए०पी० की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? जिससे जनपद संत रविदास नगर (भदोई) किसानों को नकली खाद दुकनों से लेने हेतु विवश होना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में नकली खाद विक्रेताओं को पकड़ने एवं उनको दण्डित करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । वर्ष 2000-2001 में प्रदेश में डी० ए० पी० एवं यूरिया उर्वरक की लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध निम्नवत् रही है :–

(लाख मै० टन में)

उर्वरक का नाम	खरीफ		रबी	
	लक्ष्य	उपलब्धता	लक्ष्य	उपलब्धता
यूरिया	24.100	25.821	22.480	25.960
डीएपी	4.500	4.961	8.784	10.923

जी नहीं, जनपद सन्त रविदासनगर में डी० ए० पी० एवं यूरिया उर्वरकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप रही है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(मै० टन में)

	99-2000		2000-2001	
खरीफ	लक्ष्य	उपलब्धता	लक्ष्य	उपलब्धता
यूरिया	15265	18022	16000	17850
डी०ए०पी०	5915	6069	5950	6560
रबी				
यूरिया	11500	14960	10700	17299
डी०ए०पी०	4620	5608	4980	5947

वर्ष 1999-2000 में नकली खाद विक्रेताओं को पकड़ने हेतु जनपद सन्त रविदास नगर में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर 1535 छापे डाले गये, 105 उर्वरक नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिये गये जिनमें 15 नमूनें अमानक पाये गये जो 12 विक्रेताओं से सम्बन्धित थे ।

दोषी पाये गये 12 उर्वरक विक्रेताओं में से दो विक्रेताओं के निबंधन प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये, दो व्यवसाइयों के निबंधन प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये, 7 विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबन्धित की गयी तथा एक विक्रेता को उसके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराकर जेल भेजा गया ।

जनपद एटा, तहसील कासगंज के ग्राम फिरोजपुर सिहोला अलियार खां के पोखर पर हुए अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

54–श्री नेतराम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के ग्राम–फिरोजपुर सिहोला अलियार खां, परगना बिलराम, तहसील कासगंज, एटा की भूमि गाटा संख्या 250/0154 पोखर पर अनाधिकृत रूप से कब्जे कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पोखर को तालाब के रूप में यथास्थिति रखने के लिये कब्जे करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त कब्जे किन-किन लोगों के हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम फिरोजपुर सिहोला अलियार खां परगना बिलराम तहसील कासगंज, जिला एटा की भूमि सं०–250/0-154 हेक्टेयर पोखर पर हुए अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है । अब पोखर

पूर्ववत् स्थिति में है। पोखर में पूर्व प्रधान निरोत्तम सिंह पुत्र नेतराम सिंह ने दीवाल बनायी थी, उन्हीं से तुड़वाकर खाली करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के 204 विकास खण्डों में स्वीकृत पदों की संख्या व ब्लाकों में उनकी नियुक्ति की जानकारी

55–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 904 विकास खण्डों में विभागीय कार्यों हेतु कुल कितने पद 31 मार्च, 1999 तक स्वीकृत थे ? स्वीकृत पदों में से कितने ब्लाकों में विभाग का स्टाफ नियुक्त है ? क्या सभी ब्लाकों में विभाग का स्टाफ नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी सभी विकास खण्डों में अगले 6 माह में विभागीय स्टाफ की नियुक्ति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

पूर्व उ० प्र० के 904 विकास खण्डों में विभागीय कार्यों हेतु कुल 184 पद दिनांक 31 मार्च, 1999 तक स्वीकृत थे। 89 विकास खण्ड उत्तरांचल राज्य में चले गये हैं। स्वीकृत पदों में से 96 ब्लाकों में विभाग का स्टाफ नियुक्त है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में न होने के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। सभी विकास खण्डों हेतु पर्याप्त संख्या में पदों की स्वीकृति न होने के कारण अगले छः माह में स्टाफ की नियुक्ति सम्भव नहीं है। उपरोक्तानुसार।

पशुपालन विभाग में उच्च पदों के सृजन की जानकारी

56–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग में कितने पद एडिशनल निदेशक एवं उप निदेशक के सृजित हैं ? कितने पदों पर अधिकारी पद स्थापित हैं एवं कितने पद इस समय रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत एडिशनल निदेशक के 3 तथा उप निदेशक व समकक्ष के 50 पद सृजित हैं।

उप निदेशक एवं समकक्ष के 48 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान में अपर निदेशक के 3 एवं उप निदेशक तथा समकक्ष के 2 पद रिक्त हैं।

जी हां।

यथा शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती ब्लाक रामनगर के ग्राम भीमापार में श्री अजोर पुत्र उदई का अनाधिकृत कब्जा हटवाने विषयक न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की जानकारी

57–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के ग्राम भीमापार की आबादी खसरा नं०–167/1 तथा 167/2 पर से श्री अजोर पुत्र उदई का अनाधिकृत कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में मु०सं०–41/2000 में जिला जज बस्ती द्वारा दिनांक 16-5-2000 को आदेश पारित किया गया

है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हाँ ।

जी हाँ, पक्षों द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन किया जा रहा है । मा० न्यायालय आदेश दिनांक 16-5-2000 के पश्चात् पक्षों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी दुग्ध संघ वाराणसी द्वारा बिना स्वीकृत कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

58–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मुन्ना–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी, दुग्ध संघ बनारस को गाजीपुर व जौनपुर दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित/सम्बद्ध किये जाने के अधिकार दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो प्रभारी, दुग्ध संघ बनारस द्वारा जौनपुर दुग्ध संघ व गाजीपुर दुग्ध संघ के कितने कर्मचारियों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्यत्र सम्बद्ध कर दिया गया है ? क्या इस अनियमित कार्य के लिये प्रभारी, बनारस दुग्ध संघ के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी हाँ ।

प्रभारी, दुग्ध संघ, वाराणसी द्वारा दुग्ध संघ, जौनपुर के 2 कर्मचारियों एवं दुग्ध संघ; गाजीपुर के 3 कर्मचारियों को प्रभारी, दुग्ध संघ, जौनपुर एवं गाजीपुर के वाराणसी कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है । उक्त के अतिरिक्त श्री अमरनाथ पाण्डेय, चालक को दुग्ध परिवहन हेतु मिल्क टैंकर पर तथा श्री श्रीराम, इलेक्ट्रिशियन की दुग्ध संघ, जौनपुर में आवश्यकता न होने के कारण उनकी सहमति से दुग्ध संघ, वाराणसी से सम्बद्ध किया गया है । प्रभारी, दुग्ध संघ, वाराणसी को उपर्युक्त अनधिकृत कार्य के लिए चेतावनी निर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहाँपुर में मछली पालकों को मत्स्य दिये जाने में की गयी अनियमितता की जाँच सम्बन्धी जानकारी

59–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन एवं मत्स्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

प्रश्नगत जाँच सहायक निदेशक, मत्स्य, शाहजहाँपुर से कराई गई । उक्त जांच के समय प्रश्नकर्ता का साक्ष्य नहीं लिया गया । प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेने के सम्बन्ध में उपनिदेशक, मत्स्य, बरेली के पत्र दिनांक 3-3-2001 में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मा० विधायक (प्रश्नकर्ता) से सम्पर्क कर

शिकायत की जांच उनके प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार गुप्ता के साथ उपनिदेशक, मत्स्य, बरेली तथा सहायक निदेशक, मत्स्य, शाहजहाँपुर द्वारा करा ली गई है । मा० विधायक के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16-2-2001 को लिखित रूप में यह दिया गया है कि अब उपरोक्त शिकायत में जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद शाहजहाँपुर विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम गौटिया धारस के ग्राम पंचायत का फर्जी प्रस्ताव/निर्माण कार्य सम्बन्धी जाँच

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–86 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौटिया धारस विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में बनाये जा रहे पंचायत घर के लिये ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गयी तथा कितने ग्राम पंचायत सदस्यों से लिखित साक्ष्य लिये गये ? क्या उपरोक्त जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रस्ताव की जांच करने हेतु आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को निदेशित किया गया था । उप निदेशक पंचायत, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा प्रकरण की जाँच दिनांक 19-10-2000, 21-10-2000 तथा 31-10-2000 को की गयी एवं 8 ग्राम पंचायत सदस्यों से लिखित साक्ष्य लिये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

61–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई विकास खण्ड बेंहदर में बहलोलपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की माँग

62–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर में बहलोलपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.5 कि०मी० कृषि मंत्री समिति से दो वर्ष पूर्व स्वीकृत होने के बाद भी उस पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हाँ ।

चयन अनुबन्ध के कार्यों पर धन अवमुक्त न होने के कारण । यथासम्भव जून, 2001 तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों एवं प्रधानों के रिक्त पदों पर चुनाव की जानकारी

63–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में इस समय ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों तथा जिला पंचायत सदस्यों के कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों का चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हाँ।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, 1961 के प्राविधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों के लिये निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है, तदनुसार रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की माँग

64–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन क्षेत्र पंचायतों में क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद रिक्त है उनके चुनाव अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के चुनाव से पूर्व करा लिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्षेत्र पंचायतों के ऐसे सभी रिक्त पदों पर जिनकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थी, पर उप निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2001 को सम्पन्न कराया जा चुका है।

लखनऊ के तहसील सदर ग्राम-अमेठिया सेलेमपुर के श्री रमेश पुत्र पंचम अनु० जाति ग्राम समाज की काबिज भूमि का पट्टा न करने में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

65–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा शासनादेश है कि किसी भूमि पर यदि अनुसूचित जाति का कब्जा है तो उसे नियमित मानकर उसका पट्टा उसे कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या ग्राम अमेठिया सेलेमपुर, तहसील सदर, जिला लखनऊ निवासी श्री रमेश पुत्र पंचम अनुसूचित जाति की भूमि गाटा संख्या–531 पर काबिज पाये जाने पर उसका पट्टा न करके उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 15 (डी०) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उ० प्र० ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122 बी (4) एफ तथा संशोधित अधिनियम, 1995 में यह व्यवस्था की गयी है कि अनुसूचित जाति का ऐसा व्यक्ति जो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आता हो, और यदि गांव सभा की ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि न हो पर कृषि कार्य करते हुए 3 जून, 1995 या उससे पूर्व से काबिज हो तो उसे उ० प्र० ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अन्तर्गत असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में विनियमित किया जायेगा।

हां, प्रश्नगत गाटा सं०–531 अभिलेखों में तालाब सम्पत्ति है। जिस पर उ० प्र० ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी (5) एफ के अन्तर्गत अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः उक्त भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित करते हुए, रुपया 500/- की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी।

उपरोक्तानुसार।

समस्त कार्यवाही न्यायिक नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आदेश पारित हुआ है । अतः किसी के दोषी होने का कोई आधार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, ग्राम सभा अतरहर के ग्राम प्रधान द्वारा शासकीय धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही की मांग

66–श्री उदयराज–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-2000 जो विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजा गया था और जिसमें जनपद रायबरेली ग्राम सभा अतरहर के ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता, एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर शासकीय धन के दुरुपयोग संबंधी शिकायत थी, समस्त संलग्नकों सहित मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी, जिसमें ग्राम सभा–अतरहर में कराये गये कार्यों में रु० 18145/- की धनराशि का दुरुपयोग पाया गया । दुरुपयोग की गई धनराशि में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी बराबर के दोषी पाये गये हैं, जिसकी वसूली के लिए आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री काशीराम–

[1ले सोमवार में अता० प्र० सं०–139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

68–श्री काशीराम–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सड़क निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

69–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०/37277/प्रतापगढ़/ 2000, दिनांक 13-9-2000 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ के लिए मण्डी परिषद् से सड़क निर्माण कराने तथा अन्य विकास कार्यों को कराने के संबंध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हाँ ।

मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण नवीन कार्यों की स्वीकृति दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं हो सका है । भविष्य में अवश्य प्रयास किया जायगा ।

जनपद-फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर के ग्राम-रेवना के श्री बिन्देश्वरी यादव पुत्र श्री महाराज सिंह यादव द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की माँग

70–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूखण्ड संख्या–46, दो बीघा 2 बिस्वा, 10 धुर ग्राम समाज सम्पत्ति ग्राम रेवना, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद पर उक्त ग्राम के श्री बिन्देश्वरी यादव पुत्र महराज सिंह यादव ने अवैध कब्जा कर मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हाँ ।

जी हाँ ।

श्री बिन्देश्वरी यादव के पिता के नाम 4 विस्वा कृषि हेतु पट्टा हुआ है । जिस पर श्री विन्देश्वरी प्रसाद द्वारा खेती की जा रही है । रकबा 11 धुर पर बोरिंग कराकर कच्चा कमरा बनाकर छप्पर रख लिया है । गाटे के 2 बीघा, 1 विस्वा, 19 धुर पर विभिन्न प्रकार के पेड़ मौजूद है । श्री विन्देश्वरी प्रसाद द्वारा किये गये अवैध कब्जे की बेदखली हेतु न्यायालय तहसीलदार मिल्कीपुर के यहाँ बाद सं०–553 अन्तर्गत धारा 122 बी०जमी०वि०अधि० विचाराधीन है । जिसमें तारिख पेशी 14-3-2001 नियत है । बाद निस्तारित होने के बाद ही बेदखली की कार्यवाही निर्णयानुसार होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम सभा-पिण्डरा करनाई के ग्राम प्रधान के द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितता के प्रकरण का निस्तारण

71–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं०–154 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में चल रहे वाद का निस्तारण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

दिनांक 15-7-2000 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील-गौरीगंज के ग्राम-गरथोलिया के श्री राम गनेश यादव के पत्र पर पट्टे निरस्त करने सम्बन्धी प्रकरण

72–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–62 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में लेखपाल के निलम्बन के साथ-साथ उसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को किये गये फर्जी पट्टों को भी निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन पट्टों को निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पट्टे के निरस्तीकरण का वाद चला था जिसमें पट्टे फर्जी नहीं पाये गये । अस्तु पट्टो को निरस्त नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टा निरस्तीकरण के संबंध में वाद मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर के न्यायालय में वाद संख्या–83/748/1-9-94 अन्तर्गत धारा 198 (4) ज०वि०अधि० ग्राम-गरथोलिया राम समुझ आदि बनाम श्रीमती सीतावती चला था, वाद दिनांक 11-11-1998 को निरस्त कर दिया गया है । इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के न्यायालय में निय० संख्या–251/669 अंतर्गत धारा 333 ज० वि० अधि० विरुद्ध आदेश दिनांक 7-12-77 पारित द्वारा अपर कलेक्टर सुल्तानपुर वाद संख्या 47/37/75 अंतर्गत धारा 198(4) ज०वि०अधि० आराजी स्थित ग्राम गरथोलिया शिव प्रसाद बनाम रामकृपाल आदि दायर की गयी जो दिनांक 22-2-1979 को स्वीकार करने की संस्तुति के साथ मा० न्यायालय राजस्व परिषद् को संदर्भित की गयी । उक्त निगरानी मा० न्यायालय राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 4-3-83 के अंतर्गत निरस्त कर दी गयी है । इस प्रकार पट्टे यथावत् है ।

लखनऊ के उप निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान के मुख्य तकनीकी अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच की माँग

73–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरपाल सिंह विधायक का पत्र दिनांक 28-6-2000 जो उप निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ कार्यालय में तैनात मुख्य तकनीकी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं, किन्तु मा० सदस्य का प्रश्न में उल्लिखित आशय का पत्र दिनांक 3-7-2000 प्राप्त हुआ है । निदेशक, पशुपालन से जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

जांच सम्प्रति प्रचलित है ।

निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ में की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

74–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा विधायक का पत्र सं०–263/2000, दिनांक 27-6-2000 जो निदेशक, पशुधन विभाग उ० प्र० लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित आशय का मा० विधायक का पत्र संख्या–264 दिनांक 12-6-2000 प्राप्त हुआ है ।

तत्कालीन निदेशक, पशुपालन स्थानान्तरित हो चुके हैं, तथापि उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, विकास खण्ड सरोजनीनगर के मोहान रोड से फतेहगंज मार्ग के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

75–श्रीमती विजमा यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में बनी मोहान रोड से ऐन होते हुए नरायनपुर फतेहगंज मार्ग से जोड़ने हेतु मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्ग के अन्तिम चरण लगभग 02 किमी० का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है जिससे शासन का इतना धन लगने के बाद भी उक्त धन से निर्मित सड़क का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग के अवशेष 02 किमी० का भी निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति बन्थरा की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर ही अवशेष कार्य पूर्ण कराने हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया के ग्राम प्रधान करनपुर द्वारा वैध पट्टे का आवंटन

76–श्री विश्वनाथ, श्री ज्वाला प्रसाद यादव तथा श्री रमेश राही

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–48 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा श्री भोला पुत्र विशेशर के नाम 12 एकड़ (लगभग 50 बीघे) का पट्टा अवैध एवं फर्जी रूप से करके उसका हस्तानान्तरण अपने परिवार के नाम कराकर उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसके खिलाफ अवैध पट्टा करने एवं पद का दुरुपयोग करने के मामले का मुकदमा दायर करके कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम प्रधान द्वारा आवंटी भोला पुत्र विषेशर अनुसूचित जाति के नाम मात्र 0–12 डिसमिल (0-049 हेक्टेयर) का ही पट्टा किया गया था जिस पर आवंटी स्वयं काबिज है और कृषि कार्य कर रहा है ।

वैध पट्टा होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में नहर मार्ग को पक्का कराने की मांग

77–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ को विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए मण्डी परिषद् द्वारा 6 कि०मी० नहर मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में शासन के आदेश संख्या–1050/12-5-98 कृषि–5 दिनांक 31-3-98 तथा विशेष सचिव, कृषि के अर्द्ध० शासकीय पत्रांक 84/12-5-98 तथा विशेष सचिव, कृषि के अर्द्ध० शासकीय पत्रांक 84/12-5-98 दिनांक 3-2-99 का अनुपालन करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ करने की तिथि क्या है और उक्त कार्य को कब पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्य यथासम्भव शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुभव के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान

78–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए किन-किन अर्हताओं का होना आवश्यक है ? क्या यह सही है कि विभागीय नियमों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अपर निदेशक के पद पर दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या डा० एम०एम० सिन्हा वर्तमान कार्यकारी निदेशक (मैदानी क्षेत्र) की नियुक्ति के संबंध में उक्त नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विभाग में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 के नियम–5(4) के अनुसार सेवा में निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पद पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति का प्राविधान है ।

जी हां ।

डा० एम० एम० सिन्हा की उक्त पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जी हां ।

पात्रता क्षेत्र में अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर की कथित ग्राम सभा में श्री मित्रसेन यादव व उनके परिवार द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जानकारी

79–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भिटारी, ग्राम सभा हूंसेपुर तथा ग्राम सभा कल्यानपुर केवटानी, तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद लोक निर्माण की सड़क के किनारे ग्राम समाज भूमि पर भूखण्ड संख्या–41 व 46, 64 व 65 तथा 5 व 6 पर उक्त गांव के श्री मित्रसेन यादव उनकी पत्नी शिवकली यादव उनके लड़के आनन्दसेन यादव ने अवैध रूप से मकान, दुकान, भट्ठा व अपना निजी विद्यालय बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सभा भिटारी, हूसेपुर तथा कल्याणपुर केवटानी, तहसील–मिल्कीपुर, जनपद–फैजाबाद लोक निर्माण सड़क के किनारे स्थित वांछित भूखण्डों के संबंध में विवरण निम्नवत् है :–

भूखण्ड सं०–41/1-9-0 में श्री मित्रसेन यादव उनके परिवार द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है । गाटा सं०–46/5-2-6 में श्यामकली बालिका विद्यालय जो श्री मित्रसेन यादव की पत्नी के नामकरण पर स्थापित है, के नाम क्षेत्रफल 400 आरक्षित कर दिया गया है । इस गाटे में शेष सभी भवन सरकारी हैं । गाटा सं०–64/.486 एवं 65/.184 जलमग्न भूमि है । जिसमें पानी भरा है । कोई अवैध कब्जा नहीं है ।

गाटा सं०–5 व 6 सेनई गाटा संख्या–66/.253 एवं 65/0.139 बना है । वर्तमान में इस पर किसान इण्टर कालेज कल्याणपुर का भवन निर्मित है । विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध धारा–122 बी० के अन्तर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है । जिसमें तारीख पेशी 24-2-2001 नियत है ।

गाटा सं०–5 व 6 के संबंध में 122 बी० के अन्तर्गत वाद निस्तारित होने के बाद ही बेदखली की कार्यवाही होगी ! शेष गाटों के सम्बन्ध में किसी बेदखली की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चक मार्गों, चरागाहों व कब्रिस्तानों पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोकने की मांग

80–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकमार्गों, चरागाहों तथा कब्रिस्तानों पर किये जा रहे अवैध कब्जों को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सतत की जाती है तथा समय-समय पर अभियान भी चलाये जाते हैं । अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड के साथ ही कारावास का भी प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, तहसील केराकत के ग्राम केवटी वीरमपुर के चक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की मांग

81–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में तहसील केराकत के ग्राम केवटी वीरमपुर, चन्डी मन्दिर से वीरमपुर अनु० जाति बस्ती मार्ग, एवं प्रधानपुरवासी बस्ती चक मार्गों पर हुये अतिक्रमण को हटाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम केवटी (वीरमपुर) चण्डी मन्दिर से वीरमपुर अनुसूचित जाति बस्ती मार्ग पर चक मार्ग सं०–308 व 280 की पैमाइश करके चकमार्ग मौके पर खाली करा दिया गया है तथा ग्राम प्रधानपुर के चकमार्ग सं०–853 व रास्ता सं० 953 की पैमाइश कराकर पत्थर गड़वा दिया गया है । वर्तमान में प्रश्नगत चकमार्गों पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

जनपद जौनपुर के जिला पंचायत के बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कार्य

82–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृति प्रस्तावों पर डी०आर०डी०ए० की बैठक में पुनः परीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि जनपद जौनपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के प्रस्तावों को जिला पंचायत द्वारा पारित होने के बाद भी उन पर कार्य नहीं शुरू कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, जिला पंचायत जौनपुर की बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक गौरीगंज के ग्राम रमईपुर का क्षेत्र पंचायत अरगवां सम्पर्क मार्ग की धनराशि की वसूली के आदेश

83–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–56 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत कार्य को पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अवशेष धनराशि रुपये 15,501.00 की वसूली राजस्व के बकाए की भांति करने हेतु आर० आर० सी० दिनांक 20-10-2000 को तहसीलदार, गौरीगंज द्वारा की गयी है ।

जनपद सुल्तानपुर के मुख्य अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी को सम्बोधित पत्र में गोरियाबाद के गौतमगढ़ी की सड़क निर्माण के तकनीकी परीक्षण की जानकारी

84–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 4थें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–130 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत धन से मानक के अनुरूप बनाया गया है ? क्या इस पर हुए व्यय का तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, गोरियाबाद से गौतमगढ़ी की पंचायत निधि से बनायी गयी सड़क की शिकायत की जांच जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर के द्वारा की गयी । निर्माण कार्य मानक एवं प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवर अभियन्ता, जिला पंचायत पीलीभीत स्व० श्री ऋषि शर्मा की पत्नी द्वारा पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत न करने सम्बन्धी प्रकरण

85–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3सरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नगर्ता के अता० प्र० सं०–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्रीमती शर्मा से पेंशन प्रपत्र प्राप्त कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं, श्रीमती राधा शर्मा, पत्नी स्व० श्री ब्रह्म ऋषि शर्मा, तत्कालीन अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा अभी पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज के ग्राम गौरियाबाद श्री कल्लू पुत्र राम सुख को बैंक ऋण की वसूली की रसीद न दिये जाने की जांच

86-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में दिनांक 02-5-2000 को तहसील दिवस में शिकायत क्रमांक-9 पर अंकित श्री कल्लू पुत्र राम सुख, ग्राम-गौरियाबाद, तहसील-गौरीगंज की शिकायत, जो हल्का अमीन द्वारा बैंक ऋण की वसूली की रसीद न देने की जांच कारने के संबंध में था, की किसी अधिकारी ने जांच किया है ? यदि हां, तो जांच के बाद उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

श्री कल्लू पुत्र रामसुख ग्राम गोरियाबाद के तहसील दिवस के प्रार्थना-पत्र क्रमांक-9 की जांच प्रशासनिक अधिकारी तहसील गौरीगंज द्वारा कराई गयी ।

जांच में प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायत सही नहीं पायी गयी इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम सभा सोनहिल में चकरोड व कुआं नक्शे में न दर्शाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

87-श्री विश्वनाथ

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-157 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबादी भूमि 1247 में कोई कूप (कुआं) पहले से बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह कूप (कुआं) चकबन्दी के पूर्व का है ? यदि हां, तो क्या चकरोड इसके पूर्व दिशा में है अथवा पश्चिम दिशा में है ? क्या यह सही है कि उक्त कुएं को राजस्व विभाग के नक्शे में दर्शाया नहीं गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम सोनहिता में चकरोड जोत लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

88-श्री विश्वनाथ

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के द्वितीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनहिता, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर में जिन-जिन लोगों ने चकरोड जोत लिया है, उनके क्या-क्या नाम हैं ? क्या उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली का वाद 120 बी ज०वि०अ० के अन्तर्गत दर्ज करके संबंधित व्यक्तियों को चकरोड से बेदखल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम में जिन-जिन लोगों ने चकरोड जोत लिया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

तिलकधारी, लाल बिहारी, लालता प्रसाद व शिव कुमार पुत्रगण राज नारायण, बनवारी पुत्र बलीकरण, सीताराम व राजाराम पुत्रगण खरधारी, पारस नाथ, अशोक कुमार, राम सिंह व अमरनाथ सिंह पुत्रगण लक्ष्मी ननारायण, दिवाकर लाल व रत्नाकर पुत्रगण राज बहादुर ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम सोनहिता का मानचित्र, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से प्राप्त होने सम्बन्धी जानकारी

89–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछली शहर के ग्राम सोनहिता में चकबन्दी प्रक्रिया के समापन की अधिसूचना उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम के धारा–52 के अन्तर्गत 1984 में प्रकाशित हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का नक्शा (मानचित्र) मुद्रित होकर राजकीय मुद्रणालय रुड़की से प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

राजकीय प्रेस रुड़की द्वारा अभी भूचित्रों को प्रिन्ट करके उपलब्ध न कराये जाने के कारण । प्रकरण में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । राजकीय प्रेस रुड़की से विलम्ब के कारण की जानकारी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में खाद अपमिश्रण के नमूनों का रासायनिक परीक्षण

90–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सहारनपुर में जनवरी, 1998 से 1 सितम्बर, 2000 तक कितने खाद विक्रेताओं के विरुद्ध खाद अपमिश्रण के मामले प्रकाश में आये हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में यूरिया खाद, डी०ए०पी० खाद, सुपर पोटाश के कितने नमूने लिए गए हैं ? क्या उन नमूनों का रासायनिक परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अपमिश्रण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन उर्वरकों के कुल 401 नमूने यथा–यूरिया–51, डी० ए०पी०–237, सिंगिल सुपर फास्फेट–45 एवं पोटाश के 68 नमूने ग्रहित किये गये ।

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में इन उर्वरकों के कुल 401 नमूनों के परीक्षण परिणाम निम्नवत् हैं :–

उर्वरक	कुल ग्रहित परीक्षण कराये गये नमूने	परिणाम	
		मानक	अमानक
यूरिया	51	49	2
डी०ए०पी०	237	222	15

उर्वरक	कुल ग्रहित परीक्षण कराये गये नमूने	परिणाम	
		मानक	अमानक
सिंगल सुपर	45	26	19
फास्फेट पोटाश	68	59	9
योग :	401	356	45

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड सुहावल एवं मसौदा में आम फल पट्टी क्षेत्रफल में ईंट भट्ठों के लाइसेन्स की जानकारी

91–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड सुहावल एवं मसौदा के किन-किन गांवों को आम फल पट्टी घोषित क्षेत्रफल में ईंट भट्ठे का लाइसेन्स जारी किया गया है ? क्या घोषित आम फल पट्टी क्षेत्र में ईंट भट्टा चलाया जाना नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो उक्त हेतु दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील मुरादाबाद के ग्राम दौलतपुर, अजमतपुर में बाढ़ से कटे ग्राम बासियों कोआपसी समझौते के अन्तर्गत बसाये जाने का प्रकरण

92–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर, अजमतपुर, तह० व जिला–मुरादाबाद की कुल 11 एकड़ कृषकों की भूमि वर्ष 1964 में अधिग्रहीत करके उसमें बाढ़ से कटे ग्राम रसूलपुर नगली को बसाया गया था ? क्या कृषकों को अभी तक उक्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कृषकों को मुआवजा दिलाने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बाढ़ प्रभावित ग्राम–रसूलपुर नगली, तहसील–मुरादाबाद के विस्थापितों को वर्ष 1964 में ग्राम–दौलतपुर अजमतपुर के कृषकों की भूमि पर ग्रामवासियों केआपसी समझौते से पुनर्वासित किया गया था । भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था ।

भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के कारण मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला व तहसील मुरादबाद के ग्राम लालटीकर, एहतमाली में नियम विरुद्ध कराये गये चकों का परीक्षणोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन

93–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लालटीकर–महेशनगली, एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद की चकबन्दी में सहायक चकबन्दी अधिकारी, पण्डित नगला ने बिना किसी नियम व कानून के कुल 359 चक बनाये हैं ? क्या उसमें से 180 चक बिना नम्बर के हैं ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध बनाये गये चकों को ठीक करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम में धारा–23 के अन्तर्गत कुल चकदारों की संख्या 359 है, इनमें से 20 चकदारों की भूमि चकबन्दी क्रियाओं से पृथक है, शेष 339 चकदारों में से 309 चकदारों को एक-एक चक एवं 30 चकदारों को दो-दो चक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किये गये ।

152 चकदारों कोबिना मूल जोत की भूमि पर चक प्रदिष्ट किये गये हैं ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक निर्माण के विरुद्ध चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में प्राप्त चक अपीलों का निस्तारण बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा चुका है । इसी प्रकार उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में प्राप्त निगरानियों का निस्तारण उप संचालक चकबन्दी द्वारा दिनांक 29-12-99 को किया जा चुका है ।

परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर पशु चिकित्सालय, बिल्थरा रोड पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी

94–श्री अफजाल अहमद–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर पशु चिकित्सालय, बिल्थरा रोड पर कितने चिकित्साधिकारी वैक्सीनेटर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी अस्पताल पर कभी नहीं बैठते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल पर वीर्य, दवाओं, आदि की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में दवाओं, वीर्य तथा अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर पशु चिकित्सालय में एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक पशु औषधिक, एक पशुधन प्रसार अधिकारी तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं ।

जी नहीं । तत्कालीन पशु चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से अस्पताल पर उपस्थित रहते थे।

सम्प्रति तत्कालीन पशु चिकित्सा अधिकारी डा० रवीन्द्र मोहन प्रसाद प्रोन्नति के फलस्वरूप उप निदेशक के पद पर पदस्थ हैं तथा पशु चिकित्सालय का प्रभार डा० राम अचल को दिया गया है ।

जी नहीं । उक्त अस्पताल हेतु आवश्यकतानुसार नियिमित रूप से वीर्य, दवाओं आदि की आपूर्ति की गयी है । अतएव दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज, परगना निगोहा, कुरौली मजरा गोविन्दपुर में सार्वजनिक मार्ग को बन्द करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

95–श्री उदयराज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–2–209302 दि० 14-9-2000 जो जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज, पगरना निगोहा, कुरौली मजरा गोविन्दपुर में

सार्वजनिक मार्ग को गांव के दबंग लोगों द्वारा बन्द कर देने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजस्व परिषद्, उ० प्र० के अवर वर्गसहायकों के विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी

96–श्री रामतेज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद्, उ० प्र० कार्यालय में वर्ष 1983 से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों को 18 वर्ष की अनवरत सेवा करने एवं विभाग में पद रिक्त होने पर भी विनियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसका दुष्प्रभाव उनकी प्रोन्नति पर पड़ रहा है? यदि हां, तो विनियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

क्योंकि वर्तमान में कोई सुसंगत नियमावली नहीं है ।

राजस्व परिषद् द्वारा नियम विरुद्ध स्थानापन्न प्रोन्नतियां की गयी हैं, जिसके संबंध में उनसे उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । सम्प्रति विनियमितीकरण हेतु कोई नियमावली उपलब्ध नहीं है । उपरिवर्णित तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

राजस्व परिषद्, उ०प्र० के सहायक अधीक्षक का वेतनमान प्रवर वर्ग सहायकों से कम की विसंगतियों को दूर करने की मांग

97–श्री रामतेज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद्, उ० प्र० में सहायक अधीक्षक का वेतनमान चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त प्रवर वर्ग सहायक के वेतनमान से कम कर दिया गया है ? क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर न किए जाने के क्या कारण हैं ? इस विसंगति को कब तक दूर कर लिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

श्री जे० एल० बजाज की अध्यक्षता में गठित वेतन समिति के समक्ष उक्त प्रकरण को प्रस्तुत किया गया था । बजाज वेतन समिति की अन्तिम संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं । उक्त संस्तुतियों पर निर्णय लिया जाना वित्त विभाग के विचाराधीन है ।

इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी के ग्राम सभा पकड़ी के ग्राम सेमरी में दुकानों के निर्माण का प्रकरण

98–श्री दया शंकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी के ग्राम सभा पकड़ी के ग्राम सेमरी में नहर के किनारे ग्राम समाज की जमीन पर रामलाल व विश्वनाथ द्वारा अवैध रूप से

कब्जा करके दुकानों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों व्यक्ति जनपद सन्तकबीर नगर के निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटवाकर उक्त ग्राम समाज की जमीन ग्राम सभा को सुपुर्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) ग्राम सभा का नाम "मिया पकड़ी" है । प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की नहीं है । रामलाल व विश्वनाथ द्वारा दुकानों के निर्माण का कथन सत्य है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अवैध कब्जा नहीं है, अतएव उसे हटवाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली, तहसील नवाबगंज के निवासी श्री सुखलाल पुत्र श्री बांके लाल के प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

99–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000, जो मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट पीटीशन सं०–2480 एस०एस०/1999 निर्णय दिनांक 29-8-2000 सुखलाल पुत्र श्री बांकेलाल नि० खजनपुर खंजनिया तहसील नवाबगंज जिला बरेली बनाम स्टेट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी बरेली द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सीजनल अमीनों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जा रही है ।

100–डा० ज्ञानवती सिंह–

[1ले सोमवार में अता० प्र० स०–138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम इन्देमऊ में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में एक पशु चिकित्सालय को खोले जाने विषयक श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

वर्ष 2001-2002 की जिला योजना में प्रश्नगत स्थान पर पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु उक्त समिति की बैठक में धनाभाव के कारण इसे अनुमोदित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील बस्ती के ग्राम मझौआमीर के चकबन्दी कागजात की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

102-श्री राम ललित चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 2000 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र जो जनपद व तहसील बस्ती के ग्राम-मझौआमीर के चकबन्दी कागजात की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

ग्राम मझौवामीर का अभिलेख गायब करने के संबंध में सम्बन्धित चकबन्दी लेखपाल श्री मो० असलम को दिनांक 14-7-2000 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ग्राम मोहनपुर मजरा टेनी में ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103-श्री रमेश राही-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम-मोहनपुर मजरा टेनी में श्री गोकुल के लड़कों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 12-11-2000 को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उपजिलाधिकारी सदर हरदोई द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हां ।

दिनांक 12-11-2000 को ग्रामवासियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त ग्राम समाज के गाटा संख्या-861मि०/0.041 हे० पर गोकुल पुत्र शंकर तथा गाटा संख्या-861मि०/0.019 हे० पर श्री शिवराम पुत्र गंगू निवासी ग्राम मोहनपुर मजरा टेनी द्वारा अवैध कब्जा करके कारखाना लगा लिया गया था, इनके विरुद्ध ज० वि० एवं भूमि व्य० अधि० की धारा-122 बी नियम 115 सी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति एवं बेदखली की कार्यवाही कर दी गयी है, जो वाद सं०-133 ग्राम सभा टेनी बनाम गोकुल तथा वाद सं०-134 ग्राम सभा टेनी बनाम शिवराम सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के बन्दोबस्त अधिकारी को जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जानकारी

104-ई० सत्य प्रकाश सोनकर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-50 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में उप संचालक, चकबन्दी, मिर्जापुर द्वारा अपनी जांच आख्या पत्रांक सं०-908/शि०प० दिनांक 30-5-2000 को चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० को प्रेषित कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त जांच आख्या में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां, उन्हें कार्यों में रुचि न लेने एवं शिथिल नियंत्रण का दोषी पाया गया है ।

जांच आख्या के आधार पर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को आरोप-पत्र दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में इमलिया चट्टी, नरायनपुर रोड से विश्कर्मा बस्ती धरवासपुर मार्ग के निर्माण में राजकीय धनराशि के दुरुपयोग विषयक शिकायती-पत्र

105–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत घरवासपुर (चुनार) जनपद मिर्जापुर के शिकायती-पत्र दिनांक 27-3-2000 के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-3-2000 के क्रम में मा० धनीराम वर्मा, नेता विरोधी दल का पत्रांक 116/ने०वि०दल/2000, दिनांक 29-3-2000 जो मिर्जापुर जनपद में इमलिया चट्टी, नरायनपुर रोड से विश्कर्मा बस्ती धरवासपुर मार्ग के निर्माण में राजकीय धन के अपव्यय/ दुरुपयोग पर रोक लगाये जाने विषयक है, सचिव पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम धरवासपुर में जोत चकबन्दी मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन कराने के निर्देश

106–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम धरवासपुर प० हवेली त० चुनार, जिला मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत रुखबन्दी कार्योपरान्त चक निर्माण का कार्य समाप्त प्राय है क्या उक्त ग्राम के प्रथम चक की चकबन्दी में गाटा सं०–178 सड़क (पुराना नं० 52) के पूरब स्थिति सम्पूर्ण भू-भाग को अचक कर दिया गया था और द्वितीय चक की चकबन्दी प्रक्रिया में उक्त भू-भाग को सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत ग्राम के चक निर्माण में चकबन्दी विभाग, उ० प्र० द्वारा राजकीय प्रयोग हेतु प्रसारित उ० प्र० जो चकबन्दी मैनुअल के परिक्षेत्र–13 (चक निर्माण) के प्रस्तर 305 व 306 पर अंकित शासनादेश सं० सी–32/जी–56/59 दिनांक 10 फरवरी, 1959 एवं शासनादेश सं० सी–496/सी–जी–17/71 दिनांक 12 मई, 1972 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । चक निर्माण का कार्य चल रहा है ।

जी हां । द्वितीय चक्र की चकबन्दी में चकबन्दी अधिकारी ने वाद सं०–989/178/1973 आदेश दिनांक 16-3-2000 द्वारा सन्दर्भित भूखण्ड 178 जिसका पुराना गाटा संख्या–52व 214 है, को चक से पृथक कर दिया है ।

उक्त ग्राम में चक निर्माण की कार्यवाही चल रही है । चक निर्माण के समय जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–305 व 306 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व ब्लाक सुल्तानपुर के ग्राम अमरावां के प्रधान के विरुद्ध की गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

107–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 2सरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–148 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में संबंधित प्रधान को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी थी तथा उससे कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये ? क्या उनका मौके पर निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब-कब तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार इस प्रकरण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की वसूली संबंधित प्रधान से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम बाबूपुर सरिया के श्री राम संजीवन पासी का बिना अनुमति विवादित भूमि बेचे जाने विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

108–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम सजीवन पासी ग्राम–बाबूपुर, सरिया, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 01-9-2000 जो विवादित भूमि को बगैर वैध अनुमति के बेच लेने की शिकायत से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विवादित भूखण्ड को उप जिलाधिकारी मु० खाना के वाद सं०–15 धारा 168(क) राज्य बनाम श्रीमती जिन्नतुल में आदेश दिनांक 13-11-2000 के द्वारा राज्य सरकार में निहित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त (न्यायिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग के कथित फसली वर्ग की खतौनी तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध न होने की जांच के आदेश

109–श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सैदपुर बुजुर्ग परगना चौमहला तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में 1377 फसली से 1385 तक की खतौनी राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि की खतौनी गायब कर दी गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली की नान जैड० ए० खतौनी 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 फसली वर्ष की तहसील अभिलेखागार में जमा होना नहीं पायी जाती है । जबकि 1380 फसली की खतौनी अभिलेखागार में उपलब्ध है ।

तत्समय कार्यरत रहे लेखपालों ने 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 फसली की खतौनियां अभिलेखागार में संचित नहीं की थीं । यह कहना गलत है कि उक्त अवधि की खतौनी गायब कर दी गयी है । वास्तविकता यह है कि तत्समय कार्यरत रहे लेखपालों द्वारा उक्त अवधि की खतौनियां तहसील अभिलेखागार में संचित ही नहीं की गयी थीं ।

सम्पूर्ण प्रकरण जांच हेतु निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर मण्डल को समाप्त करने की जानकारी

110–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर मण्डल को समाप्त करके गाजियाबाद को मण्डल बनाने पर शासन विचार कर रही है ? यदि हां, तो सहारनपुर मण्डल को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० विभाग, मिर्जापुर द्वारा विभिन्न मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित करने के अनुरोध पर भूमि उपलब्ध कराने की जानकारी

111–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, मीरजापुर द्वारा किन-किन मार्गों के लिए भूमि सुरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है ? यदि प्रश्नगत मार्गो के लिये चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत लो०नि०वि० के मानक के अनुरूप भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी तो भविष्य में प्रश्नगत सड़कों के चौड़ीकरण के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ? क्या सरकार सार्वजनिक हित में उक्त भूमि को सुरक्षित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर द्वारा निम्न मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित करने का अनुरोध किया गया है :–

1–पथरौरा से परमहंसपुरी वाया धुरहूपुर मार्ग ।

2–इण्टर कालेज कोलना से धरवासपुर बंगला मार्ग ।

3–नरायनपुर इमिलिया चट्टी से अम्बेडकर चौक धरवासपुर ।

चकबन्दी के पूर्व से मौके पर रकबा उपलब्ध है । पुरानी सड़क बनी है । कटौती से जो कमी पड़ेगी वह भूमि सड़क के लिए उपलब्ध करा दी जायेगी ।

जी हां । सुरक्षित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम पंचायत धरवासपुर के तालाब की वार्षिक किस्तों की वसूली/अवैध अतिक्रमण हटाने विषयक उप जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

112–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत–धरवासपुर, परगना हवेली तहसील–चुनार, मीरजापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-5-2000, जो ग्राम सभा के तालाब के वार्षिक किस्तों के बकाया धनराशि की वसूली एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने विषयक है ? उप जिलाधिकारी, चुनार, जिला–मीरजापुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा पत्रांक संख्या मेमो/आ०लि०–मत्स्य पालन पट्टा, दिनांक 3-6-2000 के तहत पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी/उप संचालक, चकबन्दी, मिर्जापुर को प्रेषित पत्र पर जांचोपरान्त प्रचलित विभागीय कार्यवाही

113–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–27 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के निर्देशानुसार संबंधित लेखपाल चकबन्दी की चरित्र पंजिका में सत्यनिष्ठा रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी ? यदि हां, तो कब ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित स०च०अ० एवं चकबन्दीकर्ता के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही नियत तिथि के अन्दर पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सम्बन्धित लेखपाल श्री अशोक कुमार को कठोर चेतावनी देते हुए उसका अंकन उनकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है । श्री अशोक कुमार की सत्यनिष्ठा रोकने का औचित्य नहीं पाया गया । श्री विदेशी राम, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें निन्दात्मक प्रविष्टि दी गयी । तत्कालीन चकबन्दीकर्ता सम्प्रति सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री प्रभुनाथ राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

अगस्त, 1999।

श्री विदेशी राम, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्प्रति चकबन्दीकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी तथा उन्हें निन्दनीय प्रविष्टि दी गई। श्री प्रभुनाथ राम, तत्कालीन चकबन्दीकर्ता सम्प्रति सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के सेवा निवृत्त लेखपाल के जी० पी० एफ० भुगतान के आदेश

114–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवानिवृत्त लेखपाल श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री तुलसी राम तहसील नवाबगंज, जिला बरेली को जी०पी०एफ० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भुगतान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

दिनांक 29-3-1996 को।

प्रश्न नहीं उठता।

दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश अर्ध शा० प०सं० 932/1-9-2001 दिनांक 19-3-2001 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के उपजिलाधिकारी, नवाबगंज को ग्राम मौजमनमता खालसा के ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने विषयक ग्राम प्रधान की शिकायती-पत्र

115–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी नवाबगंज, जिला–बरेली को ग्राम प्रधान श्री हुकुम सिंह व अन्य सम्भ्रान्त/ग्रामीणों का शिकायती-पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2000 जो ग्राम मौजमनमता खालसा की ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपजिलाधिकारी नवाबगंज ने दि० 21 जुलाई, 2000 को तहसीलदार नवाबगंज को गांव समाज की भूमि से कब्जा हटवाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार नवाबगंज ने अवैध कब्जादारों को बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि पर काबिज हरद्वारी लाल पुत्र मोतीराम, उमराम लाल पुत्र राम सरन तथा भूपराम पुत्र रामस्वरूप को दि० 5-4-2000 को 30 वर्षीय वृक्षारोपण पट्टा हुआ है, इस कारण इन्हें बेदखल नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत भूमि पर काबिज व्यक्तियों के नाम पट्टा होने के कारण बेदखल नहीं किया गया है।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज में उपमण्डी स्थल हेतु भूमि अधिग्रहण/निर्माण कार्य की मांग

116–श्री छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–39 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में उप मण्डी स्थल नवाबगंज में मण्डी समिति के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कर ली गई है ? यदि हां, तो उक्त उपमण्डी समिति का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति बरेली के उपमण्डी स्थल नवाबगंज के निर्माण हेतु जिला भू चयन समिति द्वारा चयनित/प्रस्तावित 5.970 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु परिषद् स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । तत्क्रम में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 10-10-2000 को निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया गया है । निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० आबकारी विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर कार्यरत उप आबकारी निरीक्षक मृतक आश्रितों के वियरण की जानकारी

117–श्री राम कृपाल–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी विभाग उ० प्र० में उप आबकारी निरीक्षक सीधी भर्ती के पदों पर तैनात कार्मिकों में से कितने कर्मचारी सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के कार्यरत हैं ? उक्त सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कर्मचारियों की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में उप आबकारी निरीक्षक (सीधी भर्ती) के कुल स्वीकृत 75 पदों के सापेक्ष वर्तमान में सामान्य वर्ग के 42, पिछड़े वर्ग के 11, अनुसूचित जाति के 04 तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के 03 कार्मिक कार्यरत हैं ।

विषयगत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कुल 38 मृतक आश्रित कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के क्षेत्र पंचायत पाली–पिपरौली के ग्राम निधि खाते से प्रतिबन्ध हटाने की मांग

118–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की तहसील–सहजनवां, क्षेत्र पंचायत पाली, पिपरौली के ग्राम पंचायतों को "ग्राम निधि" के खाते से धन निकालने पर रोक लगी है? यदि हां, तो कब तक उक्त रोक हटा ली जायेगी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । शासनादेश संख्या–3458/33-3-2000, दिनांक 26 जून, 2000 द्वारा ग्राम पंचायत निधियों से अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्ध लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है ।

शासनादेश संख्या–153/33-3-2001-167/2000, दिनांक 9-1-2001 द्वारा रोक हटा ली गयी है।

जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को गृह अनुदान की धनराशि का वितरण

119–श्री चेतराम–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–81 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील–सहजनवां के 1998 की बाढ़ से प्रभावित गृहस्वामियों को गृह अनुदान/इन्दिरा आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के कितने-कितने व्यक्तियों को ? यदि नहीं, तो उक्त सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां के वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रभावित भवनों की संख्या–3675 थी । सभी पात्र परिवारों में अनुमन्य धनराशि गृह अनुदान हेतु वितरित कर दी गयी है । आपदा राहत निधि से इन्दिरा आवास हेतु धनराशि अनुमन्य नहीं है । पात्र व्यक्तियों में वितरित राहत सहायता की सूची मा० सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के ग्राम मुआशहीद में पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान का वितरण

120–श्री चेतराम

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं०–42 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को गृह अनुदान/इन्दिरा आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अनुदान/इन्दिरा आवास कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के ग्राम सभा मुआशहीद के वर्ष 1998 का बाढ़ से प्रभावित पात्र व्यक्तियों में गृह अनुदान का वितरण कर दिया गया है । आपदा राहत निधि से इन्दिरा आवास हेतु धनराशि वितरित किया जाना अनुमन्य नहीं है ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के ग्राम मइला के कतिपय पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने की जानकारी

121–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील–सहजनवां के राजस्व ग्राम मइला के आराजी संख्या 76, 77 सीलिंग भूमि का पट्टा बुझारत पुत्र मुराली, बलिराम पुत्र छब्बू,

रामलखन पुत्र विन्ध्याचल, राम प्रसाद पुत्र रामपत एवं सुवाष पुत्र कतवारू को किया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा धारकों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त को कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

पट्टा धारकों को दिनांक 13-2-2001 को कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, नवाबगंज बीयर कम्पनी द्वारा मदिरा भेजने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने/अर्थदण्ड वसूली की जानकारी

122–श्री रामकुमार एडवोकेट

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि नवाबगंज (गोण्डा) में बीयर निर्माता कंम्पनी ने 180,600 बोतल बीयर का निर्यात 6 अप्रैल, 1998 से 24 जून, 1998 के मध्य किया था ? यदि हां, तो क्या निर्माता द्वारा 5 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर मदिरा के गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर तथा 5.24 लाख रुपये शुल्क के समतुल्य अर्थ दण्ड की वसूली किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां, सर्वश्री नारंग बिवरीज, नवाबगंज (गोण्डा) द्वारा 1,80,600 बोतल बीयर का निर्यात 6 अप्रैल, 1998 से 24 जून, 1998 के मध्य 22 पासों के अन्तर्गत किया गया था ।

पासों के अन्तर्गत भेजी गई मदिरा/बीयर के गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाने की पुष्टि हेतु विभागीय निर्देश यह है कि तीन माह के अन्तर्गत यदि निर्गत पासों की पुष्टि नहीं होती है तो इकाई के अग्रिम अभिकर में से निर्धारित अभिकर की धनराशि वसूल कर ली जाय । पासों की पुष्टि हो जाने पर इस काटी गयी अभिकर की धनराशि को पुनः इकाई के पक्ष में समायोजित कर दिया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि निर्धारित तीन माह की अवधि में पासों की पुष्टि नहीं हुई, परन्तु वांछित समस्त 22 पास सत्यापनोपरान्त दिनांक 30-9-98 से 19-2-99 के मध्य प्राप्त हो गये । अतः प्रकरण में किसी प्रकार की राजस्व क्षति निहित नहीं है और न ही किसी धनराशि की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

चूंकि प्रकरण में किसी प्रकार की राजस्व क्षति निहित नहीं है, अतः अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद हरदोई के नगर बिलग्राम में उप मण्डी स्थल के निर्माण की मांग

123–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधौगंज के क्षेत्रान्तर्गत नगर बिलग्राम में उप मण्डी स्थल का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ? सरकार कब तक बिलग्राम में उपमण्डी स्थल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

बिलग्राम में उपमण्डी स्थल निर्मित कराये जाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

मण्डी समिति का प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण ।

आगरा जिला पंचायत द्वारा मथुरा रिफाइनरी से तारकोल खरीदारी का प्रकरण

124–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत आगरा द्वारा वर्ष 1995-96 में कुल कितने रुपये का मैक्स फाल्ट (तारकोल) मथुरा रिफाइनरी से खरीदा गया था ? क्या यह सही है कि उक्त मैक्स फाल्ट (तारकोल) को अभी तक नहीं उठाया गया है ? यदि हां तो क्यों क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1995-96 में जिला पंचायत, आगरा द्वारा मथुरा रिफाइनरी से कोई मैक्सफाल्ट (तारकोल) नहीं खरीदा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, तहसील कालपी के ग्राम परासन में चकबन्दी क्रियाओं में धांधली

125–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की कालपी तहसील के ग्राम परासन में चकबन्दी क्रियाओं में की गयी गम्भीर अनियमितताओं व धांधली तथा गलत चक निर्धारण के कारण पुनः वहां चकबन्दी कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? पुनः चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सहायक बन्दोबस्ती अधिकारी, चकबन्दी की अपील संख्या–779 निर्णय दिनांक 17-10-87 द्वारा चकबन्दी अधिकारी स्तर पर पुनः चक निर्माण हेतु रिमाण्ड किया गया चकबन्दी अधिकारी स्तर पर पुनः चक निर्माण उपरान्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर दिनांक 27-11-90 को पुष्टिकरण हो गया तथा दिनांक 20-9-91 को स्थल पर कब्जा परिवर्तन हो चुका। वर्तमान में अभिलेख की जांच सहायक चकबन्दी अधिकारी के स्तर तक पूर्ण है । शिकायत की जांच हेतु अपराध अनुसंधान विभाग इलाहाबाद द्वारा आधार वर्ष खतौनी एवं खसरा सी० बी० सी० आई० डी० ने प्राप्त कर लिये हैं । अभिलेख वापस प्राप्त होने के उपरान्त चकबन्दी का अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से निकाले गये कर्मचारियों को सेवा में लिये जाने के आदेश

126–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् से निकाले गये 1200 कर्मचारियों की सेवा बहाली का आदेश मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2000 को दिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो सम्पूर्ण कर्मचारियों को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

1200 नहीं बल्कि 382 कर्मचारियों/याचीगणों को सेवा में बहाल किये जाने के आदेश मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2000 को दिये गये हैं ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचीगणों को कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश दे दिये गये हैं। मा० न्यायालय के आदेशानुपालन में योगदान कर चुके कर्मियों के बारे में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/मण्डी समितियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

मा० न्यायालय के आदेश से आच्छादित समस्त कर्मचारियों/याचीगणों को सेवा में लिये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, तहसील मड़िहान के ग्राम डढ़िया की चकबन्दी सम्बन्धी कागजात तहसील भेजे जाने की जानकारी

127–श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के अन्तर्गत ग्राम डढ़िया की चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी विभाग से कागजात तहसील में भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

जी नहीं।

30 अप्रैल, 2001 तक अन्तिम भू-चित्र की तैयारी एवं जांच का कार्य पूर्ण कराकर प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ से सेवा निवृत्त चकबन्दी अधिकारी, श्री अब्दुल समद खां के देयकों के भुगतान की मांग

128–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल समद खां पुत्र श्री हामिद अली खां सेवा निवृत्त चकबन्दी अधिकारी (अलीगढ़) ग्राम मोहम्मदगंज, चन्दौसी जिला-मुरादाबाद की याचिका सं०–2086/1996 द्वारा राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण उ० प्र० लखनऊ द्वारा दिनांक 22-4-98 को चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० आदि को 18 प्रतिशत ब्याज सहित सेवा निवृत्तीय लाभों का निर्धारण एवं भुगतान किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री अब्दुल समद खां को देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां। दिनांक 16-2-2001 को चेक सं०–ए०ए० 2603480 द्वारा रुपये 92236.00 का भुगतान कर दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सण्डीला–बांगरमऊ से कुदौरी सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण का कार्य

129–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला-बांगरमऊ रोड से 1.5 कि०मी० कुदौरी सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1996-97 में डामरीकरण हेतु स्वीकृति किया गया

था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का डामरीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयन अनुबन्ध के कार्यों पर धन अवमुक्त न होने के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था ।

माह दिसम्बर, 2000 में प्रश्नगत कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

जिला पंचायत गाजीपुर को पूर्वांचल विकास निधि की आवंटित धनराशि का उपभोग न होने पर धनराशि की वसूली की जानकारी

130–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत, गाजीपुर को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि से कुल कितनी धनराशि सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित/निर्धारित सड़कों को मानक के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है ? क्या इन सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने के उपरान्त इनके निर्माण कार्य के सापेक्ष अधिक धन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं ठेकेदारों से अधिक भुगतान की राशि की वसूली कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिला पंचायत, गाजीपुर को पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 97-98 में मु० 4.732 लाख रुपया प्राप्त हुआ था, जिसका उपभोग न होने के कारण जिलाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 13-7-2000 को वापस कर दिया गया । वर्ष 98-99 में इस योजना का कोई धन जिला पंचायत, गाजीपुर को आवंटित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत गाजीपुर को पूर्वांचल विकास निधि की आवंटित धनराशि का उपयोग न कर पाने पर पुनः आवंटन पर रोक

131–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि से कुल कितनी धनराशि सड़कों के निर्माण हेतु जिला पंचायत, गाजीपुर को आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित सड़कों को मानक के अनुरूप निर्मित करा दिया गया है क्या इन सड़कों को मानक के अनुरूप न होने के बावजूद इनके निर्माण कार्य के सापेक्ष अधिक धन भुगतान किये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाए गये अधिकारियों एवं ठेकेदारों से अधिक भुगतान की राशि वसूली कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिला पंचायत, गाजीपुर को पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 97-98 में मु० 4.732 लाख रुपया प्राप्त हुआ था, जिसका उपभोग न होने के कारण जिलाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 13-7-2000 को वापस कर दिया गया । वर्ष 98-99 में इस योजना का कोई धन जिला पंचायत, गाजीपुर को आवंटित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहाँपुर तहसील तिलहर के ग्राम बंधीचक के श्रीराम रतन व अन्य लोगों के मुआवजा प्रपत्र तहसील स्तर पर उपलब्ध होने की जानकारी

132–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामरतन पुत्र कंचन निवासी ग्राम बंधीचक तहसील तिलहर व अन्य 27 लोगों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड शाहजहांपुर को पत्र दि० 17-9-2000 तहसीलदार तिलहर तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार तिलहर ने कृषकों के मुआवजा प्रपत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करके अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग शाहजहांपुर को भेज दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त कृषकों के मुआवजा प्रपत्र शीघ्र भेजने के आदेश तहसीलदार तिलहर को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ वरना अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड 132 के० वी० उपसंस्थान पुवाया रोड़ शाहजहाँपुर के पत्र सं०–1263 वि०प्र०कां० (शाह)/एल–6 (मुआवजा) दिनांक 31-8-2000 में उल्लिखित पत्र दिनांक 1-9-1999 व 20-9-1999 में अंकित 38 कृषकों एवं पत्र दिनांक 25-10-99 में अंकित 9 कृषकों कुल 47 कृषकों के मुआवजा प्रपत्र हस्तगत कराये गये थे जिनमें 26 कृषकों के मुआवजा प्रपत्र सम्बन्धित विभाग को डाक के माध्यम से 2-2-2000 को भेजे गये एवं शेष मुआवजा प्रपत्र विद्युत विभाग के कर्मचारी स्वयं पूर्ण कराकर ले गये । उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र विद्युत विभाग को पूर्ण कराकर उपलब्ध करा दिये गये हैं । तहसील स्तर पर कोई भी मुआवजा प्रपत्र विद्युत विभाग को भेजने हेतु शेष नहीं है ।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को गृह जनपद बिजनौर में नियुक्ति किये जाने का प्रकरण

133–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने गृह जनपद बिजनौर में नियुक्त किये जाने के संबंध में श्री तेजपाल सिंह आदि तेरह कर्मचारियों की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका संख्या 20530/99, 20532/99 और 20536/99 में दिनांक 24-5-99 को एक माह के अन्दर समायोजित करने के आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, नहीं ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर, तहसील घनघटा के श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान बड़ा बाजार में कब्रिस्तान के अतिरिक्त नमाजे जनाजा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की माँग

134–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटेलाल ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बड़ा बाजार तहसील घनघटा, जिला संत कबीर नगर का पत्र दिनांक 20-3-1999 जो ग्राम पंचायत बड़ा बाजार के गाटा सं० 179 में दर्ज कब्रिस्तान के अतिरिक्त शेष भूमि में से 5 विसवा कब्रिस्तान और 1 विस्वा नमाजे जनाजा स्थल सरकारी अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, बस्ती सन्त कबीर नगर की सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-3-99 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी प्रकरण में जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा जांच करवाई गयी स्थलीय जांच से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत गाटा संख्या–179/0-16-13 में सहायक वक्फ आयुक्त, बस्ती के आदेश दिनांक 29-4-98 द्वारा 179मि/0-5-0 कब्रिस्तान दर्ज हो चुका है । उपजिलाधिकारी घनघटा के आदेश दिनांक 26-12-97 द्वारा प्रश्नगत गाटे के 179 मी/0-3-0 रकबा पर तीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा किया जा चुका है । शेष रकबा 179 मि/0-8-13 श्रेणी 6(2) आबादी भूमि है । प्रश्नगत रकबा आबादी खाते में दर्ज नहीं है तथा गांव सभा द्वारा कब्रिस्तान के लिए कोई अतिरिक्त भूमि देने हेतु सहमत न होने के कारण इन्हें निक्षेप किया जा चुका है तथा सहायक वक्फ आयुक्त बस्ती को भी तद्नुसार सूचना भेजी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लांवा के ग्राम मटिया मऊ में मीनार गिरने से मृतक लोगों को मुआवजा दिये जाने की माँग

135–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मटिया मऊ में दिनांक 4 जुलाई, 2000 को अत्याधिक वर्षा से 90 फूट ऊंची मीनार गिर जाने से श्रीमती साजिद, बेवा कमरुद्दीन की मृत्यु हो गयी थी तथा उनका पूरा मकान ध्वस्त हो गया था ? क्या उक्त मीनार के गिर जाने से मो० इदरीश खां पुत्र सादिक तथा मो० सिलवा पुत्र शेरन व मो० नसीरुद्दीन का मकान तथा अयूब पुत्र साबिर की दीवाल ध्वस्त हो गयी थी एवं कु० रूवी व कु० नूरी पुत्रियां मो० इदरीश, तथा श्रीमती शफीरन बेवा जहीर बुरी तरह घायल हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके दैवी आपदा कोष से दैवी आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी)–

मीनार अत्यधिक वर्षा से नहीं बल्कि नींव का मजबूत न होना, निर्माण की कमी व बुनियाद में जल भराव के कारण स्वतः गिर गई थी ।

जी हाँ ।

मीनार अत्यधिक वर्षा से नहीं बल्कि निर्माण की कमी एवं बुनियाद में जल भराव के कारण स्वतः गिर गई । यह दुर्घटना है । यह घटना दैवी आपदा की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिए आपदा राहत निधि से राहत सहायता दिया जाना अनुमन्य नहीं है ।

जनपद महाराजगंज, थाना बृजमनगंज के श्री रघुनाथ को आवंटित भूमि पर हुए अनाधिकृत कब्जा हटवाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

136–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ पुत्र श्री बृजलाल निवासी मौजा नौसागर थाना बृजमनगंज जिला महराजगंज को दिये गये पट्टे की जमीन आ०न० 1734 रकबा–0.053 एयर से इसी ग्राम के निवासी प्रहलाद पुत्र दयाराम एवं दयाराम पुत्र अक्षयबर का अनधिकृत कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में उनके कार्यालय का पत्र संख्या 4393/रा०म०/2000 दि० 7-11-2000 एस० डी०एम० फरेन्दा एवं पत्र संख्या 4620/अवि०स०/2000 दि० 3-11-2000 जिलाधिकारी महराजगंज को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त अनधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हाँ ।

जी नहीं ।

मा० सिविल न्यायालय से यथा स्थिति बनाये जाने का आदेश पारित है ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड महोली के ग्राम भिरिया के खड़ंजा, नाली निर्माण कराने की माँग

137–श्री मथुरा प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के महोली बड़ा गांव रोड से भीतर ग्राम भिरिया का सम्पर्क मार्ग एवं गांव के भीतर नालियां, खड़ंजा व सड़क न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है ? क्या सरकार सम्पर्क मार्ग, नालियां व रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हाँ ।

जी हाँ, महोली बड़ागांव रोड से भीतर गांव भिरिया तक सम्पर्क मार्ग निर्माण विकास खण्ड महोली द्वारा कराया गया है, तथा नाली निर्माण 47 मीटर ग्राम के भीतर कराया गया है, एवं खड़ंजा निर्माण 262 मीटर ग्राम के अन्दर कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय अलंकृत पौधशाला लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी मालियों की मजदूरी के भुगतान की माँग

138–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मालियों को विगत जनवरी, 2000 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज लखनऊ में दैनिक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान माह, जनवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक किया जा चुका है । दैनिक मजदूरी का भुगतान यथासमय किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में आम रास्ते को बन्द करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

139–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-9-2000 जो कलैक्ट्री तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ में वाद संख्या 574/93-94 पर बेदखल कर क्षतिपूर्ति व निष्पादन व्यय निर्धारित होने के पश्चात् भी आम रास्ते को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कान्पुर गाँधीनगर में मेसर्स एम० आर फार्मा द्वारा नशीली दवाओं के मिश्रण युक्त गोली के सम्बन्धी शिकायती-पत्र

140–श्री उदयराज यादव–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–2 नम्बर–209307, दिनांक 18-9-2000 जो मेसर्स एम० आर० फार्मा, 106/42 भरत पार्क, गांधी नगर, कानपुर में चल रही फर्म द्वारा मुनक्का युक्त वूटी में नशीली दवाइयों का मिश्रण करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० भूमि सुधार निगम के धन के दुरूपयोग विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की माँग

141–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० भूमि सुधार निगम में धन के दुरुपयोग किये जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/31542/गोण्डा 2000 दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हाँ ।

उक्त पत्र में मुख्यतः निम्न दो बिन्दुओं का उल्लेख किया गया था :–

(क) प्रदेश के दस जनपदों में ऊसर सुधार के नाम पर निगम द्वारा धन का दुरूपयोग किया गया ।

(ख) आलमबाग स्थित गोदाम में जिप्सम का अपार भण्डार वर्षों से सड़ रहा है ।

मा० सदस्य के शिकायती-पत्र में चूँकि किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था । अतः मा० सदस्य से पत्र संख्या-327/बी०आई०पी०/कृषि मंत्री/2000 दिनांक 25-2-2000 के द्वारा उस स्थान विशेष का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जहाँ पर सुधरी भूमि के पुनः सुधार करने की शिकायत पायी गयी हो, तथा शिकायतकर्ता का नाम एवं पता तथा क्षेत्र आदि की सूचना भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित करके वास्तविकता की जांच करायी जा सके । जिसके प्रति उत्तर में मा० सदस्य के द्वारा आज तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

बिन्दु-ख के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के आलमबाग गोदाम में निगम का कोई भी जिप्सम भण्डारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां में अखडरियान ड्रेन पर पुलिया निर्माण कराये जाने विषयक शिकायती-पत्र

142-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां जनपद हरदोई के अन्तर्गत भिक्खा खेड़ा-जगत खेड़ा के बीच में नसीरपुर दासकुइयां रोड पर ड्रेन के मध्य (अखडरियान ड्रेन पर) पुलिया निर्माण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-5-2000 के परिप्रेक्ष्य में पुलिया निर्मित कराने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित करवाये जाने वाले सम्पर्क मार्गों के मध्य जो पुलिया आदि पड़ती है उन्हीं का निर्माण कार्य कराया जाता है । चूँकि इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया जा रहा है अतः पुलिया निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड सण्डीला के ग्राम सोम के राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज की जानकारी

143-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सोम, विकास खण्ड, सण्डीला जनपद हरदोई स्थित अल्प संख्यक समुदाय के कब्रिस्तान को राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कब्रिस्तान को कब तक राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में राजकीय पशु चिकित्सालय चमरौली की बाउण्ड्री व क्वार्टरों के निर्माण का प्रकरण

144-श्री रामकुमार एडवोकेट-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय पशु चिकित्सालय, चमरौली ब्लाक नवाबगंज, जनपद उन्नाव की बाउन्ड्री तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में मछुआ समुदाय के आवासीय भवनों हेतु प्रार्थना पत्रों व आवंटित धनराशि के विवरण की जानकारी

145–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या पशुधन एवं मत्स्य उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में मछुआ समुदाय के कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके लिए भारत सरकार की सहायता से आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने प्रार्थियों को धन अवमुक्त किया गया ? शेष प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

जनपद उन्नाव में मछुआ समुदाय के कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 64 आवासों के निर्माण की मांग की गई है, इनमें से 20 प्रार्थियों को वर्ष 2000-2001 में 20 मछुआ आवास तथा एक इंडिया मार्का हैण्डपम्प के निर्माण हेतु रु० 4.15 लाख की धनराशि मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उन्नाव को आबंटित की जा चुकी है । इस योजनान्तर्गत जैसे-जैसे धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी, वैसे-वैसे शेष प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

146–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[निदेश संख्या–26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

147–श्री उबैदुर्रहमान–

(1 ले मंगलवार में अता० प्र० स० 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत सूखे की चपेट में आये किसानों से जबरन वसूली सम्बन्धी कथित प्रकरण

148–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद इस वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के किसानों से जबरिया सरकारी वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा वहां के किसानों को कोई राहत दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय नारायन तिवारी–

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद सूखे की चपेट में नहीं है ।

जी नहीं ।

सूखे की स्थिति न होने के कारण राहत सहायता दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के ग्राम नरायनपुर के श्री फकीरे लाल के घर पर राजस्व कर्मियों द्वारा वसूली के नाम पर कथित लूट-पाट

149–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे लाल (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम नरायनपुर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के घर राजस्व कर्मियों द्वारा वसूली के नाम पर की गयी लूट-

पाट की घटना की जांच उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 10वां तल इन्द्रा भवन, लखनऊ के पत्रांक 356/57 (ख) द्वारा क्षेत्राधिकारी सण्डीला को सौंपी गयी थी ? क्या यह सही है कि जांच के समय उक्त श्री फकीरे लाल को राजस्व कर्मियों द्वारा पुनः प्रताड़ित कर तहसील कारागार में निरुद्ध कर दिया गया जिसकी सूचना फैक्स नं० 282916 दिनांक 31-5-2000 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग इन्द्रा भवन लखनऊ को भेजी गयी ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हाँ ।

जी नहीं ।

बाकीदार श्री फकीरे लाल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को फैक्स भेजे जाने की कोई जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय हरदोई को नहीं है ।

लखनऊ के रकाबगंज में स्थित श्री राम चन्द्र मौर्य की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

150–श्रीमती विजमा यादव–

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र तिवारी सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 4-12-2000 जिसमें श्री राम चन्द्र मौर्य 157/46 गौसनगर, लखनऊ की भूमि खसरा नं० 116/ एक बीघा चार विस्वा तीन विस्वांसी पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाकर वास्तविक उत्तराधिकारी श्री राम चन्द्र मौर्य को कब्जा दिलाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, लखनऊ की सूचना के अनुसार श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, सदस्य, विधानसभा का पत्र दिनांक 4-12-2000 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । फिर भी जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रकरण में जांच करवाई गयी है । स्थलीय जांच से ज्ञात हुआ है कि ग्राम बिरहाना परगना व तहसील जिला लखनऊ की भूमि संख्या–116 रकबा 1-4-3 विस्वांसी लक्ष्मी नरायन व राम चन्द्र पुत्र शिव प्रसाद व मुकेश कुमार पुत्र राम औतार के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । इस भूमि पर एक नाला 6 फीट चौड़ा निकला है । शेष भूमि पर 25 भवन निर्मित है । इस प्रकार कोई भूमि रिक्त नहीं है । यह भूखण्ड घनी आबादी के मध्य रकाबगंज से नाका हिंडोला मुख्य मार्ग पर स्थित है । उक्त ग्राम नगर निगम सीमा के अन्तर्गत है । प्रश्नगत भूखण्ड बने मकानों के अनाधिकृत होने, तत्सम्बन्धी स्वामित्व के मामले दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम खड़खड़िया में चकबन्दी प्रक्रिया व चेकों की पैमाइस का कार्य

151–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के कैम्पियरगंज तहसील के ग्राम खड़खड़िया में चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसानों के चकों की पैमाइस अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम के चकों की पैमाइस कराकर नये चकों पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 20-10-93 को करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी इसलिए कोई दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया, परगना हवेली के ग्राम बड़हरा तथा नगला में खलिहान हेतु आरक्षित भूमि पर कथित अवैध कब्जे का प्रकरण

152–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बड़हरा तप्पा नगवा परगना हवेली तहसील रुद्रपुर जनपद देवरिया में खलिहान के लिये आरक्षित भूमि आ० नं० 235 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर उक्त आरक्षित सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण करा लिया गया है ? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाकर उसे खलिहान हेतु सुरक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कृषि फार्मों के दैनिक वेतन श्रमिकों के लम्बित वेतन भुगतान में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

153–श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के कृषि फार्मों पर दैनिक वेतन श्रमिक वर्ष 1994 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें वर्ष 1994 से अगस्त, 2000 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वेतन भुगतान न करने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । प्रक्षेत्रों पर दैनिक श्रमिकों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाता है ।

दिनांक 15-10-94 से 31-3-96 तक मजदूरी का आंशिक भुगतान विवादित होने के कारण अवशेष है जिसका परीक्षण किया जा रहा है एवं दिनांक 1-4-2000 से लंबित मजदूरी के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । शेष अवधि का भुगतान किया जा चुका है । दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध परीक्षणोंपरान्त दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक गौरीगंज के ग्राम रमई पुर के श्री रामेश्वर शुक्ल द्वारा क्षेत्र पंचायत अरगंवा सम्पर्क मार्ग को धनराशि निकाल कर कार्य पूर्ण न कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

154–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार को उत्तरित अता०प्र०सं०–177 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? क्या प्रश्नगत निलम्बित पंचायत अधिकारी को कोई चार्जशीट या नोटिस दी गई है ? यदि नहीं, तो दोषी पाये जाने के बावजूद चार्जशीट न देने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि बगैर चार्जशीट दिये ही उक्त अधिकारी को बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

धनराशि की वसूली होने पर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

जी हाँ । दिनांक 12-3-1999 को चार्जशीट दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । श्री बब्बन सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करते हुए दिनांक 23-12-99 को चार्जशीट देकर विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी । इनके विरुद्ध दिनांक 10-2-2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है । जाँच अधिकारी से जाँच रिपोर्ट न प्राप्त होने पर अनन्तिम रूप से बहाल किया गया, परन्तु दी गयी चार्जशीट पर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । राजस्व के बकाये की भाँति धनराशि रु० 15,501/- की वसूली हेतु आर० आर० सी० जारी की गयी थी, परन्तु वसूली में प्रगति न हो पाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 18-1-2001 वेतन से कटौती के आदेश पारित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहाँपुर के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मानक से अधिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण में दोषी/ कार्यवाही की माँग

155–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 'मुन्ना'–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2000 जो जनपद शाहजहांपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों को खाली पडे पशु सेवा केन्द्रों पर ही तैनात करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हाँ ।

जाँच से मुख्य पशुचिकित्साधिकारी मानक से अधिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण के दोषी पाये गये । अतः उनको कठोर चेतावनी दे दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की मल्लावाँ में उप मण्डी स्थल के निर्माण की माँग

156–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधौगंज के क्षेत्रांतर्गत अटवा करसठ तथा कस्बा मल्लावां में उप मण्डी स्थल का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया

है जिससे जनता को काफी असुविधा हो रही है ? सरकार कब तक वहां पर उप मण्डी स्थल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधोंगंज के क्षेत्रान्तर्गत अटवा कुरसठ तथा कस्बा मल्लावां में उप मण्डी स्थल का निर्माण कराने के संबंध में मण्डी समिति का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मण्डी समिति का प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होने पर उप मण्डी स्थल का निर्माण परिषद् कराती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के क्षेत्र जैतीपुर में राम गंगा नदी से कटी भूमि की नाप कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

157–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र जैतीपुर में राम गंगा नदी से कटी भूमि की नाप कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-7-2000 जो मुख्य मंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये दि० 28-7-2000 को भेजा गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 19-7-2000 जिसे मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर को दिनांक 28-7-2000 को भेजा गया था, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा जांच करायी गयी और यह पाया गया कि संदर्भित पत्र में उल्लिखित ग्रामों में से ग्राम रुद्रपुर की भूमि रामगंगा नदी की कटाने से प्रभावित नहीं है।

पत्र में उल्लिखित शेष ग्राम सरसवां, बरी प्रसिद्धपुर, नगला देहा एतमाली एवं कन्हानी सहित कुल 23 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कराये जाने हेतु शासकीय अधिसूचना सं०–380/1-14-2001-69(25)/77-68, दिनांक 14 मार्च, 2001 निर्गत की जा चुकी है।

ग्राम डमौरा के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् की संस्तुति प्राप्त होने पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर पशु सेवा केन्द्र रूद्रपुर का भवन निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

158–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-9-2000 जो पशु सेवा केन्द्र रुद्रपुर जनपद शाहजहांपुर का भवन निर्माण कराये जाने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पंचायत इलाहाबाद में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गई अनियमित नियुक्ति में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

159–श्री राम कृपाल–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96 में जिला पंचायत इलाहाबाद में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितने लोगों की बिना विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये नियुक्ति की गई है ? क्या इस

संबंध में कोई जांच भी कराई गई है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1995-96 में जिला पंचायत इलाहाबाद में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तृतीय श्रेणी के 05 एवं चतुर्थ श्रेणी के 10 कर्मचारियों की नियुक्ति बिना विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये बिना की गई थी । इन अनियमित नियुक्तियों को शासन के आदेश दिनांक 1-12-95 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

उक्त अनियमित नियुक्तियों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्रीमती पुष्पा मिश्रा, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इलाहाबाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित है और इसके लिये आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को जाँच अधिकारी नामित किया गया है । मण्डलायुक्त की जाँच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम पंचायतों का विकेन्द्रीकरण कर लघु आकार करने की माँग

160–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायतों का आकार बड़ा होने से उसके विकास में गति लाना सम्भव न होने के कारण जनता को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायतों का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम पंचायतों का लघु आकार किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् संविधान संशोधन में निहित भावना के अनुसार ग्राम पंचायत की जनसंख्या यथासाध्य, 1000 रखी गयी थी जिससे ग्राम पंचायत एक जीवन-क्षण वायबल इकाई के रूप में कार्य कर सकें और अपने संसाधनों से भी कुछ कार्य कर सकें । यदि बहुत कम जनसंख्या की ग्राम पंचायत होगी, तो वह अपने संसाधन नहीं जुटा पायेंगी ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर के ग्राम पंचायत दूलीखेड़ा की भूमि का भूमिहीनों में आवंटन की मांग

161–श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत दूली खेड़ा तह० बीघापुर, परगना डैडिया खेड़ा जनपद उन्नाव की लगभग 1100 बीघा कृषि योग्य भूमि वर्ष 1998 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमिहीनों को आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था ? क्या उपरोक्त आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भू-माफियाओं से उक्त भूमि को मुक्त कराकर भूमिहीनों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

वर्ष 1998 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमिहीनों को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम सर्वे प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

आयुक्त आबकारी द्वारा मथुरा में दुकानों की नीलामी के पूर्व अतिरिक्त मदिरा की निकासी के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

162–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त आबकारी द्वारा जनपद मथुरा में वर्ष 1997 में आबकारी दुकानों की नीलामी के पूर्व निर्धारित 14.30 बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूति के स्थान पर एक अनुज्ञापी को 7 लाख बल्क लीटर अतिरिक्त मदिरा की निकासी दे दी गई जिसके कारण 70 लाख रुपये अभिकर की कम वसूली हो पायी ? यदि हां, तो क्या सरकार के द्वारा इसके लिये जिम्मेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद मथुरा में वर्ष 96-97 में दुकानों की नीलामी के पूर्व देशी शराब की 30,30,000 बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निर्धारित थी । अनुज्ञापी की मांग पर 2,38,050 बल्क लीटर की अतिरिक्त निकासी 11.00 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिशत 26,18,550.00 रुपये राजकीय कोषागार में जमा कराने के उपरान्त दी गई ।

वर्ष 1997-98 में नीलामी के पूर्व 36,36,000 बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निर्धारित थी । अनुज्ञापी की मांग पर 9,57,899 बल्क लीटर की अतिरिक्त निकासी 11.00 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से रुपये 1,05,36,899.00 अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में राजकीय कोषागार में जमा कराने के उपरान्त दी गई ।

वर्ष 96-97 एवं 97-98 में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक निकासी पर नियमानुसार अतिरिक्त प्रतिफल जमा करा लिया गया था । इस कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में मण्डी परिषद् द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प को ठीक कराने की माँग

163–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में मण्डी परिषद् द्वारा लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प ज्यादातर खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

ज्यादातर नहीं, बल्कि कुछ हैण्डपम्प खराब होने की सूचना है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थापित हैण्डपम्पों के रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण ।

प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हुई क्षतिपूर्ति की माँग

164–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जून, 2000 से 20 जुलाई, 2000 तक प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कितने लोग मरे और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ? क्या सरकार द्वारा कोई अहेतुक सहायता प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय नरायन तिवारी–

जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में 01 जून, 2000 से 20 जुलाई, 2000 तक आकाशीय बिजली गिरने से कुल 115 मानव जीवन हानि तथा 62 पशु जीवन हानि हुई है। कुल 05 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावितों/मृतकों के आश्रितों एवं मकानों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अहेतुक, अनुग्रह एवं गृह अनुदान के रूप में नियमानुसार कुल रु० 35,75,450/- वितरित किया गया।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में चुनाव में अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

165–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में श्री बहोरी सिंह ए०आर०ओ० को बी०डी०सी० के चुनाव में गड़बड़ी अनियमितता करने के आरोप में मई/जून, 2000 में निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो उस पर कौन-कौन सी अनियमिततायें करने का आरोप है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

श्री बहोरी सिंह, ए० आर० ओ० पर निम्न अनियमितताओं का आरोप है :––

(1) क्षेत्र पंचायत वार्ड सं०–44 पर श्रीमती संतोष कुमार पत्नी श्री राकेश बाबू का नामांकन पत्र सं०–5409 में सर्वप्रथम वार्ड सं०–39 कौआ टांडा लिखा गया जिसे काट कर वार्ड सं०–44 नं० देवी किया गया। कटिंग पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा नामांकन पत्र एवं शपथ-पत्र आदि पर प्रत्याशी के हस्ताक्षरों में भिन्नता है।

(2) श्रीमती विमलेश कुमारी पत्नी श्री ग्रीश चन्द्र निवासी बझेरा का वार्ड सं०–44 से नामांकन प्रतीत होता है जिसे किसी अन्य की लिपि में कटिग कर वार्ड सं०–43 किया गया है। शपथ पत्र पर भी किसी अन्य की लिपि में लिखना प्रतीत होता है। इस नामांकन पत्र पर उक्त त्रुटियों की जांच श्री बहोरी सिंह, ए० आर० ओ० द्वारा नहीं की गयी।

(3) नामांकन पत्र सं०–5401 श्रीमती संतोष कुमार के नाम क्रय कर भरा गया है। बाद में इनका नाम काट कर चन्द्र प्रकाश पुत्र राकेश बाबू लिखा गया है तथा संतोष कुमार का नाम काट कर चन्द्र प्रकाश के हस्ताक्षर किये गये हैं। नामांकन पत्र के क्र०सं०–6 पर महिला "ही" अंकित है। नामांकन पत्र का परीक्षण ए० आर० ओ० द्वारा करके स्वीकृत अंकित नहीं किया गया है।

(4) नामांकन पत्र सं०–5401 के साथ संलग्न "द" एक व दो अवं अन्य प्रपत्रों पर किये गये हस्ताक्षर नामांकन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर से भिन्न हैं। इसकी जांच ए० आर० ओ० द्वारा नहीं की गयी।

श्री बहोरी सिंह के विरुद्ध थाना–बेवर में मुकदमा अपराध सं०–292/2000 धारा–420/467/468/471 आई० पी० सी०, दिनांक 2-7-2000 को पंजीकृत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में मार्गों के निर्माण का विवरण

166–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक की डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर एवं सुल्तानगंज में कौन-कौन सी पक्की सड़कें बनवाई जा रही हैं ? वह सड़कें कब तक बन जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर के निम्न मार्गों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

मार्ग का नाम	लम्बाई कि०मी० में
(1) एल० बी० मार्ग से दौलतपुर खजुरिया	2.55
(2) एल० बी० मार्ग से जाखा	2.25
(3) बेवर मोटा मार्ग से नगला पैठ अतनयीकला से छुहारेपुर से अकबरपुर गनी	4.925
(4) नवीगंज–जोशमई मार्ग से श्यामपुर भटपुरा	2.675
(5) चंदुली–मानपुर नहरपुल वाया बाजपुर	2.40
(6) जी० टी० मार्ग अकबरपुर बीकू से रामनगरिया	2.25
(7) परोखा से लायकपुर से जगतपुर	5.95

विश्व बैंक के समक्ष अन्य जनपदों के साथ-साथ मैनपुरी को भी परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था । विश्व बैंक मिशन ने फिलहाल मैनपुरी के तीन ब्लाकों, मैनपुरी, घिरौर एवं बेवर के ही ग्रामीण मार्ग घटक के लिए अपनी सहमति प्रदान की है ।

परियोजना की अवधि में ही पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, तहसील करहल के ग्राम रेड़ापुर में चकबन्दी प्रक्रिया में की जा रही अनियमतता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

167–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रेड़ापुर परगना-बनाहल तहसील करहल, जनपद मैनपुरी में चकबन्दी प्रक्रियाओं में की जा रही अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-8-2000 चकबन्दी आयुक्त लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच करायी जा चुकी है । जांच सम्बन्धी कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

168-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 1-2-96 को निर्गत की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवा

सूची के क्रमांक 50 से 66 तक के श्रमिकों को सेवा में बनाये रखते हुये ब्यूरो अनुभाग में कार्यरत उनसे वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी श्रमिकों को सेवा से बाहर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की कार्य करने की तिथि पर आधारित सूची दिनांक 01-02-96 को तैयार की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी के क्षेत्र पंचायत के गठन की जारी अधिसूचना

169–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी के क्षेत्र पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी की क्षेत्र पंचायत के गठन की अधिसूचना संख्या–3797/38-3-94-31बी/94 टी० सी० दिनांक 01-11-94 को जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला के ग्राम पंचायत पिरैला माफी के लोगों को आवासीय पट्टा दिलाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

170–श्री उबैदुर्रहमान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या सी०एम०वि०को०/एम/36812/गोण्डा 2000 दिनांक 30-8-2000 के साथ जो ग्राम पंचायत पिरैला माफी तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर के लोगों को शीघ्र आवासीय पट्टों को जिला अधिकारी बलरामपुर के माध्यम से दिलवाने के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/2000 के साथ ग्राम पंचायत पिरौला माफी तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर के लोगों को शीघ्र आवासीय पट्टों को जिला अधिकारी के माध्यम से दिलवाने के सम्बन्ध में था, जो तहसील उतरौला को प्राप्त हुआ है । ग्राम पंचायत पिरैलामाफी परगना व तहसील उतरौला के आवंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, उसी समय सीताराम आदि निवासी ग्राम पिरैलामाफी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2000 प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार विवादित भूमि में किसी प्रकार निर्माण आदि पर रोक लगा दी गयी है ।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला के ग्राम पंचायत सहदेयूया में धन का दुरुपयोग विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

171–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत सहदेइयूया के प्रधान एवं सचिव द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने

की जांच कराने विषयक विधायक प्रकोष्ठक के पत्र संख्या सी०एम०वि०को०/ एम–2/2/31552/गोण्डा दिनांक 25-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच कराई गई । जांच आख्या के अनुसार प्रधान/सचिव निर्दोष पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के श्री रामा पाण्डेय वासिल बाकिल नवीस तहसील चकिया के सेवानिवृत्त पश्चात् समस्त देयकों के भुगतान की मांग

172–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि रामा पाण्डेय, वासिल बाकिल नवीस तहसील चकिया जनपद वाराणसी को जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश दिनांक 31-5-82 द्वारा उनकी अधिवर्षता आयु 50 वर्ष दिनांक 31-1-80 को ही पूर्ण होना मानते हुये उन्हें दिनांक 31-5-82 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री पाण्डेय को दिनांक 1-2-80 से देय पेंशन आदि का भुगतान किया जा रहा है ? क्या उनके अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान न होने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? श्री पाण्डेय को उनके देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी देयकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष की है न कि 50 वर्ष जैसा कि प्रश्न में अंकित है ।

जी नहीं । सेवा निवृत्ति दिनांक 31-5-82 के उपरान्त श्री पाण्डेय द्वारा अपने पेंशन प्रपत्र दिनांक 24-4-91 को तहसील–चकिया के माध्यम से प्राप्त होने पर तत्कालीन जिलाधिकारी/नियुक्ति अधिकारी द्वारा उन्हें अधिकारिता: 6 माह की अवधि के लिए अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी है । अन्तिम पेंशन स्वीकृति हेतु पेंशन प्रपत्र अभिलेखों सहित महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को प्रेषित किये गये जिसे महालेखाकार ने परीक्षणोपरान्त इस आपत्ति के साथ वापस कर दिया कि दिनांक 1-2-80 से 31-5-82 तक की गयी अधिक सेवाओं का नियमितीकरण शासन से कराने के बाद निस्तारण हेतु पेंशन प्रकरण भेजा जाये । शासन स्तर से ही श्री पांडेय को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश सं०–779/47-का–4-1994, दिनांक 3-10-94 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश सं०–4904/1-4-95-8 बी-4/95, दिनांक 16-4-96 द्वारा राजस्व परिषद् को निर्देशित किया जा चुका है ।

अनन्तिम ग्रेच्युटी तथा देय उपार्जित अवकाश, नगदीकरण स्वीकृत करते हुए भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण में लगातार अन्तर्विभागीय परामर्श प्राप्त किये जाते रहे हैं । अतः इसमें समय लगना स्वाभाविक था । अतएव इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है । इसलिए कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पाण्डेय को उनके देयों का भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

जनपद अम्बेडकर नगर में जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय के भवन के किराये के भुगतान की मांग

173–श्री लालजी वर्मा–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय किराये के मकान में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मकान मालिक को वर्ष 1998 से अब तक के किराये का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी, हां ।

जी, हां ।

नवसृजित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के लिए भवन किराया मद में बजट प्राविधान न हो पाने के कारण भवन किराये का भुगतान नहीं किया जा सका है । बजट प्राविधान होते ही भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा ।

जनपद मेरठ में छोटे गैस सिलेण्डरों हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग

174–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छोटे गैस सिलैण्डरों के मानकीकरण हेतु उनके उत्पादन केन्द्रों का मेरठ में परीक्षण एवं मानकीकरण प्रयोगशाला स्थापित कर शुल्क लेकर उनके मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ को सिटी आफ ज्वैल बनाने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के आदेश

175—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वर्ण आभूषण निर्यात केन्द्र की दृष्टि से मेरठ को सिटी आफ ज्वैल का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय नरायन तिवारी–

जी नहीं । स्वर्णाभूषणों के निर्यात की दृष्टि से देश के अति महत्वपूर्ण मेरठ सिटी को ''ज्वैलरी प्रोसेसिंग जोन'' घोषित किये जाने तथा मेरठ में इस व्यवसाय से सम्बन्धित दस्तकारों के लिए प्रशिक्षण, नई तकनीक एवं डिजाइन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल से प्राप्त सुझाव/मांग के दृष्टिगत उ० प्र० शासन द्वारा वाणिज्य मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से भारत सरकार की पी० पी० डी० सी० योजनान्तर्गत मेरठ में स्वर्णाभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम चरण में एक प्रक्रिया एवं उत्पादन केन्द्र (पी०पी०डी०सी०) ज्वैलरी की स्थापना हेतु एक टीम मेरठ जनपद में फिजिविलिटी स्टडी हेतु भेजने का अनुरोध किया गया है ।

इसके अतिरिक्त मेरठ में स्वर्णाभूषणों के निर्याण वाले क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु भारत सरकार की सी० आई० बी० योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश उ० प्र० निर्यात निगम को दिये गये हैं ।

तहलका डाट काम एवं कानपुर गोलीकाण्ड प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री उदय राज यादव, श्री इकबाल महमूद, श्री कौकब हमीद तथा श्री जगदीश नारायण राय आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे ब०स०पा० के भी इन्द्रजीत सरोज, अनीस खां, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री रामपाल, श्री राम शंकर पाल तथा श्री मुख्तार अंसारी के साथ अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर चलें, शांत रहें ।

(वेल में आये हुए सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर सूचनाएं आयी हैं उस पर सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी चर्चा कराना चाहता है तो कृपया अपने स्थान पर चलें । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम 311 में सूचना दी है । उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी संक्षेप में सरकार का उत्तर दे दें, उस पर चर्चा हो जाये और अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें ।

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहा ।)

इसका मतलब यह है कि आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते । आप लोगों का केवल मात्र उद्देश्य हंगामा करना है । कृपया आप लोग अपने स्थान पर चलें ।

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहने पर)

मैं सदन को 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होने पर)

(वेल में उपस्थित विपक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाने लगे जिसके कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(घोर व्यवधान जारी)

(श्री उदयराज यादव, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री वसीम अहमद रिपोर्टर्स टेबुल पर चढ़ गये और पोस्टर दिखाते हुए नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

आज दिनांक 22 मार्च, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं ।

(श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री राम पाल, श्री अनीस खां, श्री अजय कुमार पोइया, श्री रामजग, डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व डा० कौशल किशोर मा० सदस्यों के खड़े न होने पर)

मैं इन सूचनाओं को स्थगित करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-3-2001 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई जो निम्नवत् हैं :—

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री विनोद मणि, श्री राम औतार शाक्य, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री कैलाश सिंह राजपूत एवं श्री राम चन्द्र यादव मा० सदस्यों के नाम पुकारे जाने व उनके खड़े न होने पर)

मैं इन सूचनाओं को भी स्थगित करता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां

[धारा–3 की उपधारा–2 द्वारा 4 की उपधारा (6) के अधीन] †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

(1) क०नि०-2-1978/ग्यारह-9(231)/94-उ०प्र०अधि०-15-48-आदेश 2000(15), दिनांक 28 जून, 2000

(2) क०नि०-2-2584/ग्यारह-9(231)/94-उ०प्र०अधि०-15-48-आदेश–(26)–2000, दिनांक 24 अगस्त, 2000

(3) क०नि०-2-2585/ग्यारह-9(231)/94-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(27)–2000, दिनांक 24 अगस्त, 2000

(4) क०नि०-2-3089/ग्यारह-9(43)/99-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(34)–2000, दिनांक 28 सितम्बर, 2000

(5) क०नि०-2-3090/ग्यारह-9(166)/97-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(35)–2000, दिनांक 28 सितम्बर, 2000

(6) क०नि०-2-3091/ग्यारह-9(65)/98-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(36)–2000, दिनांक 28 सितम्बर, 2000

(7) क०नि०-2-3368/ग्यारह-9(231)/94-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(40)–2000, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3-क की उपधारा (2) के अधीन,

(8) क०नि०-2-2565/ग्यारह-9(116)/75-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(24)–2000, दिनांक 18 अगस्त, 2000

(9) क०नि०-2-3128/ग्यारह-9(40)/92-उ०प्र०–अधि०-15-48-आदेश–(37)–2000, दिनांक 30 सितम्बर, 2000

नोट :– † छापी नहीं गयी।

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3-घ की उपधारा (8) के अधीन तथा,

(10) क० नि०-2-2665/ग्यारह-9(196)/97-उ०प्र०–अधि०-15-48-नियम–1948–2000(30) दिनांक 31 अगस्त, 2000

(11) क०नि०-2-2666/ग्यारह-9(196)/97–अधि०-74–56-नियम–1957–2000(31) दिनांक 31 अगस्त, 2000

को, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23-क (1) के अधीन तथा

(12) क०नि०-2-2586/ग्यारह-9(81)/91-उ०प्र०–अधि०-12–2000–आदेश–2000, दिनांक 23 अगस्त, 2000

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–4 की उपधारा (6) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां

[धारा–3क की उपधारा (2)/धारा–3घ की उपधारा (8) के अधीन] †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

(1) क० नि०–2-302/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(4)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001

(2) क० नि०–2-303/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(5)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001

(3) क० नि०–2-304/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(6)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 को धारा–3 क की उपधारा (2) के अधीन

तथा–

(4) क० नि०–2-305/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(7)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001

(5) क० नि०–2-307/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(9)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001

(6) क० नि०–2-679/ग्यारह–9(116)/75–उ० प्र०–अधि०–15-48-आदेश–(17)–2001, दिनांक 1 मार्च, 2001

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 को धारा–3 घ की उपधारा (8) के अधीन, सदन के पटल पर रखेंगे।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2000 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2559/30-4-2000-67-89 टी०सी०, दिनांक 04 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2000 को, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन †††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(5) के अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदन को, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, उक्त अधिनियम की धारा 12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 1999-2000 के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा ††††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के वर्ष 1999-2000 के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा को, भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा–31 की उपधारा (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99†††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1998-99 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा–2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 1998-99 ††††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण, 1998-99 को, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा–23 की उपधारा–5 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

वर्ष 2000 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2000 के द्वितीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर, कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

††† छपे नहीं गये।

†††† छापा नहीं गया।

†††† छापा नहीं गया।

श्री अधिष्ठाता–

जो नारे यहां लगाए गए कोई भी नारा कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 (जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त :–

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–13 में कुछ नहीं है, मद संख्या–14 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक

क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 से संबंधित विचार एवं पारण की मदों को सम्मिलित करते हुये दिनांक 22 मार्च, 2001 का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2001

22 गुरुवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण –

(1) उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(2) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

(3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001

3.00 बजे अपराह्न

3—(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(4) नियम 103 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत :–

(क) श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय ।"

(ख) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

(ग) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा (.....)* सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुये प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(नारे लगाये जाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–16 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–18

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

* नोट दिनांक 30-4-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम–311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-3-2001 को नियम–311 में प्राप्त 9 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। कुल सूचनाएं 17 हो गई। शलाका के आधार पर जो सूचनाएं ली गई उनमें से प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री अफरोज अली खां, श्री अखिलेश सिंह, श्री विजय प्रकाश, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राजेन्द्र यादव, श्री कैलाश प्रसाद यादव, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री अम्बिका चौधरी, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री चन्द्रेश पासवान, श्री विनोद मणि, श्री इकबाल महमूद, श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री बाबू लाल,श्री प्रदीप कुमार, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री परवेज हलीम,श्री राजपाल सिंह, श्री स्वामी ओमवेश, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री रामजग, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री सुधाकर सिंह, श्री राम औतार शाक्य, श्री शिव पाल सिंह यादव तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर।

(सभी सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर किसी भी सदस्य के खड़े न होने पर सभी सूचनाएं निरस्त की गईं)

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–02 आवास विभाग

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02-आवास विभाग के अन्तर्गत 51,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत 51,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,10,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,10,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–05—उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 3,75,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 3,75,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 9,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 9,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 3,91,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 3,91,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,49,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,49,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 84,53,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 84,53,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 3,63,75,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(विपक्ष के सदस्य नारे लगा रहे थे सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारे लगाये गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 3,63,75,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान) के मध्य)

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 55,75,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 55,75,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,11,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,11,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 48,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 48,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,64,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,64,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 23,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 23,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 8,92,40,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 8,92,40,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22–खेल विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 53,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 53,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 7,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 7,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,25,66,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि, अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,25,66,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 10,34,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 10,34,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,63,55,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,63,55,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 5,15,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 5,15,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 13,30,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 13,30,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 11,82,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 11,82,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,18,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,18,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,91,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,91,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 19,21,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 19,21,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 45,76,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 45,76,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 31,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 31,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 44,60,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 44,60,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 20,49,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 20,49,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 77,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 77,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,08,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,08,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,82,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,82,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 35,55,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 35,55,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 24,10,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 24,10,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 29,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 29,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 84,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 84,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 98,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 98,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,80,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,80,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 18,53,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 18,53,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 80,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 80,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,05,97,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,05,97,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,16,20,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,16,20,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 40,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 40,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,71,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,71,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 8,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 8,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 73,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 73,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारी शोरगुल एवं विपक्ष की नारेबाजी के मध्य सदन की कार्यवाही जारी रही)

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,25,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,25,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 32,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 32,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 6,36,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 6,36,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष पीठ की ओर फेंके और विपक्षी सदस्यों की नारेबाज़ी जारी रही)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों का यह आचरण ठीक नहीं है, आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान जारी रहा और सदन की कार्यवाही चलती रही)

अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 12,61,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 12,61,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 26,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 26,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 89,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 89,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के सदस्यों के नारे लगाने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी नारे लगाये)

अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–95–उत्तरांचल विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 28,59,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 28,59,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 *

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* दिनांक.....के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

खण्ड–2 से 3 तक एवं अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001

31 मार्च, 2001 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2001 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2000-2001 के लिए 12654,52,70,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2001 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 12,654,52,70,000 रुपये (बारह हजार छः सौ चौवन करोड़ बावन लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
02 आवास विभाग		राजस्व	5100	57692	62792
		पूंजी	0	49888	49888
03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)		राजस्व	1055	1098	2153
		पूंजी	20000	0	20000
04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)		राजस्व	5000	0	5000
		पूंजी	—	—	—
05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)		राजस्व	37575	0	37575
		पूंजी	---	---	---
07 उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग)		राजस्व	964	0	964
		पूंजी	—	—	—
08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)		राजस्व	36900	0	36900
		पूंजी	2229	0	2229

1	2		3	
09 ऊर्जा विभाग	राजस्व	—	—	—
	पूंजी	3000	0	3000
10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	14929	0	14929
	पूंजी	—	—	—
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	805301	1707	807008
	पूंजी	40000	0	40000
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	370999	135	371134
	पूंजी	3266558	0	3266558
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	557561	26	557587
	पूंजी	—	—	—
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	16063	140	16203
	पूंजी	5105	0	5105
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	4853	0	4853
	पूंजी		—	
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	16415	0	16415
	पूंजी	—	—	—
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	2352	0	2352
	पूंजी	—	—	—
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	88193	1000000	1088193
	पूंजी	8835874	0	8835874
22 खेल विभाग	राजस्व	—	—	—
	पूंजी	5306	0	5306
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	74000	0	74000
	पूंजी	—	—	—
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	1106600	0	1106600
	पूंजी	150000	0	150000
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	87735	0	87735
	पूंजी	15670	0	15670
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	941523	0	941523
	पूंजी	694060	0	694060
27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	51550	0	51550
	पूंजी	—	—	—
31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	133018	0	133018
	पूंजी	—	—	—
32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	113234	0	51812
	पूंजी	5000	0	—
33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	51812	0	51812
	पूंजी			
34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	19180	0	19180
	पूंजी	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	122500	0	122500
	पूंजी	69600	0	69600
37 नगर विकास विभाग	राजस्व	457644	0	457644
	पूंजी	—	—	—
38 नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	1659	0	1659
	पूंजी	1508	0	1508
40 नियोजन विभाग	राजस्व	—	—	—
	पूंजी	446045	0	446045
42 न्याय विभाग	राजस्व	117908	0	117908
	पूंजी	87078	0	87078
43 परिवहन विभाग	राजस्व	7765	0	7765
	पूंजी	—	—	—
44 पर्यटन विभाग	राजस्व		—	—
	पूंजी	20872	0	20872
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	17862	0	17862
	पूंजी	435	0	435
49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	355507	0	355507
	पूंजी	—	—	—
50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	141029	0	141029
	पूंजी	100001	0	100001
52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2998	0	2998
	पूंजी	—	—	
54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	842500	0	842500
	पूंजी	—	—	—
55 लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	0	637	637
	पूंजी		—	—
58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	9563	0	9563
	पूंजी	301	0	301
59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	78057	0	78057
	पूंजी			
60 वन विभाग	राजस्व	185313	0	185313
	पूंजी	—	—	—
61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	0	4695152	4695152
	पूंजी	0	95000000	95000000
63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	8001	0	8001
	पूंजी	1	0	1
65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व	1250	0	1250
	पूंजी			
71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	2059723	0	2059723
	पूंजी	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1024692	0	1024692
	पूंजी	137340	0	137340
73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	400000	0	400000
	पूंजी	—	—	—
75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	17142	0	17142
	पूंजी	—	—	—
76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	865	0	865
	पूंजी	—	—	—
77 श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1000	0	1000
	पूंजी	6300	0	6300
78 सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	22583	0	22583
	पूंजी	—	—	—
79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	-	—	—
	पूंजी	3298	0	3298
80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	1723	0	1723
	पूंजी	61960	0	61960
85 सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	298	0	298
	पूंजी	—	—	—
86 सूचना विभाग	राजस्व	10000	0	10000
	पूंजी	—	—	—
89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	78151	0	78151
	पूंजी	47967	—	47967
90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंज तथा बाजीकर)	राजस्व	2620	0	2620
	पूंजी	—	—	—
92 संस्कृति विभाग	राजस्व	2000	0	2000
	पूंजी	-	—	
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	893900	0	893900
	पूंजी	—	—	—
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	422	119	541
	पूंजी	0	20637	20637
95 उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	187065	0	187065
	पूंजी	98879	0	98879
योग	राजस्व	11593652	5756706	17350358
	पूंजी	14124387	95070525	109194912
	योग	25718039	100827231	126545270

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3, एवं अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या–26

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना शीर्षक

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (कक) में शब्द ''पूर्व में रिकार्ड किये गये कैसेट को, चाहे टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा'' के स्थान पर शब्द ''पूर्व में रिकार्ड किये गये कैसेट या किसी अन्य यन्त्र को, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य उपकरण द्वारा चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय'' रख दिये जायगें,

(ख) खण्ड (छ) में शब्द ''वीडियो कैसेट में'' के स्थान पर शब्द ''वीडियो कैसेट या किसी अन्य यन्त्र में, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय'' रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

"प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा अपना संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

विधेयक प्रस्तुत किया ।

(घोर व्यवधान/शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001, पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1—1 यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) वह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख में,– अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1-ख का संशोधन

(क) अनुच्छेद 17-क में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से सम्बन्धित स्तम्भ में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

(ख) अनुच्छेद 17-ख में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से सम्बन्धित स्तम्भ में शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

(ग) अनुच्छेद 35 (पट्टा) में,–

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (vi), (vii) और (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

''(vi) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्यक्ति है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्यार्यित नहीं है ।	अधिक वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।''

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्:–

''(ख) जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है,–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।''
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।

(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है,–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि, के लिए तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता : परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा ।
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।"
(तीन) स्पष्टीकरण	(5) विकास दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2000 निरसन और अपवाद

3–(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में, निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य की कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–31

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम औतार शाक्य जी अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 में नयी धारा 12-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

औद्योगिक नगरी के लिए पंचायत नहीं होगी

12– क–किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, वहां ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, यदि किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित हो, उक्त परन्तुक के अधीन की गयी अधिसूचना के दिनांक से, ऐसे पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित हो जायगा और ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन कोई पंचायत गठित नहीं की जायगी, और ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए गठित पंचायत समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण :–पद ''पंचायत'' और ''पंचायत क्षेत्र'' का तात्पर्य वही होगा जो संविधान के भाग नौ में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

''प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

अभी तक वेल में खड़े होकर माननीय सदस्यों द्वारा जो नारे लगाये गये हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं माने जायेंगे ।

मैं सदन को 2.55 तक स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

(2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रविन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप सभी माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । यह लिखा नहीं जा रहा है ।

मैं आप सभी को एक सूचना दे रहा हूं :–कुछ क्षणों बाद अपराह्न 3.00 बजे वित्तीय वर्ष 2001-2002 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

''हां'' सभा कक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पड़रौना, देवरिया, मऊ, छत्रपतिशाहूजी महराजनगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली तथा भदोही जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

''नहीं'' सभा कक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

(घोर व्यवधान जारी)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 22 मार्च, 2001 को उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 के पारण के उपरान्त निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण की मदें ली जायं :–

1–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

3–उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयके प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक

श्री अधिष्ठाता–

आदरणीय वित्त मंत्री जी कृपया वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करें।

वित्त मंत्री (श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं।

(मा० वित्त मंत्री जी द्वारा बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया गया)

जी मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2001-2002 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

नई सहस्त्राब्दि के प्रथम बजट को मैंने इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया था। इस बार राज्य में पंचायत एवं नगर निकायों के चुनावों, महाकुम्भ एवं उत्तरांचल राज्य के गठन से उत्पन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं के हल में लगे रहने के कारण इस बजट को फरवरी माह में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रकार दिनांक 31 मार्च, 2001 तक बजट के दोनों सदनों से पारित न हो सकने के कारण मूल बजट के साथ 3 माह का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

गुजरात भूकम्प–

गुजरात में आये भयंकर भूकम्प से पीड़ित जनता के प्रति प्रदेश की जनता, इस सदन, मंत्रि-परिषद् और अपनी ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ। उनकी इस आपदा में हम सभी उनके साथ हैं।

महाकुम्भ, 2001—

तीर्थराज प्रयाग में सहस्त्राब्दी के प्रथम महाकुम्भ का आयोजन एक अलौकिक एवं अविस्मरणीय सफलता रही है। उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कुम्भ मेले की व्यवस्था को तीर्थ यात्रियों के लिये सुलभ एवं सुगम बनाने हेतु दिन-रात अथक परिश्रम किया और कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण पेश किया जिसके कारण इतना विशाल आयोजन सकुशल, शान्तिपूर्ण एवं गरिमामयी वातावरण में सम्पन्न हो सका। इसके लिए मैं, सहभागी जनों को बधाई देता हूँ। उनके कर्तव्य परायणता का फल था कि महाकुम्भ की सफलता के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी इस घोषणा को पूरा करने में सफल रही है कि महाकुम्भ की व्यवस्था के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

आर्थिक परिवेश–

वर्ष 2000-2001 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन एवं वित्तीय कठिनाइयों की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था। उसी के साथ मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार इस गम्भीर आर्थिक एवं वित्तीय असन्तुलन को दूर करने हेतु प्रभावी सुधार-कार्यक्रमों के माध्यम से स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेगी।

मैं, इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गये नीतिगत कदमों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है।

- वर्ष 1999-2000 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 434.16 लाख मीट्रिक टन हुआ जो वर्ष 1998-99 से 11.8 प्रतिशत अधिक है।
- प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में भी वर्ष 1999-2000 में संतोषनजक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं यथा चीनी एवं सीमेन्ट के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- प्रदेश की कुल आय प्रचलित भावों पर वर्ष 1997-98 में 130370 थी जो वर्ष 1998-99 में 14.3 प्रतिशत बढ़कर 149712 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 1999-2000 में यह पुनः 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164630 करोड़ रुपये हो गयी।
- इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 1999-2000 में वर्ष 1998-99 की अपेक्षा 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- वर्ष 1993-94 के स्थायी भावों पर प्रदेश की कुल राज्य आय, वर्ष 1998-1999 में 6.8 प्रतिशत एवं वर्ष 1999-2000 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि का रूझान रहा है। वर्ष 1997-98 में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय 5848 रुपये थी जो 4.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1998-1999 में 6117 रुपये तथा वर्ष 1999-2000 में यह 4.2 प्रतिशत बढ़कर 6373 रुपये हो गयी।

मैं, इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा कि विकास की वृद्धि दर की यह प्रवृत्ति इस वित्तीय वर्ष में भी बनी रहेगी एवं जो बजट वर्ष 2001-2002 के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है उससे इस वृद्धि दर को और अधिक गति मिलेगी।

वित्तीय स्थित–

वर्ष 2000-2001 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने राज्य के वित्तीय असंतुलन को दूर करने के सम्बन्ध में कतिपय वित्तीय सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख किया था । इन सभी सुधार कार्यक्रमों को वर्ष पर्यन्त दृढ़ता से क्रियान्वित किया गया ।

वित्तीय सुधार की इसी श्रृंखला में प्रदेश के लगभग सभी मण्डलों में मण्डलीय गोष्ठियाँ आयोजित की गईं तथा साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डल स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक कर प्रगति की समीक्षा भी की गई ।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेतक उभर कर आये हैं–

- राजस्व घाटा 1998-1999 के 8696.16 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर वर्ष 1999-2000 में 7252.61 करोड़ रुपये हुआ है । वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा घटकर 5818.59 करोड़ रुपये हो जायेगा । वर्ष 2001-2002 में राजस्व घाटा 4031.90 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।
- राजकोषीय घाटा भी इसी अवधि में 11632.53 करोड़ रुपये से घटकर 11098.73 करोड़ रुपये हुआ है । वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार यह घाटा 12279.19 करोड़ रुपये होगा । वर्ष 2001-2002 में राजकोषीय घाटा 9718.01 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों, जिनकी चर्चा मैं आगे के प्रस्तरों में करूँगा, को देखने से भी यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार वित्तीय सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्प है ।

वित्तीय प्रबन्ध–

राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्ध को प्राथमिकता दी है । वित्तीय प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक लेखा-नियंत्रक की नियुक्ति की गई है । आगामी वित्तीय वर्ष से कोषागारों में एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू की जायेगी, राजकीय प्राप्तियों को कम्प्यूटराइज किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समानान्तर रूप से अपने ब्यौरेवार लेखे तैयार किये जायेगें । प्रदेश के सभी कोषागारों को कोषागार निदेशालय, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को आपस में निकनेट के माध्यम से जोड़ दिया जायेगा, इससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में गति तथा वित्तीय प्रशासन में और अधिक चुस्ती आयेगी ।

सम्परीक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक आन्तरिक सम्परीक्षक की तैनाती की गई है । ट्रान्जेक्शन आडिट के साथ-साथ परफॉरमेन्स आडिट, मैनेजमेन्ट आडिट तथा आर्गनाईजेशन आडिट पर बल दिया गया है । आडिट स्टॉफ को आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । बड़ी संस्थाओं का आडिट करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

विभागीय नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उन्हें सरल, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से गठित विनियमीकरण समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त हो गई हैं, जिन पर तत्परता से निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि जहाँ एक ओर राज्य के प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता बरती जाय तथा गैर-विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते हुए व्यय को कम किया जाय, और संसाधन अर्जित करने के नये उपायों तथा वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न करों की दरों एवं शुल्कों में अभिवृद्धि पर

विचार किया जाय । विभिन्न विभागों में चल रही सभी योजनाओं की वर्तमान में उपादेयता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाय तथा ऐसी पुरानी योजनाओं, जिनका महत्व अथवा लाभ जनसामान्य के लिए न्यूनतम रह गया है, उन्हें समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जाये । उक्त सभी समस्याओं पर विचार करने और उनके निदान के लिए अर्थपूर्ण संस्तुतियाँ उपलब्ध कराये जाने के लिये "संसाधन व व्यय आयोग" (रिसोर्स एण्ड एक्सपेन्डीचर कमीशन) का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

ग्यारहवाँ वित्त आयोग–

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दी गई संस्तुति के अनुसार प्रथम बार उत्तर प्रदेश को प्रदेश सरकार द्वारा आयोग के समक्ष अपना पक्ष सबल रूप में प्रस्तुत करने के कारण करों के हिस्सों में 19.798 प्रतिशत अंश प्राप्त हुआ है । यह अंश सर्वाधिक है तथा प्रदेश की स्थिति को देखते हुए न्यायोचित है । आयोग द्वारा प्रशासन के उन्नयन, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने, राजस्व घाटा पूर्ति एवं दैवी आपदा निधि अनुदान को सम्मिलित करते हुए 2000-2001 से पाँच वर्ष के लिए 78509.30 करोड़ की राशि संस्तुत की है, जो कुल अन्तरित राशि का 18.05 प्रतिशत है ।

उत्तरांचल राज्य–

दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को एक नये राज्य 'उत्तरांचल' के गठन के फलस्वरूप राज्य की राजस्व आय प्रभावित हुयी है और व्यय पक्ष में भी कमी आयी है । बजट को तैयार करते समय इस परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है ।

केन्द्रीय बजट–

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2001-2002 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने, कृषि उत्पादन के लिये किसानों को आवश्यक सुविधायें देने, खेतिहर मजदूरों के लिए बीमा एवं शिक्षा सहयोग योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के लिये छूट दिये जाने के साथ-साथ विशेष योजनायें घोषित की हैं । ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को सम्मिलित किये जाने के दूरगामी प्रभाव होंगे । ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे सुधार कार्यक्रमों का केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विशेष उल्लेख किया है, उससे राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार कार्यक्रमों को बल मिलेगा ।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग–

राज्य सरकार द्वारा गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले पाँच वर्ष के लिए अन्तरिम रूप में यह संस्तुत किया गया है कि वर्ष 2001-2002 के लिए प्रथम वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप राज्य के करों की शुद्ध प्राप्ति की 11 प्रतिशत धनराशि शहरी एवं ग्रामीण निकायों को क्रमशः 7 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जाय । द्वितीय आयोग की इसी संस्तुति को दृष्टि में रखते हुए करों के अन्तरण की व्यवस्था बजट में की गयी है ।

बजटीय रणनीति–

राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये सुधार कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करने की पृष्ठ-भूमि में वर्ष 2001-2002 का बजट निम्न मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है :–

(1) उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है ।

(2) मूलभूत अवस्थापना सुविधायें यथा–ऊर्जा, सड़क, सिंचाई पेयजल आदि को शीर्ष प्राथमिकता दी गयी है ।

(3) विकास की गति में मानव संसाधन के पूर्ण क्षमता के साथ सदुपयोग की दृष्टि से इस क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गयी है ।

(4) समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ कराने एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को महत्ता दी गयी है ।

(5) अनुत्पादक व्यय में कमी करने, अनुदानों का युक्तिकरण किये जाने तथा राज्य के व्यय की प्राथमिकतायें पुनः निर्धारण करते हुए व्यय की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है ।

(6) करों की दरों का युक्तीकरण, दरों की संख्या में कमी, वस्तुओं का युक्तिसंगत वर्गीकरण, कर के आधार में वृद्धि, प्रक्रिया का सरलीकरण, प्रयोक्ता प्रभारों का युक्तिकरण आदि को भी बजट की संरचना के समय ध्यान में रखा गया है ।

अब मैं, माननीय सदस्यों को विभागीय कार्यक्रमों एवं वार्षिक योजना के बारे में बताना चाहूँगा ।

राजकोषीय सेवायें–

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में मुख्य रूप से व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, आबकारी, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग आते हैं । इन सभी क्षेत्रों में सुधार के कार्यक्रम किये जा रहे हैं ।

व्यापार कर–

मैं, यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि कर की दरों को व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से 40 वस्तुओं पर व्यापार कर की दरें कम की गई हैं, कतिपय दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर मुक्ति दी गई है तथा समान फ्लोर रेट लागू किये गये हैं । करापवंचन को रोकने हेतु अधिनियम में संशोधन किया गया है । पंजीयन प्रक्रिया को सरल किया गया है । व्यापारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है । व्यापारियों की पंचायत में लिए गये निर्णय के आधार पर स्वयं कर निर्धारण हेतु विक्रय धन की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की दी गई है । व्यापारियों द्वारा दायर की जाने वाली अपील की फीस की राशि में कमी की गई है । व्यापार कर से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक निपटारा आयोग (सेटिलमैन्ट कमीशन) गठित करने का निर्णय लिया गया है । इन्हीं सब प्रयासों के परिपेक्ष्य में वर्ष 2000-2001 के 5734.39 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2001-2002 में 7168.71 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क–

★ दस्तावेजों के निबन्धन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसमें नामान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शरीरिक रूप से अक्षम, अस्वस्थ व्यक्तियों तथा पर्दानसीन महिलाओं हेतु निबन्धन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है । हस्तान्तरण प्रलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी तथा कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट के साथ-साथ बैंक गारण्टी पर स्टाम्प दरों में कमी की गई है । लेख-पत्रों के रख-रखाव, प्रतिलिपियों को उसी दिन जारी करने तथा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार किया गया है इससे जहाँ जनता को राहत मिलेगी वहीं राजस्व में भी वृद्धि होगी । स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमान 1566.43 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2001-2002 में 1750.50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है ।

मनोरंजन कर–

मनोरंजन कर की दरें घटाई गई हैं । मनोरंजन पार्क आदि को कर मुक्त किया गया है तथा नये छविगृहों तथा मल्टीप्लैक्स को प्रोत्साहित करने हेतु योजना को उदार बनाया गया है । इस मद में

वर्ष 2000-2001 के 129.43 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2001-2002 में 151.74 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया है ।

मोटर वाहन एवं यात्रीकर–

प्रदेश के सड़क चालकों का पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा माल चेकिंग के नाम पर किये जाने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए स्पेशल टोकन व्यवस्था लागू की गयी है ।

वाहन कर तथा माल एवं यात्रीकर में वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमान 669.16 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2001-2002 में 945.10 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है ।

आबकारी शुल्क–

मदिरा व्यवसाय में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बियर व वाइन की दुकानों को नीलाम प्रणाली से अलग कर के नियत लाइसेन्स फीस पर व्यवस्थित किया गया था जिसके सराहनीय परिणाम प्राप्त हुये हैं । इसी दिशा में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन भी 2001-2002 में नियत लाइसेन्स फीस तथा अभिकर की प्रणाली के अन्तर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

विनियमीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिनमें शीरा आधारित इकाइयों के लिये आबकारी आयुक्त से वास्तविक उपभोक्ता प्रमाण-पत्र लेने की व्यवस्था को समाप्त करना तथा लाइसेन्सी को पाँच वर्ष के लिये एक बारगी नवीनीकरण किये जाने के निर्णय प्रमुख हैं ।

इस मद में वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमान 2251.23 करोड़ रुपये सापेक्ष वर्ष 2001-2002 में 2460.16 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ।

कृषि एवं संवर्गीय सेवायें, कृषि विकास–

उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को नई दिशा देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

वर्ष 2001-2002 में कृषि उत्पादन में विकास की दर यथावत् (5.1 प्रतिशत) बनाये रखते हुए 52.70 लाख मी०टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 21 लाख मी०टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित है ।

राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कृषि नीति के अनुरूप वर्ष 2007-2008 के अन्त तक खाद्य उत्पादन दो गुना हो सके । राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी किसानों एवं अधिसूचित फसलों यथा धान/गेहूँ इत्यादि को शामिल किया गया है । इस योजना के लिए इस बजट में 21.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

एगमार्क ग्रेडिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय एगमार्क प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जायेगा । इस हेतु बजट में 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 2001-2002 में ऊसर सुधार के अन्तर्गत 30,000 हेक्टेयर के उपचार का लक्ष्य निर्धारित है । कृषकों की सुविधा हेतु निःशुल्क हेल्प लाइन भी प्रारम्भ की गयी है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आहूत किसान पंचायत में लिये गये निर्णयों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3 घण्टे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है और ट्रेक्टर-ट्राली को रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया गया है । पोटाश फास्फेट को व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया है । किसान बन्धु का गठन किया गया है । चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस 23 दिसम्बर को प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जायेगा ।

कृषि निर्यात प्रोत्साहन–

चावल निर्यातकों की राज्य सरकार से की गयी अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए खरीफ विपणन वर्षों (2000-2005) के लिए प्रथमबार पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश के चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क एवं विकास शुल्क, व्यापार कर तथा बासमती चावल पर लेवी से छूट की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के लिए प्रथम बार द्विवर्षीय आम निर्यात नीति निर्गत की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्य कुछ कृषिगत उत्पादों जैसे-तिल, आलू, आँवला तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों आदि की निर्यात नीतियाँ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पशुधन–

प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुजन्य पदार्थों की उत्पादकता का विशेष महत्व है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में गाय, भैंसों में उन्नतशील प्रजनन की सुविधा का आच्छादन का लक्ष्य 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रदेश में प्रजनन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया है।

वर्ष 2001-2002 में 360 मी०टन चारा बीजों के वितरण एवं 37800 मिनीकिट के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पशुओं को रोगमुक्त रखने हेतु शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा उत्पादित वेक्सीन की 2.5 करोड़ खुराक को बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास–

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों एवं व्यक्तियों को विभागीय कार्य-कलापों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए रोजगार सृजन दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 75219 रोजगारों का सृजन किया गया है। "महिला डेरी परियोजना" प्रदेश के समस्त जनपदों में चलायी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 223 महिला समितियों के माध्यम से 7757 महिला सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

मत्स्य–

"प्रदेश में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-2002 हेतु 5000 हेक्टेयर अतिरिक्त तालाबों को पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2001-2002 में समस्त स्रोतों से मत्स्य उत्पादन का 2.60 लाख मी०टन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 2000 अतिरिक्त मछुआ आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में एक हजार अतिरिक्त मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

सहकारिता विभाग–

कृषकों को उनकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए अल्प-कालीन फसली ऋण के रूप में 1200 करोड़ रुपये वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2001-2002 में 600 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2001-2002 में 1200 करोड़ रुपये मूल्य का उर्वरक वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2001-2002 में 5.76 लाख कुन्तल प्रमाणिक बीज वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज–

गांवों के त्वरित विकास से सम्बन्धित योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व भी पंचायतों को सौंपा गया है । प्रथम चरण में ग्राम पंचायतों को राजकीय नलकूप, हैण्डपम्प, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के ग्राम स्तरीय कार्य तथा प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं ।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ वितरण करने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है । क्षेत्र पंचायतों को ग्राम विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, बीज केन्द्र और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का अधिकार सौंपा गया है । जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मत्स्य विकास अभिकरण और सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष घोषित किया गया है ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण–

आलू उत्पादकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिलाने के सतत् प्रयास किये जा रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलू उत्पादकों को राहत देने के उद्देश्य से 15/- रुपये प्रति टन भण्डारण दर में छूट (10/- रुपये राज्य सरकार तथा 5/- रुपये शीत गृह स्वामियों द्वारा) देने के साथ-साथ विपणन हेतु 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 1/2 प्रतिशत विकास सेस में छूट दी गयी है । प्रदेश के बाहर आलू निर्यात करने पर आलू निर्यातकों को परिवहन भाड़े में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है । 10 लाख मी० टन आलू को प्रदेश से बाहर भेजने की राज्य सरकार की योजना के कारण आलू के बाजार मूल्य में किसानों के लिए प्रोत्साहक वृद्धि हुई है ।

वन–

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्र में कमी के दृष्टिगत प्रदेश के वनावरण में वृद्धि के उपाय किये जाने आवश्यक हो गये हैं । अतः अवनत वनों का सुदृढ़ीकरण की एक नई योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए इस बजट में 581.83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । विश्व बैंक सहायतित वानिकी परियोजना के अन्तर्गत वनीकरण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में 49.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । वन्य जीवन क्षेत्रों में ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम करने तथा वन जीवों से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र सरकार की सहायता से "ईको डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ईको समितियाँ गठित करके वर्ष 2000-2001 में 225 ग्रामों को लाभ पहुंचाया जा रहा है ।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास–

अवस्थापना सुविधाओं यथा–ऊर्जा, सिंचाई सुविधायें, सड़क आदि के विकास एवं उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है ।

ऊर्जा–

★ दिनांक 25 जनवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण स्कीम, 2000 को अन्तिम रूप देते हुए अधिसूचना विधिवत जारी कर दी है ।

★ तापीय विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पी० एल० एफ० में सुधार होगा एवं उसके वर्तमान स्तर 57.43 प्रतिशत से अगले वर्ष 61.21 प्रतिशत तक पहुंच जाने की आशा है ।

★ जिलों में विद्युत अदालत का गठन जैसे विशेष प्रयासों से विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में भी तेजी आई है।

★ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय उपक्रमों से लगभग 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आयात करने का निर्णय लिया है।

★ यू० पी० पावर कारपोरेशन द्वारा वितरण एवं पारेषण प्रणाली में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर की स्थापना हेतु विश्व बैंक एवं पावर फाइनेंस कारपोरेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है।

★ राज्य सरकार द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर विद्युत चोरी रोकने से सम्बन्धित प्राविधानों को और कठोर बनाने का निश्चय किया गया है।

★ विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों के प्रति जागरूक रहते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन की तिथि दिनांक 14 जनवरी, 2000 के पूर्व के पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी वित्तीय दायित्वों का वहन करने का निर्णय लिया गया है।

★ प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार यू० पी० पावर कारपोरेशन को और छोटी-छोटी कम्पनियों में विभाजित कर अलग-अलग क्षेत्र के लिए छोटी वितरण कम्पनियाँ गठित करने पर भी गम्भीरता से विचार कर रही है।

★ राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनायें, सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र में विकसित कर प्रदेश में जल विद्युत को विशेष बढ़ावा दिया जाए।

★ पुनगर्ठन के आरम्भिक वर्षों में कठिनाइयों से निबटने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त दायित्वों की लगभग 6000 करोड़ रुपये की राशि को वहन करने के अतिरिक्त वर्ष 2001-2002 में बजटीय सहायता की व्यवस्था भी की गयी है।

सड़क एवं परिवहन–

प्रदेश के सभी ग्रामों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्के मार्गों से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के अन्तर्गत जनवरी, 2001 तक 1478 गाँवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

प्रदेश में यातायात की सुविधा हेतु रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 में अब तक लखनऊ में गोमतीनगर तथा इलाहाबाद में सूबेदारगंज उपरिगामी सेतुओं का निर्माण पूर्ण कर उन्हें यातयात के लिए खोला जा चुका है। छः रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण प्रगति पर है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में राज्य के विभिन्न मार्गों का उच्चीकरण करके छः नये राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये गये।

यातयात के सुचारु, सुरक्षित व अबाधित रूप से संचालन हेतु 11 शहरी बाईपासेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से चार बाईपासेज पूर्ण कर लिये गये हैं तथा दो बाईपास पूर्ण होने की स्थिति में हैं।

यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस अथारिटी के गठन का निर्णय लिया गया है।

परिवहन को आसान बनाने और वाहन चालकों की सुविधा के लिए चेक पोस्टों के सुदृढ़ीकरण एवं वाहन स्मार्ट कार्ड की योजना बनायी गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ करने हेतु 1763 नई बसों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है । परिवहन विभाग में व्यापक सुधार के सम्बन्ध में संस्तुति करने हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है ।

सिंचाई–

सृजित सिंचाई सुविधाओं का समुचित रख-रखाव एवं नई सिंचाई सुविधा सृजित करने के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में पुनर्गठन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस हेतु जहाँ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए० आई० बी० पी०) एवं ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर० आई० डी० एफ०) के माध्यम से अधिक से अधिक संस्थागत वित्त प्राप्त किया जायेगा, वहीं विश्व बैंक की सहायता से एक वृहद् परियोजना भी कार्यान्वित की जायेगी ।

जल उपयोग कर्ताओं अर्थात् किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसानों और सिंचाई विभाग के बीच बेहतर तालमेल के लिए जल सहभागिता प्रबन्धन व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

इस वर्ष विशेष अभियान चला कर 01 अक्टूबर, 2000 से 28 फरवरी, 2001 के मध्य 27500 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है ।

सिंचाई के क्षेत्र में असन्तुलन दूर करने हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 7 नई परियोजनायें चिन्हित की गई हैं, जिन पर इसी पंचवर्षीय योजनाकाल में कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है । इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में 11 चेक डैम एवं 15 जलाशयों के पुनर्निर्माण करने का कार्य भी विभाग द्वारा किया जायेगा । इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना एवं कनहर परियोजना पर भी कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से कराया जा रहा है ।

प्रदेश में बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा एवं जल निकासी परियोजनाओं के लिए 4751 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।

निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमानों 765.45 करोड़ रुपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु 991.30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है । लघु सिंचाई के लिये वित्तीय वर्ष के प्राविधान 45.65 करोड़ रुपये के सापेक्ष 2001-2002 के बजट में 57.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में वृहद् एवं मध्यम (पूँजी लेखे) के बाह्य सहायता कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये, नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु 145 करोड़ रुपये एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । नाबार्ड पोषण से लघु सिंचाई कार्यों हेतु 43.84 करोड़ रुपये एवं बाढ नियंत्रण कार्यों हेतु 29.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

भूगर्भ जल–

वर्ष 2001-2002 में चयनित निरीक्षण कूपों पर 29600 बार मापन, 2000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में हवाई चित्रों एवं रिमोट सेन्सिंग डाटा पर आधारित सर्वेक्षण, लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त नलकूप स्थलों पर भू-भौतिकीय सर्वेक्षण, उथले/गहरे नलकूप क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार 02 मी०, 2.5 मी० भू-जल स्तर वाले क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य प्रस्तावित है । अति दोहित व क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में सूक्ष्म सर्वेक्षण, 40 नं० पीजोमीटर की स्थापना तथा खारे पानी वाले विकास खण्डों में मृदु जल क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य, भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज हेतु सर्वेक्षण व अध्ययन, भू-जल आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण व विश्लेषण तथा डिपाजिट नलकूप का निर्माण/छिद्रण प्रस्तावित है ।

मानव संसाधन का विकास–

किसी भी देश के विकास में मानव संसाधन का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है । इसी मूलभूत तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार इस क्षेत्र में विकास एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कटिबद्ध है ।

प्राथमिक शिक्षा–

मुझे इस सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 1991 में राज्य की साक्षरता 41.60 प्रतिशत थी जो कि प्रदेश में राष्ट्रीय सेम्पुल सर्वे संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1997 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गयी । इस प्रकार राज्य में साक्षरता दर में 14.40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 9.80 प्रतिशत रही है ।

प्रदेश सरकार द्वारा तीन एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों को कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी०जी०ई०) के रूप में परिवर्तित करने तथा केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान (सी०पी०आई०), इलाहाबाद को उच्च अध्ययन संस्थान (आई०ए०एस०ई०) के रूप में उच्चीकृत करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जा चुकी है ।

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों के बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को इस वर्ष "पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण" किया गया है जिससे लगभग 110 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं ।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं यूनेस्को द्वारा साक्षरता मिशन एवं यूनेस्को द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश सरकार के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 718 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1724 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भी 22.26 करोड़ रुपये की लागत से 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण तथा 862 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का भी निर्माण कराया जायेगा ।

भारत सरकार के सहयोग से 14 वय-वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक किलोमीटर परिधि में स्कूल/वैकल्पिक स्कूल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इस कार्यक्रम के अतर्गत कक्षा–1 से 8 तक की सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना इसके अंग होंगे ।

माध्यमिक शिक्षा–

बालिका शिक्षा पर और अधिक बल देने हेतु ऐसे खण्डों को चिन्हित किया गया जिनमें पूर्व में केवल एक कन्या विद्यालय स्थापित थे । वर्ष 2001-2002 में एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में 31.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

हाईस्कूलों के स्तर पर 10 वर्षीय सामान्य पाठयक्रम की व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप अब विभिन्न वर्गों में दी जा रही पृथक-पृथक मान्यता के स्थान पर हाईस्कूल स्तर पर "वन टाइम मान्यता" की व्यवस्था लागू की गयी है ।

वर्ष 2001-2002 में 68 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आहूत शिक्षक पंचायत में शिक्षकों को राज्य की अर्थोपाय की स्थिति को देखते हुए 6 माह के भीतर पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दिये जाने पर विचार करने की घोषणा की गई है । वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

संस्कृत शिक्षा–

संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है । संस्कृत शिक्षा के प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो इससे जुड़े हर पहलू पर विचार कर रही है ।

प्राविधिक शिक्षा–

औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति की माँग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है । इस नीति के अन्तर्गत अब तक प्रदेश में 50 इंजीनियरिंग कालेज निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 11600 है । उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की गई है जिससे प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज सम्बद्ध होंगे जिससे प्रशासनिक नियंत्रण एवं गुणवत्ता में सुधार आयेगा ।

विकलांग छात्रों को सामान्य पालीटेक्निकों में इन्टीग्रेट करने के उद्देश्य से एक योजना "स्कीम फॉर इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम ऑफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन" के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित राजकीय महिला पॉलीटेक्निकों में आगामी सत्र से विकलांग छात्र/छात्राओं को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

राज्य सरकार द्वारा खुशीपुर वाराणसी में बहुउद्देशीय विकलांग विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई माँग को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कतिपय डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में इन्फॉरमेशन टैक्नॉलाजी का 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन इन्फॉरमेशन टैक्नालॉजी पाठ्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य है । उक्त के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जनपद भदोही में एक पालीटेक्निक तथा दौराला (मेरठ) में एक महिला पालीटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 से राज्य सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों के सेवानिवृत्ति शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को पेंशनादि का भुगतान कोषागारों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जायेगा ।

उच्च शिक्षा–

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधारात्मक एवं अन्य विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें सत्र नियमन, दोष रहित एवं निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, रोजगारपरक पाठ्यक्रम आदि प्रमुख हैं ।

चिकित्सा शिक्षा–

★ प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अधूरे भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये उपकरण क्रय हेतु 01 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

★ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है ।

★ तीन होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवन निर्माण हेतु 5.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

★ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

★ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने के लिये 33 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

★ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर एवं फैजाबाद में छात्राओं के लिये छात्रावास के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है ।

★ संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जायेगा ताकि यह देश में अपना विशेष स्थान बनाये रखे ।

★ प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्रों में भी 3 मेडिकल कालेजों तथा 12 डेन्टल कालेज संचालित हो चुके हैं ।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य–

उपलब्ध संसाधनों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक विस्तार सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कर प्रदेश की जनता को निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धात्मक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । वर्ष 2001-2002 में 8 नये सामुदायिक केन्द्रों के भवन पूर्ण होने के उपरान्त उनकी स्थापना की जायेगी ।

● प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की अवस्थापना सुविधा के सुदृढ़ीकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में 52.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

● उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत नीतिगत पहल, मानव संसाधन विकास, उपलब्ध संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण अथवा विस्तार तथा निजी एवं सरकारी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा तंत्र में सुधार लाकर उसे गुणवत्तायुक्त, सर्वसुलभ समेकित, जवाबदेह व संवेदनशील चिकित्सा व्यवस्था के रूप में उन्नति करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है ।

● क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक सेन्टरों की स्थापना के लिये इस बजट में 20 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

● प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को समयबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अपनी जनसंख्या नीति घोषित की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2016 तक वर्तमान प्रजनन दर 4.00 प्रति हजार से घटाकर 2.1 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अगले वर्ष पंचायती, निजी क्षेत्रों, संगठनों तथा स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित की जायेगी ।

● प्रदेश की अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से पहले से ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परियोजना से प्रदेश के 68 जनपदों को आच्छादित किया

गया है तथा उक्त उद्देश्य हेतु ही "राज्य परिवार कल्याण सेवा अभिनवीकरण परियोजना (सिफ्सा)" प्रदेश में 29 जनपदों में लागू हैं ।

समाज कल्याण–

नवीन विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत अब कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का नगद भुगतान छात्रों को सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है । सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में गठित शिक्षा समिति द्वारा वितरण से सम्बन्धित बाऊचरों के सत्यापन की व्यवस्था की गई है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विमुक्त जाति के नगरीय क्षेत्र के छात्रों तथा ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9 व ऊपर की कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति वितरण का कार्य पूर्व व्यवस्था के अनुसार गठित समिति द्वारा ही किया जा रहा है । छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता लाने और धनराशि के दुरुपयोग को बचाने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का विवरण एवं फोटो भी चस्पा किया जायेगा, जिसकी एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी । वर्ष 2001-2002 में 90 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य है ।

★ वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 तक 12.30 लाख वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित किये जाने का लक्ष्य है ।

★ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस योजना में मृतक पेंशनरों का चिन्हीकरण एवं अपात्र पेंशनरों के सत्यापन हेतु सघन अभियान भी संचालित किया गया जिसके फलस्वरूप अपात्र पेंशनरों को चिन्हीकृत कर उनके सापेक्ष केवल 4111 नवीन पेंशन स्वीकृतियां जारी हुई हैं ।

★ ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों के चयन एवं उनको पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रदान किया गया है ।

★ अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 1445 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 8000 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा ।

★ अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 10.19 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है, जिससे 11000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

★ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पारिवारिक लाभ योजना में वर्ष 2001-2002 में 31 हजार परिवारों को 31 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ।

★ मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 420000 महिलाओं को 21.00 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है ।

★ अनुसूचित जाति/जनजाति की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को स्वतः रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 1,10,000 परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

★ अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के पुनरोद्धार हेतु "सेनेटरी मार्ट योजना" के माध्यम से 300 सेनेटरी मार्टों के संचालन हेतु 7.80 करोड़ रुपये मार्जिन मनी तथा 5.25 करोड़ रुपये का ऋण राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

विकलांग कल्याण–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में राजकीय दृष्टिबाधिक विद्यालय, लखनऊ में दृष्टिबाधितार्थ अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से करने का प्रयास है।

अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग–

मदरसों में मजहबी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी है तथा 1000 मदरसों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 735 मदरसों को आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।

मेधावी छात्रों के लिए प्री-इंजीनियरिंग व प्री-मेडिकल व प्रशासनिक सेवा परीक्षा की कोचिंग की व्यवस्था की गयी है।

हज यात्रा को सुगम बनाने हेतु हज यात्रा से सम्बन्धित फार्म जो पूर्व में हज कमेटी लखनऊ से प्राप्त करने होते थे, उसको अब जिला मुख्यालय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। हज यात्रा पर जाने वाले समस्त हज यात्रियों का बीमा कराने की व्यवस्था की गई है तथा उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को जिलेवार/तहसीलवार/ग्रामवार कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

महिला कल्याण –

निराश्रित विधवाओं को अनुदान देने हेतु नवीन स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अनुदान दिये जाने हेतु बजट में 69 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

प्रदेश में वृन्दावन, जनपद मथुरा में निवासरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को आवश्यक मानवीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो महिला आश्रय सदनों की स्थापना की गई है। वर्तमान में इन संस्थाओं में 286 महिलायें निवासरत हैं। इस हेतु बजट में 11 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु इस बजट में 68.26 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों में 15 अगस्त, 1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका शिशु की माँ को शत्-प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित "बालिका समृद्धि योजना" के अन्तर्गत 500 रुपये की तत्काल सहायता दी जाती है। जब बालिका स्कूल जाने लगेगी तो उसे शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। यह लाभ दो बालिका शिशुओं तक ही अनुमन्य है। इस हेतु बजट में 3 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली सामान्य श्रेणी की ऐसी लड़कियों एवं महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है जिनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 11,800 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 रुपये से कम हो। लड़कियों/महिलाओं को आई० टी० आई०, पालिटेक्निक, एम० बी०ए०, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में अध्ययन हेतु 50 रुपये प्रतिमाह से 425 रुपये प्रतिमाह के मध्य छात्रवृत्ति अनुमन्य होती है। इस हेतु बजट में 20 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की 11 से 15 तथा 15 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण, गृह प्रबन्ध एवं पोषाहार आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करने के

लिए "किशोरी शक्ति योजना" प्रारम्भ की जायेगी । इस बजट में इस योजना के लिए 9.23 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

बाल कल्याण -

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में आई० सी० डी० एस० तृतीय चरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 110 अनाच्छादित विकास खण्डों को बाल विकास सेवाओं से आच्छादित किया जाना है तथा पुरानी 190 परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना है ।

ग्राम्य विकास-

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार युवक, भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान, ग्रामीण दस्तकार व अन्य विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को लाभान्वित करने हेतु रोजगार संकल्प योजना (रोजगार छतरी योजना) का शुभारम्भ किया गया है ।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

इस योजना के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में राज्य सरकार द्वारा 10200.00 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है तथा 422 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजन का अनुमान है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को सामर्थ्य प्रदान करने के निमित्त संख्या में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करके प्रत्येक सहायतित परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । वर्ष 2001-2002 के लिए इस योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में 3916 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था है ।

इन्दिरा आवास योजना-

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवासों के लिए प्राविधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2001-2002 के बजट में राज्यांश के रूप में 62.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है तथा 1.5 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना-

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब अकुशल श्रमिक विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे श्रमिकों को जिन्हें रोजगार की आवश्यकता हो और कार्य करने के इच्छुक हों, को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए 7686 लाख रुपये की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की गई है तथा 318 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

विधायक निधि-

वर्ष 2001-2002 में विधायक निधि के अन्तर्गत 378.75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण पेयजल-

प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक मिशन का गठन किया गया है तथा जनपदों में जनपदीय स्तर पर मिशन का गठन एवं पंजीकरण किया जा चुका है । इसके अन्तर्गत वर्तमान

मानक प्रति 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के आधार पर एन० एस० एस० श्रेणी की बस्तियों को छोड़कर समस्त बस्तियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल की वृद्धि हेतु नये नलकूपों के निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत आदि कार्यों के लिए वर्ष 2001-2002 में आवश्यक बजट प्राविधान किये गये हैं । वर्ष 2001-2002 में लगभग 15000 हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य कराया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना-

विश्व बैंक की सहायता से 284.93 करोड़ रुपये की लागत से पर्वतीय तथा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में यह योजना वर्ष 1996 से वर्ष 2002 की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना से उत्तरांचल राज्य के लगभग 861 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 362 ग्राम लाभान्वित होंगे ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मास मीडिया कैम्पैन, सेक्टर स्टडी एवं रीजनल स्टडी के कार्यों का निष्पादन किया जायेगा । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 4200 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है ।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना-

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस योजना हेतु 4000.00 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है तथा 1 लाख 32 हजार का स्वतः रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का चतुर्मुखी विकास करना है । इस योजना के अन्तर्गत कुल 6 घटक हैं–ग्रामीण सड़क, प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल एवं पोषण ।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है ।

आवास-

★ समाज के अनिश्चित आय वर्ग की आवासीय व्यवस्था हेतु संचालित आश्रय योजना के अन्तर्गत आश्रय तथा लघु एवं मध्यम आय वर्ग हेतु भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड/भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

★ वित्तीय वर्ष 2000-2001 में विभिन्न शहरों में अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलाये गये अभियान के फलस्वरूप जनवरी, 2001 तक 40 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई और 38 हेक्टेयर अतिक्रमणयुक्त भूमि खाली कराई गई जो लगभग 62.44 करोड़ रुपये मूल्य की है ।

★ अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु स्वैच्छिक शमन योजना लागू की गई । इससे जहां प्राधिकरणों को अवस्थापना विकास के लिए पैसा उपलब्ध हुआ, वहीं जनता को भी राहत मिली ।

★ विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें अर्जित आय में वृद्धि, ऋण लेने में कमी, शासकीय एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का प्रतिदान तथा अधिष्ठान व्यय पर नियंत्रण प्रमुख है ।

★ निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 के अनुरूप भवन निर्माण के विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं जो सार्वजनिक उपयोग वाली

सभी इमारतों तथा सुविधाओं पर लागू होंगे । इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है ।

नगर विकास -

★ ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों को आयोजनागत प्रकृति की परियोजनाओं/कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–2005 हेतु 227.89 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

★ प्रदेश के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज सहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 140.00 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है ।

★ त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष हेतु 40.00 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

★ कानपुर नगर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु बैराज निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । इससे 200 एम० एल० डी० अतिरिक्त जल प्राप्त होगा । बैराज का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य तक पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बजट में रुपये 50.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

★ बाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर में साऊथ सिटी जोन हेतु पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, सैनीटेशन एवं सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

★ गंगा, यमुना एवं गोमती के प्रदूषण को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता प्राप्त की जा रही है । आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से रुपये 85.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना -

बजट वर्ष में योजनान्तर्गत 66 करोड़ रुपये की धनराशि से 6.36 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने तथा 15.56 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है ।

★ वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 50,000 लाभार्थियों को स्वरोजगार दिया जाएगा ।

★ 3804 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

★ 304 स्वयंसहायता समूह का गठन किया जाएगा ।

★ 761 ऋण बचत समितियों का गठन किया जाएगा ।

★ नगरीय मजदूरी में 8.19 लाख मानक दिवस सृजित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु 55 करोड़ रुपये के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 50.53 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास -

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के बाद उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान में कुल 2,616 वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग हैं, जिसमें 41,266.20 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन तथा

7,38,582 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं । वर्ष 2000 में कुल आठ अनुज्ञा-पत्र जारी हुए, जिनमें 25.89 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन एवं 643 व्यक्तियों के रोजगार सृजन सम्भावित हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बद्ध समस्याओं के निराकरण व विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में त्वरित निर्णय लिये जाते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पश्चिमांचल विकास सहभागिता कोष की स्थापना की गई है । इस हेतु इस बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर/छोटे उद्यमियों को खनन कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खनन कार्य की नीलामी प्रथा समाप्त कर पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया अपनायी गई है जिसमें पिछड़े एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का प्राविधान है ।

छोटे उद्यमियों को औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए नियमों में ऐसा प्राविधान किया गया है कि मौजूदा भूखण्डों का विभाजन एवं स्थानान्तरण सुगमता एवं सरलतापूर्वक हो सके ।

बुनकरों के लिए भारत सरकार के सहयोग से दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना भी प्रारम्भ की गई है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग -

गन्ना किसानों के हित में गत वर्ष के सापेक्ष गन्ना मूल्य में गन्ना पेराई सत्र 2000-2001 में 5 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई फलस्वरूप अब अगैती गन्ना प्रजातियों के गन्ने के 95 रुपये तथा सामान्य प्रजातियों के गन्ने के 90 रुपये प्रति कुन्तल समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है । गन्ना मूल्य भुगतान का कीर्तिमान बनाते हुए वर्ष 1999-2000 के समस्त देय गन्ना मूल्य 4089.86 करोड़ रुपये का शत्-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है तथा 2000-2001 में भी 15 मार्च, 2001 तक कुल देय 3088.66 करोड़ रुपये में से 2274.91 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है एवं अवशेष भुगतान की प्रक्रिया में है।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर बकाया रहेगा उससे सरकारी राजस्व की वसूली के लिए कोई दण्डात्मक या उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

सूचना प्रौद्योगिकी -

प्रदेश सरकार द्वारा जन सामान्य के आर्थिक सामाजिक जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है । सुदृढ़ टेली कम्यूनिकेशन नेटवर्क बनाए जाने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता लेने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार प्रदेश में आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति का अधिकार राज्य सरकार में निहित किये जाने की कार्यवाही की गई है । ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु निजी संस्थाओं को अनुमन्य किया जा रहा है ।

प्रदेश के अन्तर्गत समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम–1962 की अनुसूची–2 में सूचीबद्ध किया गया है । इसके निर्माण प्रक्रिया के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय समयानुसार कार्य करने में सुविधा होगी व महिलाओं को सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित होगा ।

इलेक्ट्रानिक्स -

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा भारत को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की एक अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्ति के आह्वान के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास

हेतु कृत संकल्प है तथा उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार केअवसरों में वृद्धि की भी अपार सम्भावनायें हैं । इन्फारमेशन कियास्क/साइबर कैफे की स्थापना इस उभरते हुए क्षेत्र में एक ऐसा ही विकल्प है ।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सामुदायिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों में ग्रामीण सामुदायिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–

भारत सरकार की सहायता से लखनऊ में बायोटेक्नालॉजी सिटी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 53.50 करोड़ रुपये है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 मेंराज्यांश के रूप में 2.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण–

श्रमिकों की खतरनाक प्रक्रिया के कारखानों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कारखाना (औद्योगिक वृहद् दुर्घटना के परिसंकट का नियंत्रण) नियमावली, 1996 में व्यापक संशोधन किये गये हैं ।

चाय बागान उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की परिधि में लाते हुए न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया गया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं उससे सम्बन्धित कार्य-कलापों के क्षेत्र में महिला कर्मियों से कार्य लेने हेतु उनके हितों को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ छूट प्रदान की गयी है ।

विभिन्न श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं उन्हें वर्तमान परिपेक्ष्य में उपयोग बनाये जाने के उद्देश्य के टास्क फोर्स की संस्तुतियों पर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की गई है । इस हेतु गठित विनियमितीकरण समिति के साथ बैठकों के विचार-विमर्श एवं उनकी संस्तुति के अनुरूप भारत सरकार से सम्बन्धित श्रम अधिनियमों की संगत धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2.57 करोड़ रुपये के वार्षिक रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की गई है । श्रमिकों को उच्चकोटि के गुणवत्ता की औषधियां उपलब्ध कराए जाने के लिए ब्राण्डेड नेम की ही औषधियां क्रय किये जाने की नीति दिनांक 15 नवम्बर, 2000 से निर्धारित की गई है ।

प्रशासनिक सेवाएं–

कारागार–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कारागार भवनों के निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था करायी जा रही है । इसके अतिरिक्त जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 3.00 करोड़ रुपये तथा बैरकों के निर्माण हेतु 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । कारागारों में चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा बंदियों के प्रशिक्षण आदि हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में 2.8255 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शान्ति व्यवस्था -

वर्तमान सरकार द्वारा कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसके फलस्वरूप प्रदेश में शान्ति व्यवस्था का माहौल बना है ।

अपराध नियंत्रण की दिशा में उठाये गये प्रभावी कदमों के फलस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में विभिन्न अपराधों मेंकमी आयी है और साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना है । मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार हनन हेतु दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों की दो से सात वर्ष तक जिला कार्यकारी बल में तैनाती प्रतिबन्धित कर दी गयी है ।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 80.50 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है । योजना के अन्तर्गत पहली बार निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन, पुलिस थानों/चौकियों के भवनों का निर्माण, पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण को भी सम्मिलित किया गया है ।

इस वर्ष इलाहाबाद में झूंसी व शिवकुटी में 2 थानों, जनपद सोनभद्र में बभनी. में एक थाना एवं 4 रिपोर्टिंग चौकियों की स्थापना व बर्रा, कानपुर नगर में पुलिस चौकी को उच्चीकृत करके थाने में परिवर्तित किया गया है ।

विशेष जोखिम कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए शहीद सभी श्रेणी के पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह धनराशि को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है ।

न्याय प्रशासन -

न्यायिक प्रशासन के उन्नयन एवं लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश में 206 नये न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में 14.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होगी ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के 20 जनपदों में अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार) अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा रही है ।

राजस्व प्रशासन -

जनसंख्या बाहुल्य तथा अन्य जटिल समस्याओं से जूझने के बावजूद सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत प्रदेश के बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर अग्रसर कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग प्रधान राज्य, उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग, प्रशासन का मेरूदण्ड है । यह विभाग जन सामान्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है तथा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक तथा निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए एवं उनकी समस्याओं, विशेषकर भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्या के समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बराबर कृत संकल्प है ।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्थलीय सत्यापन सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत यह भी निर्णय लिया गया है कि लेखपाल द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यों की सूचना ग्राम प्रधान को निश्चित तिथि पर ग्राम समाज की खुली बैठक में प्रस्तुत कर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की जायेगी ।

कलेक्ट्रेट तथा तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण तथा भूमि प्रबन्धन आदि हेतु वर्ष 2001-2002 के बजट में 91.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के ग्रामों के भू-मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण हेतु पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद-हरदोई की तहसील-सण्डीला के नक्शों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कैडेस्ट्रल मैप के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इ० एस० आर० आई० इण्डिया द्वारा किया जा रहा है।

सार्वजनिक उद्यम-

वर्ष 1999-2000 के दौरान "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रम/निगम सुधार नीति-2000" जारी की गयी है। घोषित नीति में सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्स्थापना/निजीकरण/बन्दी की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन करने, निगमों में पर्यावरणीय दायित्वों का आंकलन करने का भी समावेश किया गया है।

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के पुनर्गठन, पुनर्संरचना, निजीकरण एवं बन्दीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में डायवेस्टमेन्ट आयोग ने 10 निगमों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ प्रेषित की हैं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बन्द उपक्रमों/निगमों की परिसम्पत्तियों के विक्रय/निस्तारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनो हेतु मैनुअल तैयार कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगमों/उपक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन हेतु भी एक मैनुअल तैयार कराया जा रहा है।

खाद्य एवं रसद-

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु निराश्रित वृद्धों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की सहायता से अन्नपूर्णा योजना का कार्यान्वयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज न करने का निर्णय लिया गया है।

उथर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से बिक्री होने वाले दुपहिया वाहनों पर व्यापार कर छूट की सुविधा 31 मार्च, 2002 तक बढ़ायी गयी है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष धान की खरीद 5.40 लाख मी० टन हुई। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद इतनी बड़ी मात्रा में प्रथम बार की गयी। राज्य सरकार के इस कदम से बाजार में भी धान का भाव समर्थन मूल्य के बराबर पहुंच गया। वर्ष 2001-2002 के लिए 20 लाख मी० टन गेहूं क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पर्यटन-

नई पर्यटन नीति के अनुपालन में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया है और तद्नुसार उद्योगों को उपलब्ध समस्त सुविधायें यथा-व्यापार कर व मनोरंजन कर छूट/स्थगन, भूमि की व्यवस्था आदि भी पर्यटन उद्योग को अनुमन्य की गई है। सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव व विकास के लिए निधियों की स्थापना की गई है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु हैरिटेज होटल/पूंजी निवेश उपादान योजना, पर्यटकों का ठहराव बढ़ाने हेतु सुख साधन कर की सीमा में वृद्धि, निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों का निजीकरण, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुएराज्य स्तरीय व मण्डल स्तरीय पर्यटन सलाहकार समितियों का गठन, उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि उल्लेखनीय कार्य, पर्यटन नीति के अनुसार कार्यान्वित किये जा रहे हैं। योग सप्ताह एवं विभिन्न महोत्सवों का आयोजन

किया जा रहा है, जिससे देशी-विदेशी पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हों।

भारतीय मूल्य के विदेशों में बसे लोगों द्वारा अपने पूर्वजों के स्थानों/गांवों की जानकारी करने के लिए "डिस्कवर योर रूट्स" योजना प्रारम्भ की गयी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण–

प्रदेश में ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु आगरा, मथुरा, वृन्दावन में योजनाएं स्वीकृत की गयी है तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से 3403.81 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनायें प्रस्तावित हैं, जिसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 1.25 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा सहायतित सिंगरौली परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भी इस बजट में 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

वार्षिक योजना–

प्रदेश के समग्र विकास हेतु वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से निर्धारित परिव्यय 8200 करोड़ रुपये में से 10.7 प्रतिशत कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाओं पर, 13.6 प्रतिशत ग्राम्य विकास की मदों पर, 13.9 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर, 12.8 प्रतिशत ऊर्जा सेक्टर पर, 16.4 प्रतिशत यातायात पर तथा 22.8 प्रतिशत अंश सामाजिक सेवाओं के लिए रखा गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विकास निधियों हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए क्रमशः 150 करोड़ रुपये एवं 50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब-प्लान में समतामूलक समग्र विकास हेतु जिला योजनाओं से 50 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत अंश स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब-प्लान हेतु परिमात्रीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

वर्ष 2001-2002 के बजट का वित्तीय विवरण :

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियाँ :

★ वर्ष 2001-2002 में 51470.39 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों में 30129.44 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 21340.95 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

★ वर्ष 2001-2002 की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमानों से 9.07 प्रतिशत अधिक है।

★ वर्ष 2001-2002 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 26308.01 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 11797.17 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

व्यय :

★ वर्ष 2001-2002 में कुल व्यय 53946.98 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 2000-2001 बजट अनुमानों से 8.03 प्रतिशत अधिक है।

★ कुल व्यय में 34161.34 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 19785.64 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है ।

★ वर्ष 2001-2002 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों से 3.76 प्रतिशत अधिक है ।

★ वर्ष 2001-2002 में पूंजीगत व्यय 4457.44 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों से 7.94 प्रतिशत अधिक है जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ।

★ वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में 10156.80 करोड़ रुपये का आयोजनागत व्यय अनुमानित है जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्याय घटाने के पश्चात् वर्ष 2001-2002 में घाटा 2476.59 करोड़ रुपये है ।

लोक लेखा से समायोजन :

वर्ष 2001-2002 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2521.94 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2001-2002 में प्रारम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा 717.80 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस घाटे को भी व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर,

इस विशाल प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में लगे कर्मियों से कृपापूर्ण सहयोग, सहायता एवं सहभागिता की आकांक्षा करता हूं तथा यह भी आशा करता हूं कि हमें सदन के सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य मार्ग-दर्शन प्रदान किया ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहभागियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । सचिव, बजट एवं संसाधन तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट शीघ्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । राजकीय मुद्रणालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त में,

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत् ॥

सभी एक दूसरे को भद्र की दृष्टि से देखें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो ।, के संकल्प के साथ मैं इस विशाल प्रदेश में जन-जन के सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु वर्ष 2001-2002 के बजट को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

(लेखानुदान की प्रतियां वितरित की गयीं)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2001-2002 के माह अप्रैल, मई तथा जून, 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 22 मार्च, 2001 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 9330,66,39,000 रुपये से अधिक न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां वितरित की जायें ।

(प्रस्ताव की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2001-2002 के माह अप्रैल, मई तथा जून, 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 22 मार्च, 2001 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-6 में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 9330,66,39,000 रुपये से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001†

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 3 तक एवं अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001

पहली अप्रैल, 2001 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2001-2002 के लिए 15685,69,40,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो पहली अप्रैल, 2001 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रूपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 15685,69,40,000 रूपये (पन्द्रह हजार छः सौ पिच्यासी करोड़ उनहत्तर लाख चालिस हजार रूपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

---

† दिनांक 30-3-20001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारा–2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
01	आबकारी विभाग	राजस्व	67411	*3*	67414
		पूंजी	—	—	0
02	आवास विभाग	राजस्व	78695	*149750*	228445
		पूंजी	219844	*118125*	337969
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	103593	*50*	103643
		पूंजी	32500	—	32500
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	17738	*13*	17751
		पूंजी	—	—	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	50731	—	50731
		पूंजी	—	—	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	70841	*75*	70916
		पूंजी	—	*143*	143
07	उद्योग विभाग (भारी एवं माध्यम उद्योग)	राजस्व	7125	*12098*	12223
		पूंजी	541627	*9122*	556749
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व	150122	—	150122
		पूंजी	—	—	0
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व	24438	*880*	25318
		पूंजी	4545375	—	4545375
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	145754	*804*	146558
		पूंजी	4750	—	4750
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	2465209	*25378*	2490587
		पूंजी	913106	—	913106
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	165198	—	165198
		पूंजी	—	—	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	2439366	*13*	2439379
		पूंजी	1992116	—	1992116
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	2291136	—	2291136
		पूंजी	—	—	0

1	2		3	
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	428601	*63*	428664
	पूंजी	34216	—	34216
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	19374	*1*	19375
	पूंजी	5400	—	5400
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	62553	*1*	62554
	पूंजी	—	—	0
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	77450	*31933*	109383
	पूंजी	1466275	*48875*	1515150
19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3470	—	3470
	पूंजी	—	—	0
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व	5150	*41047*	46197
	पूंजी	—	—	0
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	229237	*186269*	415506
	पूंजी	13743607	*4200013*	17943620
22 खेल विभाग	राजस्व	33990	—	33990
	पूंजी	—	—	0
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	128284	*562*	128846
	पूंजी	—	*504*	504
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	109484	*34150*	143634
	पूंजी	437500	*16700*	454200
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	270194	*200*	270394
	पूंजी	20546	—	20546
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	4924856	*1581*	4926437
	पूंजी	78295	*950*	79245
27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	235727	—	235727
	पूंजी	—	—	0
28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	133497	—	133497
	पूंजी	—	—	0
*29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	—	*7644*	7644
	पूंजी	—	—	0
30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3139	—	3139
	पूंजी	—	—	0
31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	473318	*6*	473324
	पूंजी	77500	—	77500
32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1910192	*125*	1910317
	पूंजी	96759	—	96759
33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	300211	—	300211
	पूंजी	1250	—	1250

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

1	2		3	
34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	144352	6	144358
	पूंजी	15000	—	15000
35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	1081861	—	1081861
	पूंजी	12500	—	12500
36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	395713	175	395888
	पूंजी	—	—	0
37 नगर विकास विभाग	राजस्व	900125	—	900125
	पूंजी	350000	—	350000
38 नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	16315	—	16315
	पूंजी	—	—	0
39 भाषा विभाग	राजस्व	9814	—	9814
	पूंजी	—	—	0
40 नियोजन विभाग	राजस्व	102152	—	102152
	पूंजी	500001	—	500001
41 निर्वाचन विभाग	राजस्व	203884	—	203884
	पूंजी	—	—	0
42 न्याय विभाग	राजस्व	696547	117790	814337
	पूंजी	54193	—	54193
43 परिवहन विभाग	राजस्व	72379	—	72379
	पूंजी	625	—	625
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	17419	—	17419
	पूंजी	42993	—	42993
45 पर्यावरण विभाग	राजस्व	245595	—	245595
	पूंजी	405625	—	405625
46 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	30880	—	30880
	पूंजी	—	—	0
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	200252	125268	212778
	पूंजी	29375	—	29375
48 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	397178	44	397222
	पूंजी	20006	—	20006
49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1294310	—	1294310
	पूंजी	3350	—	3350
50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	407326	9	407335
	पूंजी	228424	—	228424
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	384174	383975	768149
	पूंजी	—	—	0
52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1620014	3414	1623428
	पूंजी	559	263	822
53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	259	—	259
	पूंजी	25	—	25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1213182	*100*	1213282
		पूंजी	—	—	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	53026	*3449*	56475
		पूंजी	46865	*25*	46890
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1615846	*125*	1615971
		पूंजी	2900715	*27750*	2928465
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	86675	—	86675
		पूंजी	15441	—	15441
60	वन विभाग	राजस्व	523371	*93*	523464
		पूंजी	5526	—	5526
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4630035	*23689630*	28319665
		पूंजी	143000	*31713071*	31856071
62	वित्त विभाग ((अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व	5090778	*10384*	5101162
		पूंजी	500000	—	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	157608	*150*	157758
		पूंजी	4675	—	4675
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2558	—	2558
		पूंजी	—	—	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व	127387	—	127387
		पूंजी	—	—	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1966	*308047*	310013
		पूंजी	—	—	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	24333	*783*	25116
		पूंजी	—	—	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	71166	*828*	71994
		पूंजी	—	—	0
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	—	—	0
		पूंजी	2500	—	2500
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	46434	—	46434
		पूंजी	5400	—	5400
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	9086145	*851054*	9937199
		पूंजी	850	—	850
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	4722679	*400193*	5122872
		पूंजी	38561	—	38561
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1429483	*175000*	1604483
		पूंजी	16275	—	16275
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	132275	*5*	132280
		पूंजी	—	—	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	181708	—	181708
		पूंजी	—	—	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	
77 श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	223110	—	223110
	पूंजी	346	—	346
78 सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	353775	*1*	353776
	पूंजी	—	—	0
79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	262017	—	262017
	पूंजी	3500	—	3500
80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	1627508	—	1627508
	पूंजी	76201	—	76201
81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	19711	*3*	18714
	पूंजी	3000	—	3000
82 सतर्कता विभाग	राजस्व	28075	*1753*	29828
	पूंजी	—	—	0
84 सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	21997	—	21997
	पूंजी	—	—	—
85 सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	2626	—	2626
	पूंजी	—	—	0
86 सूचना विभाग	राजस्व	66990	—	66990
	पूंजी	5	—	5
87 सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	32685	*1*	32686
	पूंजी	—	—	0
88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	4156	*1*	4157
	पूंजी	—	—	0
89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	392368	*251*	392619
	पूंजी	20034	—	20034
90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	15217	—	15217
	पूंजी	—	—	0
91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	108193	*3*	108196
	पूंजी	—	—	0
92 संस्कृति विभाग	राजस्व	27511	*1*	27512
	पूंजी	12925	—	12925
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1218490	—	1218490
	पूंजी	240362	—	240362
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	676887	*954820*	1631707
	पूंजी	3473512	*7500*	3481012
योग	राजस्व	59917604	*27407260*	87324864
	पूंजी	33389035	*36143041*	69532076
	योग	93306639	*63550301*	156856940

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–7, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक भूमि पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह विधेयक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 14 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,–

(क) ''आवास परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है ;

(ख) "विकास प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण से है;

(ग) "औद्योगिक विकास प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(घ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य आवास परिषद्, किसी विकास प्राधिकरण, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, किसी पंचायत या नगरपालिका से है;

(च) "नगर पालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से है;

(छ) "आप्टिकल फाइबर" का तात्पर्य ऐसे शीशे या प्लास्टिक के फाइबर से है जो लाइट पल्सेज के रूप में सूचना संचारित करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए समर्थ हो;

(ज) "पंचायत" का तात्पर्य, यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है;

(झ) "सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य किसी भूमि, सड़क, गली, खड़ंजा या अन्य स्थावर सम्पत्ति से है,जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो, या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध उसके द्वारा किया जाता हो।

अध्यारोही प्रभाव

3—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मेंकिसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्ति

4—राज्य सरकार को, किसी लाइसेंसधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी।

आप्टिकल फाइबर केबिल को बिछाने और अनुरक्षित करने की अनुमति

5—(1) कोई लाइसेंसधारी, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे,ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को विहित रीति से आवेदन दे सकता है।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय,आवेदित अनुमति प्रदान कर सकती है।

(3) कोई लाइसेंसधारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुमति प्रदान की गयी हो, किसी आप्टिकल फाइबर केबिल को बिछाने उसे अनुरक्षित करने, उसका परीक्षण करने, मरम्मत करने उसको बदलने या हटाने के प्रयोजनार्थ ऐसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर प्रवेश कर सकता है, जिस पर ऐसा केबिल बिछाया जाना प्रस्तावित है या बिछा दिया गया है, और उक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक कार्य करने का भी हकदार होगा।

नियम बनाने की शक्ति

6—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद	7—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2001

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(3 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 30 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग और 33-घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायगी" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग, 33-घ और 33-च के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :— धारा 18 का प्रतिस्थापन

"18–(1) जहां प्रबन्धतंत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार बोर्ड को, किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और किसी प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक का पद या प्रधान अध्यापक वास्तव में दो मास से अधिक रिक्त रहा हो, वहां प्रबन्धतंत्र ऐसी रिक्ति को,– तदर्थ प्रधानाचार्य

(क) प्रधानाचार्य के पद में किसी रिक्ति के संबंध में, प्रवक्ता श्रेणी के,

(ख) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति के संबंध में, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के ;

ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके पूर्णतया तदर्थ आधार पर भरेगा ।

(2) जहां प्रबन्धतंत्र उपधारा (1) के अधीन ज्येष्टतम अध्यापक की पदोन्नति करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक ऐसे अध्यापक की पदोन्नति का आदेश स्वयं जारी करेगा और संबंधित अध्यापक उस दिनांक से जब वह पदोन्नति के ऐसे आदेश के अनुसरण में ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण करे, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के रूप मेंअपना वेतन पाने का हकदार होगा ।

(3) जहां ऐसा अध्यापक, जिसे उपधारा (2) के अधीन पदोन्नति का आदेश जारी किया गया हो, प्रबन्धतंत्र के किसी कार्य या लोप के कारण, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो वहां ऐसा अध्यापक अपने कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तत्पश्चात् वह उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के दिनांक से, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के रूप में अपना वेतन पाने का हकदार होगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी, जब ऐसा अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गयी हो, कार्यभार ग्रहण कर ले ।"

नई धारा 33-च का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 33-ङ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"33-च (1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबंधतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायगी जो,–

अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियों का विनियमितीकरण

(क) समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा–2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था ;

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबंधों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या जिसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो ;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(घ) धारा–33-ग की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो ।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायेगी ।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे नियुक्ति पर नहीं रह जायगा ।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2000

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहा)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

(2) यह 15 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1981 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख ख) "नेशनल होमयोपैथिक मेडिकल कालेज" का तात्पर्य होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है ;"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :–

"(ख ख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय और नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;"

(ख) खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात् :–

"(ग) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित, या ऐसे किसी अन्य महाविद्यालय में आमेलित, कर दिया जायगा ;

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कर दिया जायेगा ;

(ङ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के किसी पद को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जायगा ।''

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायंगी, अर्थात् :–

''(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ख ख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों से भिन्न प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेंगी । यदि दो या अधिक कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक हो, तो अधिक आयु का कर्मचारी ज्येष्ठ होगा ।

(4) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज या उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ख ख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद को समाप्त कर दे, बिना भरे छोड़ दे या आस्थगित रखे और कोई व्यक्ति ऐसे पद पर किसी नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।''

निरसन और अपवाद

4—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु स्थायी समिति गठित की जाय'' विषयक श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा को जारी रखते हैं ।

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाकर कड़ाई से लागू की जाये'' विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा को जारी रखते हैं ।

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि पोलीथिन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मड़राते खतरे एवं पशुओं द्वारा खा लिये जाने से उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए इसके उत्पादन और प्रयोग पर पाबन्दी लगायी जाय'' विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा को जारी रखते हैं ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं । नियम 56 में प्राप्त श्री बाबू खां, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री श्याम प्रकाश, श्री अब्दुल मन्नान की सूचना का विषय प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की ज्वलंत समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । दूसरी सूचना श्री रामऔतार शाक्य की प्रदेश के महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्थाई रूप से कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । तीसरी सूचना श्री अब्दुल सलाम की नियम 311 में प्राप्त विषय है प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा सरकार द्वारा श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान के विरुद्ध बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौथी सूचना जो नियम 311 में प्राप्त हुई श्री काशीराम की पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा मा० सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेदकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत पिपरी चन्दौली मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में जय गुरुदेव और उनके समर्थकों द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों तथा जमीनों पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र के मकानों में अज्ञात कारणों से पड़ रही दरारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की बुन्देलखण्ड के जनपदों में कम वर्षा व नहरों से फसलों को पानी न मिलने तथा ओलावृष्टि से फसलें बरबाद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नवीं सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाण परौली के बीच सई नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज में हाई स्कूल (2000) के संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्रों में हुई त्रुटियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री विजयपाल सिंह की जनपद आगरा में गिरते भूगर्भीय जल स्तर को रोके जाने हेतु खारी नदी व उटंगन नदी पर जल संचल बांधों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। बारहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की सिविल अनुरक्षण खण्ड 3 जवाहर भवन, लखनऊ के अभियन्ताओं द्वारा सरकारी आवासों को मिले धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। तेरहवीं सूचना डा० कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना फेज–5 के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण अब तक न कराये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। चौदहवीं सूचना श्री विनोद मणि की जनपद महाराजगंज व गोरखपुर में राप्ती नदी के तटबंधों में शासन द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा 30 वर्षों से न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम तेज यादव की जनपद श्रावस्ती के प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। सोलहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की लोक निर्माण विभाग 39वां वृत्त (विद्युत) लखनऊ में है सहायक अभियन्ता द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। सत्रहवीं सूचना श्री राम चन्दर यादव की जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर अन्तर्गत अनियमित रूप से जारी कराये गये आय प्रमाण-पत्र धारक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। अठारहवीं सूचना श्री रनधीर सिंह की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना के लिये अधिगृहीत भूमि को अर्जन से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध मे है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं। 1—श्री चेतराम 2—श्री राम विशुन आजाद 3—श्री बाबू लाल कुरील 4—श्री प्रदीप कुमार 5—श्री जय प्रकाश 6—श्री दीप लाल भारती 7—श्री हरदेव सिंह 8—श्री राजेन्द्र यादव 9—श्री कोविद कुमार 10—श्री कोकब हमीद 11—श्री शिशुपाल सिंह यादव 12—श्री संजय गर्ग 13—श्री श्रीराम पाल (नियम 56 में प्राप्त)।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्नों के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :–

(1) श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० कृषि मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 24 जुलाई, 1997,

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा (सम्प्रति सदस्य, लोक सभा) के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 12 नवम्बर, 1997,

(3) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के सम्पादक श्री रमेश चन्द्र तथा लेखक श्री प्रफुल्ल विदवाई के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 23 अप्रैल, 1998,

(4) श्री ददूदू प्रसाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 19 मार्च, 1999,

(5) श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री प्रमोद कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 5 जनवरी, 2000,

(6) कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० वित्त मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 30 मार्च, 2000,

(7) श्री लालजी वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी एवं श्री मुन्ना चौहान, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा रेलवे बोर्ड के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 11 अप्रैल, 2000,

(8) श्री हरीशंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस अधीक्षक, हाथरस के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 12 मई, 2000,

(9) श्री ज्ञान चन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा (सम्प्रति सदस्य, उत्तरांचल विधान सभा) द्वारा मा० आबकारी मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 28 अगस्त, 2000,

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय संदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे तथा पढ़े हुए माने गये।

श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की अवमानना की सूचना दिनांक 24 जुलाई, 1997 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य की शिकायत है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम गुरुवार दिनांक 17 जुलाई, 1997 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर असंगत व तथ्यों से परे है और इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना देकर विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की है । इस बारे में माननीय कृषि मंत्री से प्राप्त उनके अभिकथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त प्रश्न का सदन में दिया गया उत्तर सही है । इस प्रकार प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः माननीय सदस्य की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने लखनऊ से प्रकाशित "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 26 अक्टूबर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा (सम्प्रति सदस्य, लोक सभा) के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 12 नवम्बर, 1997 को अभिसूचित की थी । माननीय सदस्य ने उक्त दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 26 अक्टूबर, 1997 की प्रति संलग्न करते हुए कहा है कि उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य प्रदेश कार्य समिति, समाजवादी पार्टी के इस बयान से कि "विधान सभा अध्यक्ष ने मनमाने तरीके से सरकार का बहुमत मिलने की घोषणा की एवं सादी वर्दी में पुलिस अधिकारी बुलाकर मण्डप की पवित्रता नष्ट कर दी ", विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा सदन की अवमानना हुई है । उक्त सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने इस प्रकारण में समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग की थी । प्रश्नगत प्रकरण में श्री चन्द्रनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा से उनका अभिकथन मांगे जाने हेतु दिनांक 26 नवम्बर, 1997 को पत्र भेजा गया था । तदुपरान्त उनको कई स्मरण पत्र भेजे गये परन्तु उनका अभिकथन प्राप्त नहीं हुआ । इसके पश्चात् श्री चन्द्रनाथ सिंह के लोक सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर उक्त प्रकरण को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–79 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रतर कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया था । इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, लोक सभा ने अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2000 द्वारा यह सूचित किया है कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रनाथ सिंह के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार एवं सदन की अवमानना की सूचना को विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है । माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की भावनाओं का समादर करते हुए मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।]

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक तथा लेखक द्वारा मा० अध्यक्ष विधान सभा के प्रति असम्मानजनक लेख प्रकाशित किये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के अंक में मा० अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

असम्मानजनक लेख प्रकाशित किये जाने के कारण उक्त समाचार पत्र के सम्पादक श्री रमेश चन्द्र तथा लेखक श्री प्रफुल्ल बिदवाई के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 23 अप्रैल, 1998 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्य का कथन है कि "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के उक्त अंक में श्री प्रफुल्ल बिदवाई द्वारा लिखे गये लेख "नाट बाई नम्बर्स-अलोन-डेमोक्रेसी हैज रुल्स एण्ड नार्म्स टू" "लेख में मा० अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति असम्मानजनक कथन से अध्यक्ष पीठ की गरिमा कम हुई और उससे विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई है । इस सम्बन्ध में उक्त समाचार पत्र के मैनेजिंग एडीटर एवं लेखक श्री प्रफुल्ल बिदवाई का अभिकथन मांगा गया था । उक्त समाचार पत्र के मैनेजिंग एडीटर श्री रमेश चन्द्र ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा एवं माननीय सदन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपने पत्र दिनांक 19 मई, 1998 द्वारा यह सूचित किया है कि उनका आशय सदन की किसी कार्यवाही या माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा लिये गये किसी निर्णय के प्रति असम्मान प्रकट करना नहीं था । उन्होंने स्वयं तथा अपने स्टाफ की तरफ से श्री प्रफुल्ल बिदवाई द्वारा लिखे गये उक्त आर्टिकल को असावधानीवश न देख पाने और आपत्तिजनक अंश को न निकालने के लिए क्षमा याचना की है तथा प्रश्नगत मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना एवं "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के मैनेजिंग एडीटर द्वारा अपनी ओर से तथा अपने एडीटोरियल स्टाफ द्वारा व्यक्त क्षमा याचना को दृष्टिगत रखते हुए मैं विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के इस मामले को समाप्त करता हूं ।]

श्री दद्दू प्रसाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर सदस्य विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री दद्दू प्रसाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 19 मार्च, 1999 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्यगण का कथन है कि दिनांक 12 मार्च, 1999 को श्री भीम प्रसाद सोनकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा लाये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि "हमने जानकारी प्राप्त की, मूर्ति ऐसे नहीं लगती है । बाकायदा नगर विकास विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है । न अनुमति है और न ही मूर्ति लगायी जा रही है । ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा । मूर्ति लगाने की एक प्रक्रिया है अगर उस प्रक्रिया में आयेगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी ।"

माननीय सदस्यगण का यह कथन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया उक्त वक्तव्य असत्य, भ्रामक तथा सदन की अवमानना करने वाला है । वास्तविकता यह है कि डिग्गी चौराहा, बांदा में मुख्य मार्ग के मध्य रेखा से मात्र 14 फिट की दूरी पर 4" × 4" फुट की मूर्ति लगाने का स्टेज बन चुका था । दिनांक 12 मार्च, 1999 को मूर्ति निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा था और दिनांक 13 मार्च, 1999 को बिना किसी प्रक्रिया के पूरी किये जाने तथा बिना अनुमति के वहां पर आम रास्ता रोककर मूर्ति लगा दी गयी । दिनांक 17 मार्च, 1999 को माननीय राज्य मंत्री द्वारा उक्त मूर्ति का

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनावरण किया गया । इस प्रकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया एवं सदन की अवमानना की है ।

उक्त प्रसंग में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित किया है कि नगरपालिका परिषद् ने दिनांक 30 मार्च, 1998 को उक्त स्थल पर मूर्ति की स्थापना किये जाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया था । यह मूर्ति चौराहे के एक कोने पर स्थापित होनी थी और इससे आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । यदि कोई मूर्ति सड़क के बीच में स्थापित की जाती है तो शासन से अनुमति लेना अनिवार्य है इसी कारण उन्होंने शासन से अनुमति न दिये जाने का उल्लेख नियम–56 की सूचना के सन्दर्भ में किया था । चूंकि उक्त मूर्ति सड़क पर स्थापित न होकर, सड़क के पास के स्थल पर स्थापित की गई है अतः इससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है । उक्त सूचना के संदर्भ में उनके द्वारा दिया गया उत्तर तथ्यात्मक है । उनकी मंशा सदन को गुमराह करने की नहीं थी बल्कि इस सम्बन्ध में शासन की नीति तथा मौके की वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करना था ।

माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री प्रमोद कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री प्रमोद तिवारी, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 5 जनवरी, 2000 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्यगण का कथन है कि दिनांक 3 जनवरी, 2000 के उपवेशन में उनके द्वारा नियम–300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि "आठ मुख्य मंत्री ऐसे रहे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे । शुरुआत स्व० चन्द्रभानु गुप्त से हुई जो दिनांक 7-12-60 को बिना किसी सदन के सदस्य हुए नेता सदन भी रहे और मुख्य मंत्री भी हुए । वर्ष 1963 में श्रीमती सुचेता कृपलानी बिना किसी सदन का सदस्य हुए नेता सदन भी हुई और मुख्य मंत्री भी हुई ।"

माननीय सदस्यगण का कथन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उपर्युक्त कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि श्रीमती सुचेता कृपलानी वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल, जनपद बस्ती से विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । तथा दिनांक 2 अक्टूबर, 1963 से दिनांक 13 मार्च, 1967 तक वे प्रदेश की मुख्य मंत्री रहीं । इस प्रकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को त्रुटिपूर्ण सूचना देकर सदन को गुमराह किया है तथा सदन की अवमानना की है ।

माननीय सदस्यगण द्वारा अपनी सूचना के साथ विधान सभा के दिनांक 3 जनवरी, 2000 के उपवेशन की कार्यवाही के पृष्ठ 28 की छाया प्रति संलग्न की गयी है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त प्रसंग में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने अभिकथन में यह स्वीकार किया गया है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी के संबंध में जो बात उन्होंने कही थी वह त्रुटिपूर्ण थी परन्तु यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने उक्त कथन सदन को गुमराह करने के लिए दिया । यह सुनिश्चित व्यवस्था है कि केवल त्रुटिपूर्ण सूचना एवं वक्तव्य के कारण विशेषाधिकार भंग या अवमानना का प्रश्न नहीं बनता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा है कि जो सूचना उनके विभाग से प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर पर उन्होंने सदन को सूचना दी थी । श्री कौल और श्री शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार" 1972 के संस्करण के पृष्ठ 261 तथा डा० सुभाष कश्यप की पुस्तक "पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर वाल्यूम–2" के पृष्ठ 1605–1606 को उद्धृत करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि सदन में जानबूझकर झूठा बयान दिया गया है तब तक विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं बनता है । उनका यह भी कथन है कि माननीय सदस्यों ने भी अपनी सूचना में यह शिकायत नहीं की है कि मा० संसदीय कार्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए त्रुटिपूर्ण सूचना दी है ।

माननीय सदस्यगण की प्रश्नगत सूचना एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से प्राप्त अभिकथन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः माननीय सदस्यगण की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं तथा इस विषय में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्दिष्ट करता हूं ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह एवं श्री अम्बरीष कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा मा० वित्त मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 30 मार्च, 2000 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्यगण का कथन है कि दिनांक 29 मार्च, 2000 की कार्यसूची के नत्थी "क" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 (मा० सदस्यगण ने उक्त प्रश्न की संख्या "1" लिखी है जो सही नहीं है) के पूरक प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मा० वित्त मंत्री ने यह कहा था कि–68 हजार करोड़ इस समय उत्तर प्रदेश पर कर्ज है । माननीय सदस्य श्री अम्बरीष कुमार द्वारा यह पूछे जाने पर कि तीन वर्ष पहले कितना कर्ज था, इसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह दिया गया कि तीन वर्ष पहले 60 हजार करोड़ का कर्ज था, आज 68 हजार करोड़ है । माननीय सदस्य का यह कथन है कि वर्ष 1999-2000 के बजट के अन[illegible] तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण में राज्य के ऊपर ऋण की राशि 48 हजार, 365 क[illegible] थी । उक्त आधार पर माननीय सदस्यगण का कथन है कि तीन वर्ष पूर्व ऋण और भी कम थ[illegible] ननीय वित्त मंत्री ने गलत और असत्य सूचना देकर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है ।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय वित्त मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने अभिकथन में यह सूचित किया है कि दिनांक 29 मार्च, 2000 के उपवेशन में उपर्युक्त अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् जब यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रश्न के अनुपूरक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नोत्तर में उनके द्वारा दी गयी सूचना गलत है तो दिनांक 29 मार्च, 2000 को ही उन्होंने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित अपने पत्र में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में राज्य की ऋणग्रस्तता के बारे में सही सूचना दे दी थी, बाद में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 15 मई, 2000 को सदन में शोधन वक्तव्य दिया गया ।

चूंकि माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 29 मार्च, 2000 को सही सूचना देते हुए गलत सूचना देने पर खेद व्यक्त कर दिया है, अतः उसके उपरान्त उनके विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना का कोई औचित्य नहीं है अतः माननीय सदस्यगण की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री लाल जी वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी एवं श्री मुन्ना चौहान सदस्यगण विधान सभा द्वारा रेलवे बोर्ड के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री लाल जी वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी एवं श्री मुन्ना चौहान, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को रेलवे बोर्ड के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्यगण का कथन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि कोई भूतपूर्व सदस्य अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ तथा इसी प्रकार वर्तमान सदस्य स्वयं अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तथा सत्र के दिनों में सहवर्ती के साथ रेलवे कूपन द्वारा टिकट खरीदकर किसी भी रेलगाड़ी से किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकता है परन्तु रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 द्वारा भूतपूर्व सदस्यों के तथा आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 1999 के द्वारा वर्तमान सदस्यों के सहवर्तियों को टिकट जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । माननीय सदस्यों के अनुसार रेलवे बोर्ड के उक्त आदेश से सदन की अवमानना हुई है तथा इससे सदस्यों को विधायी कार्य करने में भी बाधा पड़ रही है ।

मैंने ऐसे प्रकरण में अध्यक्ष पीठ से दिये गये पूर्व निर्णयों का अवलोकन किया । उत्तर प्रदेश विधान सभा में पूर्व में भी यह निर्णय दिया जा चुका है कि किसी अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन होने से विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है ।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना रेलवे बोर्ड, जोकि एक केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठान है, के विरुद्ध दी गयी है, जबकि पूर्व में इस प्रकार के निर्णय दिये गये हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी हो उसके नाम का उल्लेख होना चाहिए ताकि सूचना के ग्राह्य होने की दशा में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने में कोई असुविधा न हो ।

अतः मैं इस विचार का हूं कि प्रश्नगत सूचना में सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हरी शंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा पुलिस अधीक्षक, हाथरस के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री हरी शंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस अधीक्षक, हाथरस के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना, दिनांक 12 मई, 2000 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्य का कथन है कि वह दिनांक 6 मई, 2000 को पुलिस अधीक्षक, हाथरस, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा से मिलने उनके कार्यालय गये थे वहां पर उनके क्षेत्र के सहकारिता प्रकोष्ठ भा०ज०पा० के जिला महामंत्री श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे । वहां पर भा०ज०पा० के कार्यकर्ता श्री सचेन्द्र कुमार भी थे, वह देखते ही उनके पास आ गये और उसी समय एस० ओ० हसायन वहां आये और श्री सचेन्द्र कुमार को पकड़ लिया और घसीटते हुए यह कहते हुए ले गये आज तुझे कोई विधायक नहीं बचा पायेगा । माननीय सदस्य ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि एस० पी० से बात करें । जब वह एस० पी० से मिलने उनके दफ्तर में गये तो एस०पी० ,देखते ही आग बबूला हो गयीं । उन्होंने कहा कि बिना आज्ञा के आप अन्दर कैसे आये । माननीय सदस्य दस मिनट तक खड़े रहे और वह कुर्सी पर बैठी रहीं । जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या किसान उर्फ सचेन्द्र कुमार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन वे उसे एक अपहरण के मुकदमें में जेल भेजेंगी । उन्होंने, माननीय सदस्य से जाने के लिए कहा तथा यह भी कहा कि वे उनका स्थानान्तरण करवा दें । माननीय सदस्य का कथन है कि एस० पी० के इस व्यवहार से उनका अपमान हुआ है और सम्मान को ठेस पहुंची है । इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा संबंधित अधिकारी का अभिकथन/वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 2000 के साथ प्राप्त हुई है । प्रश्नगत प्रकरण में श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हाथरस का कथन है कि दिनांक 2 मई, 2000 को श्री खचेर सिंह, निवासी ग्राम चिन्तापुर, वटन, थाना हाथरस जंक्शन ने अपने पुत्र विजय सिंह के अपहरण की लिखित सूचना दी थी जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–236/2000 धारा 364-ए, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया था । विवेचना के दौरान दिनांक 3 मई, 2000 को खरवा के जंगल से अपहृत विजय सिंह को महिपाल आदि बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया गया था । दिनांक 5 मई, 2000 को अपहरण से संबंधित मुल्जिम उदयवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया । उसके द्वारा दिये गये बयान के आधार पर श्री सचेन्द्र कुमार उर्फ किसान को दिनांक 6 मई, 2000 को गिरफ्तार किया गया तथा उसने अपने बयान में अपराध स्वीकार किया था ।

उक्त के संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हाथरस, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा का यह भी कथन है कि दिनांक 6 मई, 2000 को उनके द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रा०नि०/थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी थी । उक्त गोष्ठी के दौरान माननीय सदस्य अपने कई साथियों के साथ उनके कार्यालय में आये तथा उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबिल श्री सन्त सिंह से कहा कि उन्हें पुलिस अधीक्षक से मिलना है । उसके यह अनुरोध करने पर कि माननीय सदस्य बगल वाले कक्ष में बैठ जायें, माननीय सदस्य, जहां अपराध गोष्ठी चल रही थी, उस कक्ष में पहुंच गये । माननीय सदस्य ने

उनसे कहा कि श्री सचेन्द्र कुमार उर्फ किसान को पुलिस फर्जी रूप से फंसा रही है । इस पर उन्होंने माननीय सदस्य से कहा कि अभी अपराध गोष्ठी चल रही है, आप थोड़ी देर अपर पुलिस अधीक्षक, हाथरस के कार्यालय में बैठिये और कुछ देर बाद वे इस प्रसंग में उनसे वार्ता करेंगी । इस पर माननीय सदस्य पुनः क्रोधित होकर बोले, सचेन्द्र उर्फ किसान मुल्जिम नहीं है । यदि उसे जेल भेजा गया तो उससे उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी । उन्होंने माननीय सदस्य को सम्मानपूर्वक यह अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना के तथ्यों के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी । अन्त में माननीय सदस्य ने वहां से जाते हुए यह कहा कि यदि वह मुल्जिम है तो उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

अन्त में उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उनके द्वारा माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा एवं सम्मान का पूर्ण ध्यान रखा गया है । पूर्व में माननीय सदस्य क्षेत्रीय मामलों में कई बार उनसे मिले हैं। तब भी उनके द्वारा माननीय सदस्य की गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया ।

माननीय सदस्य की प्रश्नगत सूचना एवं पुलिस अधीक्षक, श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा के अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि श्री हरी शंकर माहौर, सदस्य, विधान सभा , पुलिस अधीक्षक, हाथरस के यहां सदन अथवा उसकी समिति के सदस्य के नाते किये जाने वाले किसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं गये थे बल्कि एक कथित अभियुक्त, जो माननीय सदस्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बतलाया गया है, के मामले में पुलिस अधीक्षक से वार्ता करने गये थे । जहां तक पुलिस अधीक्षक, हाथरस द्वारा माननीय सदस्य के प्रति यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित न करने का प्रश्न है, पूर्व में इस पीठ से इस आशय के निर्णय दिये जा चुके हैं किसी अधिकारी द्वारा किसी माननीय सदस्य के प्रति शिष्टाचार एवं सम्मान का प्रदर्शन न करने पर विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है ।अतः मैं माननीय सदस्य की प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि वे अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों के प्रति यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शन तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें ।]

श्री ज्ञान चन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० आबकारी मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री ज्ञान चन्द्र, सदस्य, विधान सभा (सम्प्रति सदस्य उत्तरांचल विधान सभा) ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत माननीय आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 28 अगस्त, 2000 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्य का कथन है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में नवम्बर, 1998 से चक्रीय पद्धति के आधार पर टंकक संवर्ग की भांति अन्य संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17 मई, 2000 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा गलत और भ्रामक देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि सचिवालय के कार्य में दक्षता एवं गतिशीलता लाने के लिए गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट जनवरी, 1986 में की गयी संस्तुति के अनुसार सचिवालय में टंककों की भर्ती बंद किये जाने एवं इस संवर्ग को समाप्त कर, अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में संवीलीन किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था जिसमें केवल टंकक संवर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति कर संविलीन कर देने से अन्य संवर्गों के कर्मचारियों की प्रोन्नति बाधित हो गयी है। इस संबंध में माननीय सदस्य ने माननीय आबकारी मंत्री द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत उनको भेजे गये उत्तर को, गलत, भ्रामक और गुमराह करने वाला बताते हुए विशेषाधिकार के हनन एवं सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन 1979–84 के पृष्ठ 306 के क्रम संख्या 547 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि नियम 302 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर का संबंध विशेषाधिकार की अवहेलना से नहीं होता है। अतः मैं माननीय सदस्य की सूचनों को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री नेतराम सिंह एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता प्रदेश जनता दल तथा दैनिक जागरण के स्थानीय सम्पादक एवं संवाददाता के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की निम्नलिखित सूचनाओं पर विचारोपरान्त मैंने उन्हें जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है :––

1––श्री नेतराम सिंह एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा "दैनिक अमर उजाला" कानपुर में प्रकाशित समाचार के आधार पर श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता प्रदेश जनता दल के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 मार्च 1998।

2––लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र के दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के संस्करण में "बेखबरी की हद" शीर्षक से प्रकाशित असत्य समाचार के सम्बन्ध में उक्त समाचार पत्र के स्थानीय सम्पादक एवं संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न।

श्री शिव चरण प्रजापति, सदस्य विधान सभा द्वारा उन के साथ हमीरपुर पुलिस द्वारा की गई अभद्रता एवं अशोभनीय व्यवहार के सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 2000 को दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री शिव चरन प्रजापति, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी गयी थी जो हमीरपुर की पुलिस द्वारा उनके साथ की गई अभद्रता एवं अशोभनीय व्यवहार के संबंध में थी। इसी विषय पर दिनांक 29 मार्च, 2000 को नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना कतिपय अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी थी जिसे नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया था। उक्त सूचना पर दिनांक 30 मार्च, 2000 को वक्तव्य हो चुका है। पुनः इसी विषय पर एक सूचना श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर० के० सिंह पटेल आदि सदस्यों द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को

नियम 300 के अन्तर्गत दी गई थी । दिनांक 2 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त उक्त सूचना पर मा० सदस्य तथा मा० संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अधिष्ठाता ने यह कहा था कि जो सूचना आयी है उसको देखने के बाद निर्णय लेना समीचीन होगा । अभी मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं । ''जैसा कि आप सभी जानते हैं औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियमों के अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होता है ।'' मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना उक्त नियम 300 की श्रेणी में नहीं आती है । इसके अतिरिक्त उक्त सूचना के सम्बन्ध में आयुक्त, चित्रकूटधाम से प्राप्त आख्या का भी मैंने अवलोकन किया । आख्या अपने आप में सम्पूर्ण एवं सन्तोषजनक है ।

अतः औचित्य के प्रश्न की उक्त सूचना मैं निरस्त करता हूं ।

मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ ।

लखनऊ :
दिनांक 22 मार्च, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस०यू०पी०–एल० 188 विधान सभा ( )–813 (डी०टी०पी०) ।